بہشتی زیور

idara

बहिश्ती ज़ेवर

हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह०)

अपनी बात

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी की मशहूर किताब 'बहिश्ती ज़ेवर' को कौन नहीं जानता। औरतों और बच्चियों के लिए इसको इस्लामी शरीअत की 'इन्साइक्लोपेडिया' कहा जाए तो बेजान न होगा, ज़िंदगी का कौन–सा पहलू ऐसा है, जिस पर इसमें बहस न की गयी हो। इबादतों की तफ़्सील तो है ही, उससे मुताल्लिक़ ज़रूरी मस्अले भी आ गये हैं। इसके अलावा खरीद व फ़रोख़्त मामलात, रहन–सहन, उठना बैठना, खाना–पीना, सोना–जागना, निकाह–तलाक़, बच्चों का लालन–पालन, देखभाल तालीम व तर्बियत, अख़्लाक़ व अक़ीदा, यहां तक कि हर दिन काम आने वाली घरेलू दवाएं वग़ैरह सभी कुछ इसमें मौजूद है, इसलिए अगर यह कहा जाए तो बेजा न होगा कि 'बहिश्ती ज़ेवर' हर घर की न सिर्फ़ दीनी बल्कि दुन्यवी ज़रूरत भी है।

ऐसी अहम ज़रूरत को सिर्फ़ उर्दू तक महदूद रखना फूल की ख़ूश्बू को किसी डिबिया में बंद करने की तरह था।

आज हिंदी जिस तेज़ी से मुसलमान घरानों में फ़ैल रही है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं। कुछ सूबे तो ऐसे भी हैं जहां के मुसलमान सिर्फ़ हिंदी ही जानते हैं, उर्दू उनके लिए अजनबी ज़ुबान है। ऐसे लोगों की ज़रूरत को देखते हुए 'बहिश्ती ज़ेवर' के हिंदी में जल्द छापे जाने की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। 'बहिश्ती ज़ेवर' के नाम पर बहिश्ती ज़ेवर का मज़ाक उड़ाने वाली किताबें पहले से बाज़ार में मिल रही थीं, लेकिन 'बहिश्ती ज़ेवर मुकम्मल और असली शक्ल में अब तक कोई न थी, इसलिए और भी मुकम्मल बहिश्ती ज़ेवर लाने की ज़रूरत थी। चुनांचे यह हिंदी एडीशन इसी ज़रूरत को पूरा करने के एक मामूली कोशिश है। अल्लाह तआला क़ुबूल फ़रमाए, इस किताब से सिर्फ़ वह हिस्से निकाल दिए गए हैं जिनकी बिल्कुल ही ज़माने में चलन नहीं है ऐसे पन्ने हैं भी थोड़े से। इसलिए पन्नों की कमी के साथ–साथ इसकी अहमियत भी बढ़ गयी है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह इस किताब को लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए और उर्दू एडीशन की तरह इसे भी मक़्बूले आम करे, ताकि हमारे लिए आख़िरत में कामियाबी का वसीला हो सके।

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह० की ज़िन्दगी की एक झलक

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मुहम्मद अशरफ़ अली थानवी रह० की पैदाइश 5 रबी उस्सानी सन् 1280 हि० को सुबहे सादिक़ के वक़्त क़स्बा थाना भवन ज़िला मुज़फ़्फ़र नगर में हुई।

पेशीनगोई

हाफ़िज़ गुलाम मुर्तजा साहब पानी पती रह० ने जो एक ज़बरदस्त सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, आप की पैदाइश की पेशीनगोई उस वक़्त फ़रमाई थी, जबकि इसका कोई अता–पता भी न था और आप का नाम अशरफ़ अली थानवी उसी वक़्त तज्वीज़ फ़रमाया था, आप दधियाल की तरफ़ से फ़ारूक़ी और ननिहाल की तरफ़ से अलवी थे।

तालीम और तर्बियत

आपके वालिद अब्दुलहक़ साहब रह० पैसे और जायदाद वाले और ख़ूब ख़र्च वाले इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे की तालीम व तर्बियत बड़ी मेहनत व मशक़्क़त और खुले दिल से की।

मौलाना की शुरू की तालीम थाना भवन में हुई। मौलाना फ़तह मुहम्मद साहब से अरबी की इब्तिदाई किताबें और फ़ारसी की दर्मियानी किताबें पढ़ीं। फिर अपने मामूं वाजिद अली साहब से फ़ारसी की ऊंची किताबों को पूरा किया।

देवबन्द में

ज़ीक़ादा सन् 1265 हि० में दारूल उलूम देवबन्द भेजे गए और यहां से सन् 1301 हि० में फ़ारिग़ हुए, उस वक़्त आपकी उम्र 18–20 वर्ष के दर्मियान थी।

देवबन्द से मौलाना मुहम्मद याक़ूब आप के ख़ास उस्ताद रहे। उन

ही की निगरानी में आपने उस ज़माने में इफ़्ता (फ़तवा देने की) मश्क़ भी की। उस ज़माने में आपको मुनाज़रा से भी दिलचस्पी थी और आर्यों के मुकाबले में कई मारके जीत लिए। आपके ज़ेहन और क़ाबिलियत को देखते हुए मौलाना मुहम्मद याक़ूब साहब ने पेशीनगोई फ़रमाई थी, 'जाहं जाओगे, बस तुम ही तुम होगे, बाक़ी सारा मैदान साफ़।

उस वक़्त के उस्तादों और बुज़ुर्गों में आपको मौलाना रशीद अहमद गंगोही रह० से बहुत ज़्यादा अक़ीदत व मुहब्बत थी जो ज़िंदगी के आख़िर तक क़ायम रही। एक बार किसी ज़रूरत से मौलाना गंगोही रह० देवबन्द तशरीफ़ लाये तो आपने बैअत की दर्ख़्वास्त की, मगर मौलाना ने मस्लहत न समझी। फिर जब 1266 हि० में मौलाना हज के लिए रवाना हुए तो आपने हज़रत हाजी साहब रह० की ख़िदमत में एक ख़त लिख भेजा कि वह मौलाना गंगोही रह० को आप की बैअत पर राज़ी फ़रमा लें, मगर इस ख़त के जवाब में हज़रत हाजी रह० ने ख़ुद ही आपके बातिन की तर्बियत अपने ज़िम्मे ले ली और जब सन् 1301 ई० में आप मक्का मुअज़्ज़मा हाज़िर हुए और इस बार आपने हज़रत शेख़ की ख़िदमत में लगभग छः महीने क़ियाम फ़रमाया। एक फ़ैज़ पहुंचाने की ताक़त इतनी ज़्यादा और दूसरी तरफ़ फ़ैज़ हासिल करने की चाहत इस दर्जा की, तो नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में शागिर्द व उस्ताद और पीर–मुरीद एक ही रंग में रंग गये। हज़रत हाजी साहब रह० मारे ख़ुशी के फ़रमाने लगे कि, 'बस, तुम ठीक–ठाक मेरे तरीक़े पर हो' अब अगर इल्म व मारफ़त कि, 'से मुताल्लिक़ हज़रत रह० से कोई कुछ पूछता, तो आप अपने इस ख़ास मुरीद की तरफ़ इशारा फ़रमा देते, 'इनसे पूछ लो' ये ख़ूब समझ गये है।'

दो नसीहतें

जब छः महीने के क़ियाम के बाद आप वतन लौटने लगे तो हज़रत हाजी रह० ने दो नसीहतें फ़रमायीं, जिनमें से एक यह थी कि जब कानपुर से दिल घबरा जाए तो बस थाना भवन ही में आकर अल्लाह के भरोसे बैठ जाएं। यह सन् 1311 हि० का वाक़िया है।

मक्का मुकर्रमा के इस छः महीने के क़ियाम में आपने मश्हूर आलिम क़ारी अब्दुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की से 'तज्वीद' का फ़न सीखा और इसमें महारत हासिल की।

सदर मुदर्रिस की हैसियत से

गुजर चुका कि सन् 1309 हि० में आपने कोर्स से छुट्टी पायी। इत्तिफ़ाक़ से उन दिनों कानपूर 'मदरसा फ़ैज़े आम' में सदर मुदर्रिस (हेड मास्टरी की जगह खाली थी। क्योंकि उसके सदर मुदर्रिस मौलाना अहमद हसन साहब किसी बात पे नाराज़ होकर अलग हो गये थे और आपकी आलिमाना ज़ात का असर यह था कि किसी आपके जानशीनी की हिम्मत न होती थी। हकीमुल उम्मत को यह सारी तफ़्सील मालूम न थी। जब मदरसे की तरफ़ से पेशकश हुई तो आपने अपने बुज़ुर्गों के मश्विरे से यह ख़िदमत क़ुबूल कर ली।

कानपूर पहुंच कर इस ज़िम्मेदारी के ओहदे से आपकी तबियत कुछ घबरा गयी, लेकिन अल्लाह की ग़ैबी मदद ने हर मुश्किल को आसान कर दिया और पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों में इस जवां उम्र सदर मुदर्रिस के इल्म व फ़ज़्ल का सिक्का बैठ गया। लेकिन कुछ ही महीने गुज़रे होंगे कि आपने मदरसे के ज़िम्मेदारों से नाराज़ होकर इस्तीफ़ा पेश कर दिया।

नये मदरसे की बुनियाद

वतन लौटने के ख़्याल से पहले हज़रत शाह फ़ज़लुर्रहमान साहब गंजमुरादाबादी की ख़िदमत में हाज़िर हुए। कानपुर वालों ने, जो आपके पढ़ने–पढ़ाने और वाज़ व नसीहत से पूरी अक़ीदत रखते थे, आपकी जुदाई को न पूरा हो पाने वाला नुक़्सान समझा और गंजमुरादाबाद से जब आप लौटे हैं तो मजबूर करके कानपूर ही में रोक लिया।

यहां आपने जामा मस्जिद कानपुर में एक नये मदरसे की बुनियाद डाली और उसका नाम 'जामिअुल उलूम' रखा जो आज तक क़ायम है।

इस मदरसे के ख़िदमत आपने 14 वर्ष तक अंजाम दी और जब इस मुद्दत में ऐसे लोग पैदा हो गये जो मदरसे को अच्छी तरह संभाल सकते थे और दूसरी तरफ़ जब कानपुर के क़ियाम से तबियत घबरा गयी तो आपने बड़े अच्छे ढंग से खुद को इस ज़िम्मेदारी से अलग कर लिया और हज़रत शेख़ की नसीहत के मुताबिक़ थाना भवन की खानक़ाह इम्दादिया में अल्लाह पर भरोसा करके क़ियाम फ़रमा लिया।

यह सन् 1315 हि० की बात है

थाना भवन में

थाना भवन पहुंच कर लोगों के ज़ाती सुधार और बातिनी तर्बियत का काम बहुत आगे बढ़ा। ख़ानक़ाह इमदादिया तो बतिनी मरीज़ों के इलाज का मर्कज़ बन गयी। आम आदमी हो या आलिम, नया हो या पुराना सब ही क़िस्म के लोग आने लगे और उनका आना इतना लगातार और इतना ज़्यादा हुआ कि वक़्त की हुकूमत ने खुद से क़स्बा थाना भवन को एक रेलवे स्टेशन क़रार दे दिया।

आपके मुरीद सैकड़ों नहीं हज़ारों हैं। सिर्फ़ उन लोगों की तायदाद जो मुरीद बनने के अह्ल करार दिए गए, डेढ़ सौ के क़रीब पहुंचती है, जो आप के बाद भी इस काम में लगे हुए हैं। और फ़ैज़ पहुचाने के इस हल्क़े का असर न सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान तक पहुंचा, बल्कि हिजाज और अफ्रीका और उन तमाम देशों में जहां–जहां हिन्दुस्तानी मुसलमान फैले हैं, ये असर बराबर मौजूद हैं।

आप 'सब कुछ' थे

आपकी ज़ात कमालों का मजमुआ और फ़ज़ाइल की जामेअ थी। हाफ़िज़, क़ारी मुदर्रिस, तफ़्सीर लिखने वाले, हदीस के माहिर फ़िक़्ह के आलिम, वाज़ करने वाले, सूफ़ी, फ़लसफ़ी, मुनाजरा करने वाले, नाज़िम, नाशिर (प्रकाशक) और ख़ानक़ाहनशीं, आप 'सब कुछ' थे, जिसकी हवाही आपकी इल्मी निशानियों से मिलती है, लेकिन इन सबसे बढ़कर यह कि आपने अपने फ़ज़ाइल व कमालात को तसव्वुफ़ की इस्लाह व तक्मील में लगा दिया।

इसलिए यह कहना गोया सही है कि आपको तमाम दूसरे इल्मी व अमली कमालात दिए ही इसलिए गये थे कि वह फ़न नये सिरे से जागे जो दुनिया में खींचातानी और हिन्दुस्तान में गुर्बत की हालत में था, जिसका असली मक़्सद गुम हो चुका था और जहां कहीं उसका नाम व निशान था भी तो वहां इल्म में सिर्फ़ 'वह्दतुल वजूद' और 'वह्दतुश्शुहूद' की अधूरी ताबीर पर और अमल में सिर्फ़ ज़िक्र व फ़िक्र व मुरा क़बा के कुछ उसूल पर पूरा–पूरा

भरोसा कर लिया गया था।

आप की कोशिशों का नतीजा

आपकी तालीम व तर्बियत, किताबें, वाज़ व तब्लीग़ की वजह से सही अक़ीदे की गूंज लोगों तक पहुंची, सही मस्अलों का फैलाव अमल में आया, दीनी तालीम का इन्तिज़ाम हुआ, रस्मों और बिद्अतों की जड़ें कटीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नतों को नयी ज़िंदगी मिली, जो ग़ाफ़िल थे, चूंकि, जो सोये थे, जागे, भूलों को याद आयी, बे–ताल्लुक़ों को अल्लाह तआला से ताल्लुक़ पैदा हुआ, रसूल सल्ल० की मुहब्बत से सीने गरमाये और अल्लाह की याद से दिल रोशन हुए और वह फ़न जो जौहर से ख़ाली हो चुका था, शिब्ली व जुनेद, बुस्तामी व जीलानी, सुहरावर्दी व सरहिंदी रह० जैसे बुज़ुर्गों के ख़ज़ानों से भर उठा।

वह एक मुजदिदद

यह शाने तज्दीद थी जो इस सदी में वक़्त के मुजद्दिद मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह० के लिए अल्लाह तआला ने मख़्सूस फ़रमाई।

वफ़ात

ग़रज़, इस क़दर फ़ैज़ पहुंचाने के बाद इल्म व इर्फ़ान का यह सूरज 16–17 रजब सन् 1362 हि० की दर्मियानी रात में 82 साल 3 माह 11 दिन की उम्र पाकर हमेशा के लिए डूब गया।

इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन

वफ़ात के पांच वर्ष पहले ही से मेदा व जिगर की ख़राबी ने परेशान कर रखा था, कभी क़बज़ होता और बराबर क़ायम रहता और कभी दस्त आते तो लगातार कई–कई दिन तक चले जाते। इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी, मगर—

मरज़ बढ़ता गया ज्यों–ज्यों दवा की।

यहां तक कि भूख बन्द हो गयी। बहुत ही कमज़ोर और निढाल हो गये,

और अक्सर बेहोशी रहने लगी, लेकिन जितनी देर होश रहता, हाज़िर रहने वालों को नसीहत भरी बातें कहते–सुनाते और उस वक़्त पता भी न चलता कि आपके दिमाग़ पर बीमारी ने कुछ असर डाला है।

एक वाक़िआ

एक वाक़िया ठीक इसी हालत का है। तीन सौ रूपए का एक मनीआर्डर आया, उसमें लिखा था, मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर कारोबार में कामयाबी होगी तो तीन सौ रूपए हज़रते वाला की ख़िदमत में भेजूंगा। चुनांचे वही रक़म ख़िदमत में भेजी जा रही है, आप मालिक हैं, जहां चाहें ख़र्च फ़रमायें।

इसका जवाब अपनी कमज़ोर उंगलियों से बड़ी कठिनाइयों के साथ यह दिया, पहले तो तुमने लिखा था कि आप मालिक हैं, बाद को अख़्तियार ख़र्च करने का दिया है, और यह वकील बनाने वाली सूरत हुई। चूंकि मालिक बनाने और वकील बनाने में शरई तौर पर फ़र्क़ है, इसलिए वापस किया जाता है।

मरज़ुल मौत के दिन गुज़रते गये। दोशंबा 15 रजब सन् 62 हि० को सुबह से बराबर दस्त आने लगे और दिन इसी तरह गुज़रा। रात आयी तो अपनी छोटी बीवी को बुलाकर पूछा कि क्या दोनों का ख़र्च अदा हो चुका है। जब तसल्ली भरा जवाब मिल गया, तो फ़रमाया, 'आज तो हम जा रहे हैं' इसके बाद बे–होशी छा गयी और सवा घंटे तक रही। सांस तेज़–तेज़ चलता रहा। और कितनी ही औरतों ने देखा जब सांस ऊपर आता तो आपकी बीच की और शहादत की उंगली के बीच में हथेली के पीछे से एक ऐसी तेज़ रोशनी निकलती कि जलते हुए क़ुमक़ुमे फीके पड़ जाते थे। रोशनी सांस के उतार–चढ़ाव के साथ आती–जाती रही और जब सांस आख़ीर हुआ तो यह नूर भी छिप गया। क्या अजब कि जिन उंगलियों से हक़ीक़तें और मारफ़तें काग़ज़ पर ढलती रहीं, यह नूर उसी का हो।

जनाज़ा

इन्तिक़ाल की ख़बर हवा की तरह फैली और चाहने वालों के दिलों पर बिजली बन कर गिरी। दिल्ली और उसके आस–पास के इलाक़ों से स्पेशल रेलगाड़ियां छूटीं और हज़ारों अक़ीदतमंद सुबह होते–होते थाना भवन पहुंच

गये। इन हज़ारों शैदाइयों के साथ मौलाना थानवी रह० का जनाज़ा निकला। ईदगाह में जनाज़े की नमाज़ पढ़ी गई और फिर खुद आप ही के वक़्फ़ किये क़ब्रस्तान में जिसका तारीख़ी नाम 'क़ब्रस्ताने इश्क़ बाज़ान' है, इस सच्चे आशिक़ के जिस्म को सुपुर्द ख़ाक किया गया। नव्वरल्लाहु मर्क़दहू०

एक वसीयत

यों तो हज़रत रह० ने जो वसीयतें फ़रमायी हैं, वह सबकी सब सर आंखों पर, लेकिन उनमें से सिर्फ़ एक नक़्ल की जाती है और इसी पर यह बात–चीत ख़त्म की जाती है।

आपने फ़रमाया—

जहां तक मुम्किन हो दुनिया और उसकी चीज़ों से जी न लगावें और किसी वक़्त भी आख़िरत की फ़िक्र से ग़ाफ़िल न हों। हमेशा ऐसी हालत में रहें कि अगर इसी वक़्त मौत का पैग़ाम आ जाए तो चिंता इसकी न हो—

लौ ला अख़्ख़र्तनी इला अ ज लिन क़रीब फ़ अस्सद्द क़ व अकुम मिनस्सालिहीन०

और हर वक़्त यह समझें, शायद अब सांस उखड़ जाए।

और हमेशा रात के गुनाहों से पहले दिन के और दिन के गुनाहों से पहले रात के इस्तग़्फ़ार करते रहें और जहां तक हो सके, बन्दों का हक़ अदा कर कर के अपना बोझ हल्का करते रहें।

आप की किताबें

आपने अपनी किताबें जिनकी तायदाद एक हज़ार के क़रीब है, अपने बाद अपनी यादगार छोड़ी। इनमें छः सौ के क़रीब तो वाज़ व नसीहतें हैं।

इन किताबों में सबसे बड़ी किताब 'तफ़्सीर बयानुल क़ुरआन है जो बारह हिस्सों में है।

इसके बाद फ़िक़्ह में 'फ़तावा इम्दादिया' है जो कई हिस्सों में है।

सबसे मश्हूर किताब 'बहिश्ती ज़ेवर' है जो इस वक़्त आपके हाथ में है, और जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मक़्बूल किताब है और जिस से करोड़ों आदमियों ने फ़ायदा उठाया है।

'आमाले क़ुरआनी' क़ुरआन की रोशनी में तैयार की गयी अमलियात

की किताब है।

इनके अलावा अक़ीदा सही करने, बिद्अतों का तोड़ करने और तसव्वुफ़ के बारे में आपकी बहुत–सी किताबें हैं।

तफ़्सीर बयानुल क़ुरआन के बारे में कहा जाता है कि अपनी ज़ुबान और अन्दाज़ के लिहाज़ से वैसी तफ़्सीर आज तक नहीं लिखी गयी। ज़ुबान निहायत आसान कि क्या शहरी, क्या देहाती, क्या आलिम, क्या जाहिल सभी उससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। आयतों के शाने नुज़ूल, लफ़्ज़ों के मतलब व मआनी, वाक़िआत की तर्तीब, फ़िक़्ह के मस्अले–ये और इसी तरह की दूसरी चीज़ों ने इस तफ़्सीर की अहमियत बढ़ा दी है।

'इस्लाहुर्रुसूम' मुसलमानों में पायी जानी वाली रस्मों की इस्लाह और सुधार से मुताल्लिक़ है। इस किताब में हर क़िस्म की रस्मों को इस्लाम की कसौटी पर कसा गया है, और जो चीज़ कसौटी पर पूरी नहीं उतरी है, तो उसे खोटा क़रार दे दिया गया है। ज़ाहिर है खोटी चीज़ बाज़ार से कोई नहीं खरीदता, जान–बुझ कर खोटी चीज़ लेना नादानी है, तो फिर खोटी रस्मों को अपना कर क्यों अपनी आक़बत ख़राब की जाए।

आपकी किताब 'तालीमुद्दीन' कम पढ़े–लिखे बच्चों–बच्चियों के लिए एक बड़ी मुफ़ीद किताब है। इसमें अक़ीदों पर भी बहस है, शिर्क और बिद्अतों की बुराइयां भी बतायी गयी हैं। जो कुछ भी है, सब हदीस व क़ुरआन की रोशनी में है।

इसी तरह बच्चों की एक किताब आपकी 'हयातुल मुस्लिमीन' भी है, जो बच्चों को दीन से मुहब्बत पैदा कराने के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे बड़े भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।

आपने आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर भी क़लम उठाया और ख़ूब उठाया। 'नश्रूत्तीब फ़ी ज़िकिन्नबी यिल हबीब' सीरत ही की किताब है, जिसमें हर वाक़िए को पूरे हवालों के साथ, दलील भरे अन्दाज़ में लिखा गया है। सीरत पर ऐसी ठोस और दलीलों भरी किताब बहुत कम मिलती है।

आपके वाज़ व नसीहत, जो बहुत ज़्यादा क़ीमती जवाहरपारों से कम नहीं 'मवाइज़े ह–स–ना कामिल' के नाम से अब तक चार हिस्सों में छप चुके हैं।

इंसान की उसूली और पाकीज़ा ज़िंदगी बनाने के लिए इन 'मवाइज़े ह–स ना' के चारों हिस्सों का पढ़ना निहायत ज़रूरी है।

पहले दोनों हिस्सों में रमज़ान के आदाब व इबादत और दीनी इल्म की तलब पर बड़ी इब्रत व नसीहत की बातें हैं। साथ ही मुराक़बे का बड़ा ज़ोरदार बयान भी है। मुहिसने इन्सानियत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की रोशन हिदायतों और मोमिनों पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक़ूक़ क्या हैं, यह ज़िक्रे रसूल सल्ल० और मुहब्बते रसूल सल्ल० का नादिर नमूना है।

तीसरे और चौथे हिस्से में वाज़ व नसीहतें हैं। पहला वाज़ 'वाजुल मुजाहिद' है, यानी अल्लाह की राह में आने वाली आजमाइशों पर जमे रहना असल हिदायत है।' दूसरा वाज़ दुआओं और उसकी कुबूलियत पर आरिफ़ाना बहस से मुताल्लिक़ है। तीसरा वाज़ ज़िक्र व फ़िक्र के अस्रार (मर्मों) का दलील भरा बयान है। चौथा वाज़ अल्लाह वालों पर मुसीबतें व मुश्किल आएं, तो कैसे उनसे निबटना चाहिए। पांचवां वाज़ अल्लाह के दरबार की ज़रूरी हाज़िरी से मुताल्लिक़ है। वहां की शर्म से बचने के लिए कैसी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। इसके अलावा नबियों से मुहब्बत का मतलब, नेकियों का शौक़, बुराइयों से नफ़रत, इस्लाम की चाश्नी हासिल करने के तरीक़े, सदमों और ग़मों से निजात हासिल करने के लिए सही रास्ता और हर खुशी और ना–खुशी बर्दाश्त करने का सच्चा दर्स और सही सबक़ लेने के लिए इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहिए।

हज़रत मौलाना की एक और किताब 'हुक़ूक़ुल बैत' है जिसमें मुस्लिम घरानों को संवारने की बेहतरीन नसीहतें हैं। किताब व सुन्नत की रोशनी में एक ख़ाका बनाया गया है, जिसमें रह कर हर मुसलमान घराना जन्नत बन सकता है।

मौलाना की एक किताब 'फ़ज़ाइले इस्तग़फ़ार' भी है। कौन नहीं जानता कि नबियों के अलावा दुनिया का हर आदमी गुनाह कर सकता है, गुनाहगार होता है। ये गुनाह या तो सज़ा की वजह बनेंगे या माफ़ कर दिए जाएंगे। सज़ा और वह भी आख़िरत की सज़ा, ख़ुदा की पनाह, कितनी सख़्त होगी, सोचा नहीं जा सकता। बस एक ही रास्ता है, तौबा, इस्तग़फ़ार। इसी इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत व अहमियत पर यह किताब अपनी मिसाल आप है।

मौलाना की हर किताब इसी तरह की वाज़ व नसीहत की बातों से भरी हुई है और पढ़ने–समझने वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है, अमल वालों के लिए तो उनकी हैसियत राहनुमा की है।

अल्लाह तआला हम सबको अच्छी बातों पर अमल करने और बुरी बातों के छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन०

असली बहिश्ती ज़ेवर

विषय–सूची

क्या ? कहां ?

पहला हिस्सा (1–64)

- असली इंसानी ज़ेवर 7
- सच्ची कहानियां 10
  - पहली कहानी 10
  - दूसरी कहानी 11
  - तीसरी कहानी 12
  - चौथी कहानी 13
- अक़ीदों का बयान 16
- फ़स्ल (कुफ़्र और शिर्क की बातें) 25
- बिदअतों, बुरी रस्मों, और बुरी बातों का बयान 26
- कुछ बड़े–बड़े गुनाह जिनके करने वाले पर बहुत सख़्ती आई है 28
- गुनाहों से दुनिया के कुछ नुक़्सानों का बयान 29
- इबादत से दुनिया के कुछ फ़ायदों का बयान 29
- वुज़ू का बयान 30
- वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों का बयान 35
- गुस्ल का बयान 40
- किस पानी से वुज़ू करना और नहाना दुरूस्त है और किस पानी से नहाना दुरूस्त नहीं 43
- कुएं का बयान 47
- जानवरों के जूठे का बयान 50
- तयम्मुम का बयान 52
- मोज़ों पर मसह करने का बयान 58
- वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों का बयान 60

क्या ? कहां ?

- जिन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है, उनका बयान 61

दूसरा हिस्सा (65–144)

- नजासत के पाक करने का बयान 67
- इस्तिंजे का बयान 73
- नमाज़ का बयान 75
- नमाज़ के वक़्तों का बयान 76
- नमाज़ की शर्तों का बयान 79
- नीयत करने का बयान 81
- क़िब्ले की तरफ़ मुंह करने का बयान 82
- फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के तरीक़े का बयान 83
- क़ुरआन मजीद पढ़ने का बयान 89
- नमाज़ तोड़ देने वाली चीज़ों का बयान 90
- जो चीज़ें नमाज़ में मकरूह और मना हैं उनका बयान 92
- जिन वजहों से नमाज़ का तोड़ देना दुरूस्त है, उनका बयान 95
- वित्र नमाज़ का बयान 96
- सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ों का बयान 97
- फ़स्ल 102
- इस्तिख़ारे की नमाज़ का बयान 103
- तौबा की नमाज़ का बयान 105
- क़ज़ा नमाज़ों के पढ़ने का बयान 105
- सज्दा सह्व का बयान 108
- सज्दा तिलावत का बयान 114
- बीमार की नमाज़ का बयान 117
- सफ़र की हालत में नमाज़ पढ़ने का बयान 120
- घर में मौत हो जाने का बयान 124
- नहलाने का बयान 126
- कफ़नाने का बयान 128
- हैज़ और इस्तिहाज़े का बयान 131

क्या ? कहां ?

- हैज़ के हुक्मों का बयान 134
- इस्तिहाज़ा और माज़ूर के हुक्मों का बयान 136
- निफ़ास का बयान 138
- निफ़ास और हैज़ वग़ैरह के हुक्मों का बयान 140
- जवान होने का बयान 143

तीसरा हिस्सा (145–224)

- रोज़े का बयान 147
- रमज़ान शरीफ़ के रोज़े का बयान 148
- चांद देखने का बयान 150
- क़ज़ा रोज़े का बयान 152
- नज़्र के रोज़े का बयान 153
- नफ़्ल रोज़े का बयान 154
- जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और जिन चीज़ों से टूट जाता है और क़ज़ा या कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है, उनका बयान 156
- सहरी खाने इफ़्तार करने का बयान 160
- कफ़्फ़ारे का बयान 161
- जिन वजहों से रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, उनका बयान 163
- जिन वजहों से रोज़ा रखना जायज़ है, उनका बयान 164
- फ़िदए का बयान 166
- एतिकाफ़ का बयान 168
- ज़कात का बयान 169
- ज़कात अदा करने का बयान 175
- पैदावार की ज़कात का बयान 177
- जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, उनका बयान 179
- सदक़ा–ए–फ़ित्र का बयान 182
- क़ुर्बानी का बयान 185
- अक़ीक़े का बयान 192

क्या ?	कहां ?
■ हज का बयान	193
■ मदीने की ज़ियारत का ज़िक्र	196
■ मन्नत मानने का बयान	197
■ क़सम खाने का बयान	201
■ क़सम के कफ़्फ़ारे का बयान	203
■ घर में जाने की क़सम खाने का बयान	204
■ खाने–पीने की क़सम खाने का बयान	206
■ न बोलने की क़सम खाने का बयान	207
■ बेचने और मोल लने की क़सम खाने का बयान	207
■ रोज़े–नमाज़ की क़सम खाने का बयान	208
■ कपड़े वग़ैरह की क़सम खाने का बयान	209
■ दीन (धर्म) से फिर जाने का बयान	210
■ ज़िब्ह करने का बयान	212
■ हराम व हलाल चीज़ों का बयान	212
■ नशे की चीज़ों का बयान	213
■ चांदी–सोने के बर्तनों का बयान	214
■ लिबास और परदे का बयान	214
■ कुछ और मस्अले	218
■ कोई चीज़ पड़ी पाने का बयान	221
■ वक़्फ़ का बयान	222

चौथा हिस्सा (225–296)

■ निकाह का बयान	227
■ जिन लोगों से निकाह करना हराम है, उनका बयान	229
■ वली का बयान	232
■ कौन–कौन लोग अपने मेल और अपने बराबर के हैं और कौन–कौन बराबर के नहीं	237
■ मह्र का बयान	238
■ मह्रे मिस्ल का बयान	243
■ काफ़िरों के निकाह का बयान	243

2 क्या ? कहां ?

- बीवियों में बराबरी करने का बयान 244
- दूध पीने और पिलाने का बयान 245
- तलाक़ का बयान 248
- तलाक़ देने का बयान 249
- रूख़्सती से पहले तलाक़ हो जाने का बयान 251
- तीन तलाक़ देने का बयान 252
- किसी शर्त पर तलाक़ देने का बयान 254
- बीमार के तलाक़ देने का बयान 256
- तलाक़े रज्अी में रज्अत कर लेने यानी रोक रखने का बयान 257
- बीवी के पास न जाने की क़सम खाने का बयान 259
- खुलअ़ का बयान 261
- बीवी को मां के बराबर कहने का बयान 264
- ज़िहार के कफ़्फ़ारे का बयान 266
- लिआन का बयान 267
- मियां के ला–पता होने का बयान 267
- इद्दत का बयान 268
- मौत की इद्दत का बयान 270
- सोग करने का बयान 272
- रोटी–कपड़े का बयान 273
- रहने के लिए घर मिलने का बयान 275
- लड़के के हलाली होने का बयान 276
- औलाद की परवरिश का बयान 278
- बेचने और मोल लेने का बयान 279
- क़ीमत के मालूम होने का बयान 281
- सौदा मालूम होने का बयान 283
- उधार लेने का बयान 285
- फेर देने की शर्त कर लेने का बयान 286
- अनदेखी चीज़ के ख़रीदने का बयान 288
- सौदे में ऐब निकल आने का बयान 288
- झूठ और ग़लत बैअ वग़ैरह का बयान 291

क्या ? कहां ?

पांचवां हिस्सा (297–370)

- नफ़ा लेकर या दाम के दाम बेचने का बयान 299
- सूदी लेन–देन का बयान 301
- चांदी–सोने और उसकी चीज़ों का बयान 301
- जो चीज़ें तौल कर बिकती हैं, उनका बयान 306
- बैअ सलम का बयान 310
- क़र्ज़ लेने का बयान 313
- किसी की ज़िम्मेदारी लेने का बयान 314
- अपना क़र्ज़ दूसरे पर उतार देने का बयान 315
- किसी का वकील कर देने का बयान 316
- वकील हटा देने का बयान 319
- मुज़ारबत का बयान यानी एक का रूपया, एक का काम 319
- अमानत रखने और खाने का बयान 321
- मांगे की चीज़ का बयान 324
- हिबा यानी किसी को कुछ दे देने का बयान 326
- बच्चों को देने का बयान 328
- देकर फेर लेने का बयान 330
- किराये पर लेने का बयान 331
- ग़लत इजारे का बयान 332
- जुर्माना लेने का बयान 334
- इजारा के तोड़ देने का बयान 335
- इजाज़त के बग़ैर किसी की चीज़ ले लेने का बयान 335
- साझेदारी का बयान 337
- साझे की चीज़ बांटने का बयान 339
- गिरवी रखने का बयान 340
- वसीयत का बयान 341
- शौहर के हक़ों का बयान 346
- मियां के साथ निबाह करने का तरीक़ा 347
- बच्चों के पालने–पोसने का तरीक़ा 352

क्या ? कहां ?

- खाने का तरीक़ा 356
- महफ़िल में उठने–बैठने का तरीक़ा 356
- हुक़ूक़ का बयान 357
- ज़रूरी बात 361
- कुछ मस्अले, जो बाद में याद आये 361
- कुछ मस्अले और 370
- इस हिस्से के पढ़ाने का तरीक़ा 370

छठा हिस्सा (371–452)

- नाच का बयान 373
- कुत्ता पालने और तस्वीरों के रखने का बयान 376
- आतशबाज़ी का बयान 376
- शतरंज, ताश, गंजफ़ा, चौसर, कंकव्वे का बयान 377
- बच्चों की बाबरी रखाने का यानी बीच में से सिर खुलवाने का बयान 377
- दूसरा बाब उन रस्मों के बयान में, जिनको लोग जायज़ समझते हैं 378
- बच्चा पैदा होने की रस्मों का बयान 379
- अक़ीक़े की रस्मों का बयान 386
- ख़त्ना की रस्मों का बयान 388
- मक्तब यानी बिस्मिल्लाह की रस्मों का बयान 390
- तक़रीबों में औरतों के जाने और जमा होने का बयान 391
- मंगनी की रस्मों का बयान 396
- ब्याह की रस्मों का बयान 399
- मह्र ज़्यादा बढ़ाने का बयान 425
- हज़रत फ़ातिमा रज़ि० का निकाह 426
- प्यारे नबी सल्ल० की बीवियों का निकाह 428
- शरअ़ के मुताबिक़ शादी का एक नया क़िस्सा 429
- बेवा के निकाह का बयान 431
- तीसरा बाब उन रस्मों के बयान में जिनको

क्या ? कहां ?

लोग दोनों दुनिया के सवाब की बात समझ कर करते हैं फ़ातिहा का बयान 433
■ उन रस्मों का बयान, जो किसी के मरने में बरती जाती हैं 440
■ रमज़ान शरीफ़ की कुछ रस्मों का बयान 445
■ ईद की रस्मों का बयान 446
■ बक़रीद की रस्मों का बयान 446
■ ज़ीक़ादा और सफ़र की रस्मों का बयान 447
■ रबीउल अव्वल या किसी और वक़्त में मीलाद शरीफ़ का बयान 447
■ रजब की रस्मों का बयान 448
■ शब–बरात का हलवा, मुहर्रम का खिचड़ा और शर्बत 449
■ तबर्रुकात की ज़ियारत के वक़्त इकट्ठा होना 450

सातवां हिस्सा (453–534)

■ आदाब, अख़्लाक़, सवाब और अज़ाब के बयान में इबादतों का संवारना वुज़ू और पाकी का बयान 455
■ नमाज़ का बयान 456
■ मौत और मुसीबत का बयान 456
■ ज़कात व ख़ैरात का बयान 457
■ रोज़े का बयान 457
■ क़ुरआन मजीद की तिलावत का बयान 458
■ दुआ व ज़िक्र का बयान 458
■ क़सम और मन्नत का बयान 460
■ मामलों का यानी बर्ताव का संवारना लेने–देने का बयान 461
■ निकाह का बयान 462
■ किसी को तक्लीफ़ देने का बयान 463
■ आदतों का संवारना खाने–पीने का बयान 464
■ पहनने–ओढ़ने का बयान 465
■ बीमारी और इलाज का बयान 466
■ ख़्वाब देखने का बयान 466
■ सलाम करने का बयान 467

क्या ?	कहां ?
■ बैठने–लेटने–चलने का बयान	467
■ सबमें मिलकर बैठने का बयान	467
■ ज़ुबान के बचाने का बयान	468
■ मुतफ़र्रिक़ बातों का बयान	469
■ दिल का संवारना ज़्यादा खाने के लालच की बुराई और उसका इलाज	470
■ ज़्यादा बोलने के लालच की बुराई और उसका इलाज	471
■ गुस्से की बुराई और उसका इलाज	472
■ जलन की बुराई और उसका इलाज	473
■ दुनिया और माल की मुहब्बत की बुराई और उसका इलाज	474
■ कंजूसी की बुराई और उसका इलाज	475
■ नाम और तारीफ़ चाहने की बुराई और उसका इलाज	476
■ घमंड और शेख़ी की बुराई और उसका इलाज	477
■ इतराने और अपने आपको अच्छा समझने की बुराई और उसका इलाज	478
■ नेक काम दिखावे के लिए करने की बुराई और उसका इलाज	478
■ एक ज़रूरी काम की बात	479
■ तौबा और उसका तरीक़ा	480
■ अल्लाह से डरना और उसका तरीक़ा	480
■ अल्लाह से उम्मीद रखना और उसका तरीक़ा	480
■ सब्र और उसका तरीक़ा	481
■ शुक्र और उसका तरीक़ा	482
■ अल्लाह पर भरोसा रखना और उसका तरीक़ा	482
■ अल्लाह से मुहब्बत और उसका तरीक़ा	483
■ अल्लाह के हुक्मों पर राज़ी रहना और उसका तरीक़ा	483
■ सच्ची नीयत और उसका तरीक़ा	483
■ दिल से ख़ुदा का ध्यान रखना और उसका तरीक़ा	484
■ क़ुरआन मजीद पढ़ने में दिल लगाने का तरीक़ा	484
■ नमाज़ में दिल लगाने का तरीक़ा	485

क्या ?	कहां ?
■ पीरी–मुरीदी का बयान	485
■ पीरी–मुरीदी से मुताल्लिक़ कुछ बातों की तालीम	487
■ मुरीद को, बल्कि हर मुसलमान को इस तरह रात–दिन रहना चाहिए	489
■ रसूलुल्लाह सल्ल० की हदीसों से कुछ कामों के सवाब का और बुरी बातों के अज़ाब का बयान, ताकि नेकियों से लगाव हो और बुराइयों से घिन हो नीयत ख़ालिस रखना	491
■ थोड़ा–सा हाल क़ियामत का और उनकी निशानियों का	514
■ ख़ास क़ियामत के दिन का ज़िक्र	521
■ जन्नत की नेमतों और दोज़ख़ की मुसीबतों का ज़िक्र	522
■ उन बातों का बयान कि उनके बग़ैर ईमान अधूरा रहता है	525
■ अपने नफ़्स की और आम आदमियों की ख़राबी	528
■ नफ़्स के साथ बर्ताव का बयान	529
■ आम आदमियों के साथ बर्ताव का बयान	532

आठवां हिस्सा (453–628)

■ नेक बीबियों के हाल में	539
■ पैग़म्बर साहब सल्ल० की पैदाइश और वफ़ात वग़ैरह का बयान	539
■ पैग़म्बर सल्ल० के मिज़ाज व आदत का बयान	542
■ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र	545
■ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मां का ज़िक्र	546
■ हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र	546
■ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र	547
■ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी का ज़िक्र	550
■ नमरूद काफ़िर बादशाह की बेटी की ज़िक्र	551
■ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों का ज़िक्र	551
■ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का ज़िक्र	552
■ हज़रत यूसुफ़ अलै० की ख़ाला का ज़िक्र	552
■ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां का ज़िक्र	553

क्या ?	कहां ?
■ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का ज़िक्र	554
■ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी का ज़िक्र	554
■ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की साली का ज़िक्र	556
■ हज़रत आसिया रज़ि० का ज़िक्र	556
■ फ़िर्औन की बेटी की ख़वास का ज़िक्र	557
■ हज़रत मूसा अलै० के लश्कर की एक बुढ़िया का ज़िक्र	558
■ हैसूर की बहन का ज़िक्र	559
■ हैसूर की मां का ज़िक्र	560
■ हज़रत सुलेमान अलै० की मां का ज़िक्र	560
■ हज़रत बिल्क़ीस का ज़िक्र	560
■ बनी इस्राईल की एक लौंडी का ज़िक्र	562
■ बनी इस्राईल की एक अक़्लमंद दीनदार बीबी का ज़िक्र	563
■ हज़रत मरयम अलै० की मां का ज़िक्र	564
■ हज़रत मरयम अलै० का ज़िक्र	565
■ हज़रत ज़करीया अलैहिस्सलाम की बीवी का ज़िक्र	566
■ हज़रत ख़दीजा रज़ि० का ज़िक्र	567
■ हज़रत सौदा रज़ि० का ज़िक्र	567
■ हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि० का ज़िक्र	568
■ हज़रत हफ़्सा रज़ि० का ज़िक्र	568
■ हज़रत ज़ैनब ख़ुज़ैमा की बेटी रज़ि० का ज़िक्र	569
■ हज़रत ज़ैनब हाशमिया रज़ि० का ज़िक्र	569
■ हज़रत उम्मे हबीबा रज़ि० का ज़िक्र	571
■ हज़रत जुवैरिया रज़ि० का ज़िक्र	572
■ हज़रत मैमूना रज़ि० का ज़िक्र	573
■ हज़रत सफ़िया रज़ि० का ज़िक्र	574
■ हज़रत ज़ैनब रज़ि० का ज़िक्र	575
■ हज़रत रूक़ैया रज़ि० का ज़िक्र	576
■ हज़रत उम्मे कुल्सूम रज़ि० का ज़िक्र	576
■ हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ि० का ज़िक्र	577
■ हज़रत हलीमा सादिया का ज़िक्र	579
■ हज़रत उम्मे ऐमन रज़ि० का ज़िक्र	579

क्या ? कहां ?

- हज़रत उम्मे सुलैम का ज़िक्र 580
- हज़रत उम्मे हराम का ज़िक्र 581
- हज़रत उम्मे अब्द रज़ि० का ज़िक्र 582
- हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़ि० की वालिदा का ज़िक्र 583
- हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० की वालिदा का ज़िक्र 583
- हज़रत अस्मा बिन्त असीम रज़ि० का ज़िक्र 584
- हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि० की वालिदा का ज़िक्र 585
- हज़रत फ़ातिमा बिन्त ख़त्ताब रज़ि० का ज़िक्र 585
- एक अंसारी औरत का ज़िक्र 586
- हज़रत उम्मे फ़ज़्ल लुबाना बिन्त हारिस का ज़िक्र 586
- हज़रत उम्मे सुलैत रज़ि० का ज़िक्र 587
- हज़रत हाला बिन्त खुवैलद का ज़िक्र 588
- हज़रत हिंद बिन्त उत्बा का ज़िक्र 588
- हज़रत उम्मे ख़ालिद रज़ि० का ज़िक्र 589
- हज़रत सफ़ीया रज़ि० का ज़िक्र 589
- हज़रत अबुल् हैसम रज़ि० की बीवी का ज़िक्र 590
- हज़रत अस्मा बिन्त अबी बक्र रज़ि० का ज़िक्र 590
- हज़रत उम्मे रोमान रज़ि० का ज़िक्र 591
- हज़रत उम्मे अतीया रज़ि० का ज़िक्र 592
- हज़रत बरीरह रज़ि० का ज़िक्र 592
- फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश और हुम्ना बिन्त जह्श और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० की बीवी ज़ैनब का ज़िक्र 592
- इमाम हाफ़िज़ इब्ने असाकिर की उस्ताद बीबियां 593
- हुफ़ैद बिन ज़ोहरा तबीब की बहन और भांजी 593
- इमाम यज़ीद बिन हारून की लौंडी 594
- इब्ने सिमाक कूफ़ी की लौंडी 594
- इब्ने जौज़ी की फूफी 595
- इमाम रबी अतुर्राए की मां 595
- इमाम बुख़ारी की मां और बहन 596
- क़ाज़ीज़ादा रूमी की बहन 596

क्या ?	कहां ?
■ हज़रत मुआज़ा अदवीया रह० का ज़िक्र	597
■ हज़रत राबिआ अदवीया रह० का ज़िक्र	597
■ हज़रत माजदा क़रशीया का ज़िक्र	598
■ हज़रत आइशा बिन्त ज़ाफ़र सादिक़ का ज़िक्र	598
■ रिबाह क़ैसी की बीवी का ज़िक्र	599
■ हज़रत फ़ातिमा नीशापुरी का ज़िक्र	599
■ हज़रत राबिआ या राबिया शामिया बिन्त इस्माईल का ज़िक्र	600
■ हज़रत उम्मे हारून का ज़िक्र	600
■ हबीब अजमी की बीवी हज़रत उमरः का ज़िक्र	601
■ हज़रत अमतुल जलील रह० का ज़िक्र	602
■ हज़रत उबैदा बिन्त किलाब का ज़िक्र	602
■ हज़रत अफ़ीरा आबिदा रह० का ज़िक्र	602
■ हज़रत शअ्वाना का ज़िक्र	603
■ हज़रत आमिन रमलीया रह० का ज़िक्र	603
■ हज़रत मंफ़ूसा बिंत ज़ैद बिन अबिल् फ़ूरास का ज़िक्र	604
■ हज़रत सैयदा नफ़ीसा रह० बिन्त हसन बिन ज़ैद बिन हसन बिन अली रज़ि० का ज़िक्र	605
■ हज़रत मैमूना सौदा का ज़िक्र	605
■ हज़रत रैहाना मज्नूना रह० का ज़िक्र	606
■ हज़रत सिरी सिक़्ती रह० की एक मुरीदनी का ज़िक्र	606
■ हज़रत तोहफ़ा रह० का ज़िक्र	607
■ हज़रत जुवैरिया रह० का ज़िक्र	609
■ हज़रत शाह बिन शुजाअ किरमानी की बेटी का ज़िक्र	609
■ हज़रत हातिम असम्म रह० की एक छोटी सी लड़की का ज़िक्र	610
■ हज़रत सित्तुल मुलूक का ज़िक्र	611
■ अबू आमिर वाइज़ की लौंडी का ज़िक्र	611
■ रिसाला क़िस्वतुन्निसवः	613
■ पहली फ़स्ल	614
■ आयतों का मज़मून	615
■ हदीसों का मज़मून	616
■ दूसरी फ़स्ल	618

क्या ? कहां ?
- मिश्कात से बढ़ाया गया हिस्सा 623
- तीसरी फ़स्ल 624
- आठवें हिस्से के मज़मून का बाक़ी हिस्सा 628

नवां हिस्सा (629–660)

- हवा का बयान 632
- खाने का बयान 633
- पानी का बयान 637
- आराम और मेहनत का बयान 638
- इलाज कराने में जिन बातों का ख़्याल रखना ज़रूरी है 639
- कमज़ोरी के वक़्त के उपायों का बयान 643
- सफ़र के ज़रूरी उपायों का बयान 644
- हमल के उपायों और एहतियातों का बयान 645
- हमल गिर जाने के उपायों का बयान 647
- ज़च्चा के उपायों का बयान 647
- बच्चों के उपायों और एहतियातों के बयान 649
- झाड़–फूंक का बयान 651

दसवां हिस्सा (661–700)

- कुछ बातें सलीक़े और आराम की 664
- ऐब और तक्लीफ़ की कुछ बातें जो औरतों में पायी जाती हैं 669
- तजुर्बे और इंतिज़ाम की कुछ बातें 675
- बच्चों की एहतियात का बयान 682
- नेकियों और नसीहतों की कुछ बातें 685
- हाथ के हुनर और पेशे का थोड़ा सा बयान 690
- कुछ पैग़म्बरों और बुज़ुर्गों के हाथ के हुनर का बयान 691
- लिखने–पढ़ने का बयान 692
- पहला मज़्मून 695

क्या ?	कहां ?
■ दूसरा मज़्मून	697
■ तीसरा मज़्मून	698
■ असली इन्सानी ज़ेवर	669

ग्यारहवां हिस्सा (701–880)

■ दीबाचा	705
■ पहले हिस्से का ततिम्मा—ज़रूरी इस्तिलाहें	706
■ तहारत (पाकी) का बयान—पानी के इस्तेमाल का हुक्म	708
■ पाकी–नापाकी के कुछ मस्अले	709
■ पेशाब–पाख़ाना के वक़्त जिन बातों से बचना चाहिए	714
■ जिन चीज़ों से इस्तिंजा दुरूस्त नहीं	714
■ जिन चीज़ों से इस्तिंजा दुरूस्त है	715
■ वुज़ू का बयान	715
■ मोज़ों पर मसह करने का बयान	716
■ बे–वुज़ू होने की हालत के हुक्म	717
■ गुस्ल का बयान	718
■ जिन शक्लों में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं	721
■ जिन शक्लों में गुस्ल वाजिब नहीं	722
■ जिन शक्लों में गुस्ल वाजिब है	722
■ जिन शक्लों में गुस्ल सुन्नत है	723
■ जिन शक्लों में गुस्ल करना मुस्तहब है	723
■ बे–गुस्ल होने के हुक्म	724
■ तयम्मुम का बयान	726
■ ततिम्मा दूसरा हिस्सा—नमाज़ के वक़्तों का बयान	728
■ अज़ान का बयान	729
■ अज़ान व इक़ामत के हुक्म	731
■ अज़ान और इक़ामत की सुन्नतें वग़ैरह	733
■ कुछ और मस्अले	736
■ नमाज़ की शर्तों का बयान तहारत (पाकी) के मस्अले	737
■ क़िब्ला के मस्अले	739

क्या ?	कहां ?
■ नीयत के मस्अले	739
■ तक्बीर तह्रीमा का बयान	740
■ फ़र्ज़ नमाज़ के कुछ मस्अले	740
■ तहीयतुल मस्जिद	743
■ सफ़र की नफ़्लें	744
■ क़त्ल की नमाज़	745
■ तरावीह का बयान	745
■ चांद गरहन व सूरज गरहन की नमाज़	747
■ इस्तिस्क़ा की नमाज़ का बयान	748
■ नमाज़ के फ़र्ज़ों–वाजिबों के मुताल्लिक़ कुछ मस्अले	749
■ नमाज़ की कुछ सुन्नतें	750
■ जमाअत का बयान	752
■ जमाअत की बड़ाई और ताकीद	752
■ जमाअत की हिक्मतें ओर फ़ायदे	761
■ जमाअत के वाजिब होने की शत	762
■ जमाअत के सही होने की शर्तें	763
■ जमाअत के हुक्म	771
■ मुक़्तदी और इमाम के मुताल्लिक़ मस्अले	773
■ जमाअत में शामिल होने न होने के मस्अले	780
■ नमाज़ जिन चीज़ों से फ़ासिद होती है	782
■ नमाज़ जिन चीज़ों से मकरूह हो जाती है	785
■ नमाज़ में हदस हो जाने का बयान	786
■ सह्व के कुछ मस्अले	790
■ नमाज़ क़ज़ा हो जान के मस्अले	790
■ मरीज़ के कुछ मस्अले	790
■ मुसाफ़िर की नमाज़ के मस्अले	791
■ डर की नमाज़	793
■ जुमा की नमाज़ का बयान	795
■ जुमा की बड़ाई	796
■ जुमा के आदाब	799
■ जुमा की नमाज़ की बड़ाई और ताकीद	802

क्या ?	कहां ?
■ जुमा की नमाज़ के वाजिब होने की शर्तें	805
■ जुमा की नमाज़ के सही होने की शर्तें	806
■ जुमा के खुत्बे के मस्अले	807
■ नबी सल्ल० का खुत्बा, जुमा के दिन	809
■ नमाज़ के कुछ मस्अले	812
■ ईदों की नमाज़ का बयान	813
■ काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ने का बयान	817
■ सज्दा तिलावत का बयान	819
■ मय्यत के गुस्ल के मस्अले	820
■ मय्यत के कफ़न के कुछ मस्अले	822
■ जनाज़े की नमाज़े के मस्अले	822
■ दफ़न के मस्अले	829
■ शहीद के हुक्म	833
■ जनाज़े के दूसरे मस्अले	836
■ मस्जिद के हुक्म	839
■ ततिम्मा तीसरा हिस्सा—रोज़े का बयान	841
■ एतकाफ़ के मस्अले	844
■ ज़कात का बयान	848
■ साइमा जानवरों की ज़कात का बयान	849
■ ऊंट का निसाब	850
■ गाय और भैंस का निसाब	851
■ बकरी–भेड़ का निसाब	852
■ ज़कात के अलग–अलग मस्अले	852
■ ततिम्मा बहिश्ती ज़ेवर पांचवां हिस्सा	854
■ बालों के बारे में हुक्म	854
■ शुफ़आ का बयान	856
■ खेती या फल की बटाई का बयान	857
■ नशेदार चीज़ों का बयान	859
■ शिर्कत का बयान	860
■ असली बहिश्ती गौहर—क़ब्रों की ज़ियारत का बयान	863
■ दूसरा ततिम्मा बहिश्ती गौहर मां–बाप के हक़ूक़	875

दावत व तब्लीग़ का काम करने वालों के लिए
हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहब मद्द ज़िल्लहू की तैयार की हुई,

हिंदी में मदनी असली

तब्लीगी निसाब

का अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसमें सात किताबें, जो तब्लीग़ की जान है, शामिल हैं।

1. **हिकायाते सहाबा रज़ि०**—जिसमें सहाबी मर्दों, सहाबी औरतों, सहाबी बच्चों के ज़ुह्द व तक़्वा, फ़क़्र व इबादत, इल्मी मशाग़िल, ईसार व हमदर्दी, हिम्मत व बहादुरी के ईमान बढ़ाने वाले हालात बयान किये गये हैं।

2. **फ़ज़ाइले नमाज़**—इसमें वे हदीसें जमा फ़रमायी गयी हैं, जिनमें नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत, नमाज़ छोड़ने का अज़ाब, जमाअत के सवाब और उस के तर्क की सज़ाएं आयी हैं।

3. **फ़ज़ाइले ज़िक्र**—इसमें वे आयतें व हदीसें जमा की गयी हैं, जिन में ज़िक्र की बरकतें, कलमा-ए-तैयबा के फ़ज़ाइल और तीसरे कलमा यानी तस्बीहाते फ़ातिमा के सवाब वारिद हुए हैं। ख़ात्मा में सलातुत्तस्बीह का तफ़्सील से बयान है।

4. **फ़ज़ाइले तब्लीग़**—इसमें तब्लीग़ की अहमियत और उस के आदाब के अलावा मुबल्लिग़ों और आम लोगों के फ़राइज़ बताये गये हैं।

5. **फ़ज़ाइले कुरआन मजीद**—इसमें तो सब से पहले कुरआन पाक के फ़ज़ाइल में चालीस अहादीस मय तर्जुमा व शरह तहरीर फ़रमायी है, इस के बाद सात हदीसें कुरआन पाक के अलग-अलग हुक्मों में ज़िक्र फ़रमा कर ततिम्मा में इन सब मज़्मूनों पर तंबीह फ़रमायी है। आख़िर में एक दूसरी चहल हदीस का मय तर्जुमा इज़ाफ़ा फ़रमाया है।

6. **फ़ज़ाइले रमज़ान**—इसमें दस हदीसें रमज़ान शरीफ़ के फ़ज़ाइल में, सात हदीसें लैलतुल क़द्र के बारे में, तीन हदीसें एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल मे हैं। ख़ात्में में एक लम्बी हदीस है।

7. **फ़ज़ाइले दरूद शरीफ़**—इसमें दरूद शरीफ़ के फ़ज़ाइल और न पढ़ने पर डरावे, और ख़ास-ख़ास दरूदों के फ़ज़ाइल और आदाब व मसाइल और रोज़ा-ए-अक़्दस पर सलात व सलाम पढ़ने का तरीक़ा और दरूद शरीफ़ के मुताल्लिक़ पचास क़िस्से ज़िक्र किए गये है।

मौलाना मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलंदशहरी
की
मशहूर व मक़्बूल किताब

मरने के बाद क्या होगा ?

जिस में शामिल हैं—

अहवाले बर्ज़ख़

मौत के वक़्त और मौत के बाद यानी बर्ज़ख़ के ज़माने के हालात, मोमिन का क़ब्र में एज़ाज़ और कुफ़्फ़ार की ज़िल्लत व अज़ाब वग़ैरह की तफ़्सील बयान की गयी हैं।

हालाते जहन्नम

इससे क़ुरआनी आयतों और सही हदीसों की रोशनी में आख़िरत के क़ैदख़ाना यानी जहन्नम के हालात तफ़्सील से लिखे गये हैं।

मैदाने हश्र

क़ुरआन व हदीस की रोशनी में क़ियामत के मुफ़स्सल हालात, हश्र व नश्र, हिसाब व किताब की पूरी बात।

खुदा की जन्नत

इस में क़ुरआन मजीद और अहादीस की रोशनी में जन्नत और जन्नतियों के तफ़्सीली हालात जमा किये गये हैं।

कौन मुसलमान है जो

नमाज़ सीखना न चाहे

नमाज़

आप को—

- नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा
- नमाज़ में इस्तेमाल होने वाली दुआएं
- जनाज़े की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा
- अरबी मतन अरबी और देवनागरी दोनों में दे दिया गया है, तर्जुमा भी साथ है।
- हिंदी में तैयार की गयी यह किताब आप को नमाज़ पढ़ना सिख देंगी

दूसरी मज़हबी हिंदी किताबों के लिए हम से सम्पर्क करें—

(भाग-1)

बहिश्ती ज़ेवर

हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह०)

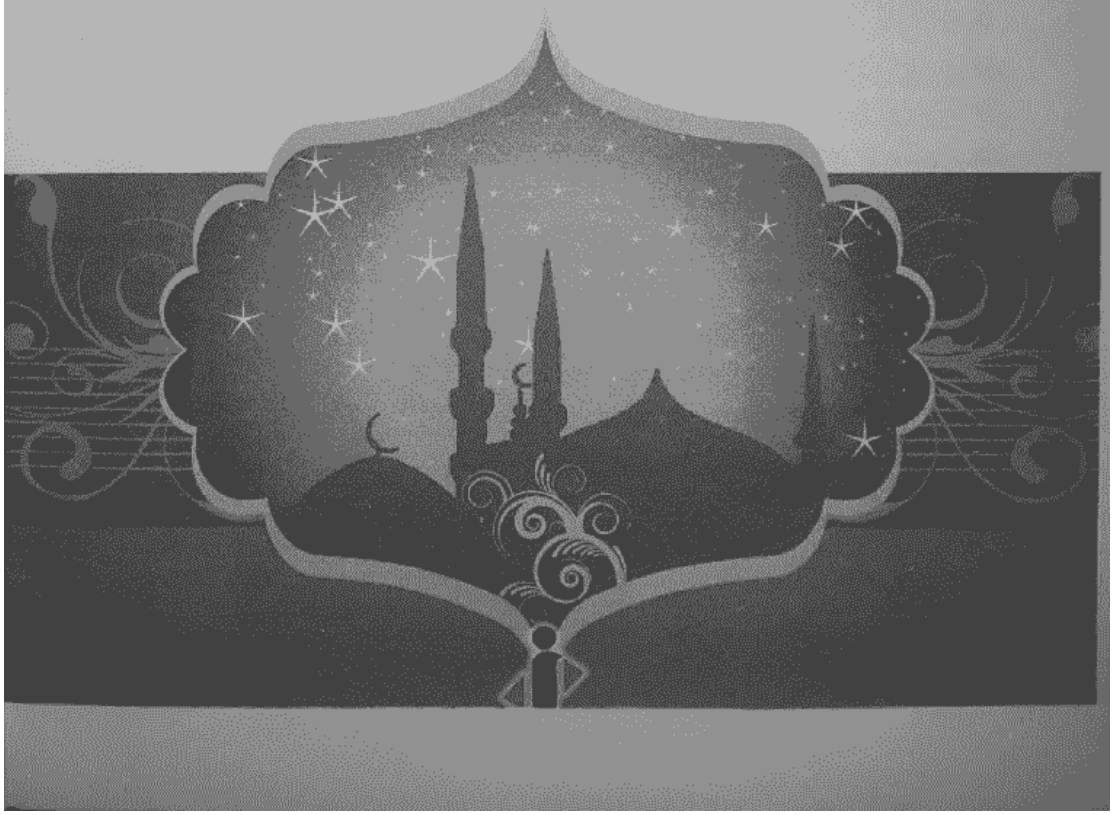

विषय सूची

क्या ?	कहां ?
■ असली इंसानी ज़ेवर	7
■ सच्ची कहानियां	10
पहली कहानी	10
दूसरी कहानी	11
तीसरी कहानी	12
चौथी कहानी	13
■ अक़ीदों का बयान	16
■ फ़स्ल (कुफ़्र और शिर्क की बातें)	25
■ बिदअतों, बुरी रस्मों, और बुरी बातों का बयान	26
■ कुछ बड़े–बड़े गुनाह जिनके करने वाले पर बहुत सख़्ती आई है	28
■ गुनाहों से दुनिया के कुछ नुक़्सानों का बयान	29
■ इबादत से दुनिया के कुछ फ़ायदों का बयान	29
■ वुज़ू का बयान	30
■ वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों का बयान	35
■ गुस्ल का बयान	40
■ किस पानी से वुज़ू करना और नहाना दुरूस्त है और किस पानी से नहाना दुरूस्त नहीं	43
■ जनवरों के झूठे का बयान	50
■ कुएं का बयान	47
■ तयम्मुम का बयान	52
■ मोज़ों पर मसह करने का बयान	58
■ वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों का बयान	60
■ जिन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है, उन का बयान	61

मदनी असली बहिश्ती ज़ेवर

का

पहला हिस्सा

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَالَ فِىْ كِتَابِهٖ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ
اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الْاَنْبِيَاءِ الَّذِىْ قَالَ
فِىْ خِطَابِهٖ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَبُ الْعِلْمِ
فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُتَاَدِّبِيْنَ وَالْمُؤَدِّبِيْنَ بِاٰدَابِهٖ

अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही या ऐयुहल्लज़ीन आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अह् लीकुम नारंव्वकूदुहन्नास वल हिजारतु व क़ालल्लाहु तआला वज़्कुर्न मा युत्ला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मति वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन सफ़्वतिल आंबियाइल्लज़ी क़ाल फ़ी ख़िताबिही कल्लुकुम राअिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअीयतिही व क़ाल अलैहिस्सलामु तलबुल अिल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिंव्व मुस्लिमतिव्व अला आलिही व अस्हाबिहिल मताद्दीन वल मुअद्दिबीन बिआदाबिही० अम्माबअदु—

हक़ीर नाचीज़ अशरफ़ अली थानवी हनफ़ी कहना यह चाहता है कि एक मुद्दत से हिंदुस्तान की औरतों के दीन की तबाही को देख–देखकर दिल दुखता था और उसके इलाज की चिंता में रहता था और चिन्ता की बड़ी वजह यह थी कि यह तबाही सिर्फ़ इनके दीन तक ही नहीं थी बल्कि दीन से गुज़र कर उनकी दुनिया तक पहुंच गई थी और उनकी ज़ात से गुज़र कर उनके बच्चों, बल्कि बहुत से पहलुओं से उनके शौहरों तक असर कर गई थी और जिस रफ़्तार से यह तबाही बढ़ती जाती थी उसके अंदाज़े से यह मालूम

होता था कि अगर जल्द सुधार न लाया गया, तो शायद यह रोग, क़रीब–क़रीब ला इलाज हो जाये, इसलिए ला इलाज की चिन्ता ज़्यादा हुई और इस तबाही की वजह, इलक़ाए इलाही[1] तजुर्बों, दलीलों और खुद ज़रूरी इल्म से सिर्फ़ यह मालूम हुई कि औरतों का दीनी इल्म का ल जानना है, जिससे उनके अक़ीदे, उनके मामले, उनके अख़्लाक़ और रहने–सहने का ढंग, सब बरबाद हो रहा है, बल्कि ईमान तक बचना मुश्किल है, क्योंकि कुफ़्र की कुछ बातें और कुछ काम भी उनसे हो जाते हैं और चूंकि बच्चे उनकी गोदों में पलते हैं, ज़ुबान के साथ उनके काम के रंग–ढंग, उनके विचार भी साथ–साथ मन में जाते हैं, जिससे उनका दीन तो उनका तबह होता ही है, मगर दुनिया भी बे–लुत्फ़ और नीरस हो जाती है। इस वजह से बुरे अक़ीदों से बुरे अख़्लाक़ और बुरे अख़्लाक़ से बुरे अमल और बुरे अमल से बुरे मामले पैदा होते हैं और यही जड़ है खाने–कमाने में गंदगी की। रहा शौहर, अगर उन्हीं जैसा हुआ, तो दो फ़सादियों के जमा होने से फ़साद (बिगाड़) में और तरक़्क़ी हुई, जिससे आख़िरत की तबाही ज़रूरी है, मगर ज़्यादातर इस फ़साद का अंजाम आपसी लड़ाई झगड़ों की शक्ल में निकल कर दुनिया की बर्बादी भी हो जाती है और अगर शौहर में समझ हुई तो उस बेचारे को जन्म भर की क़ैद मिल गई। बीवी की हर हरकत उस बेचारे शौहर के लिए तकलीफ़ पहुंचाने वाली, और उसकी हर नसीहत उस बीबी को ना–गवार और बोझ। अगर सब्र न हो सका, तो नौबत फूट और अलगाव तक पहुंच गई और अगर सब्र किया गया तो कड़ी क़ैद होने में संदेह ही नहीं और दीन का इल्म न रखने की वजह से उनकी दुनिया भी खराब होती है, जैसे, किसी की ग़ीबत[2] की, उससे दुश्मनी हो गई और उससे कोई नुक़्सान पहुंच गया और जैसे इज़्ज़त और नाम पैदा करने के लिए बेकार की रस्मों में ख़र्च किया और दौलतमंदी ग़रीबी में बदल गई और जैसे शौहर को नाराज़ कर दिया, उसने निकाल बाहर किया या लापरवाई के साथ नज़र फेर ली और जैसे औलाद का बेजा लाड–प्यार किया और वह बे–हुनर और ना–मुकम्मल रह गई और उनको देख–देखकर सारी उम्र कोफ़्त में गुज़ारी और जैसे माल व ज़ेवर का लालच बढ़ा और लालच जितना न मिला, तो तमाम उम्र उसी उधेड़बुन में काटी और इसी तरह बहुत से बिगाड़ ज़रूरी और छूत की तरह फैलने वाले इस न जानने की वजह से पैदा होते हैं,

1. अल्लाह की तरफ़ से दिल में डाली हुई बात,
2. किसी के पीछे उसकी ऐसी बुराई करना, जो उसे मालूम हो तो ना–गवार हो,

चूंकि हर चीज़ का इलाज उसकी ज़िद (उलट) से होता है इसलिए इसका इलाज दीनी इल्म का जानना यक़ीनी हो गया। इस वजह से एक लम्बी मुद्दत से इस सोच–विचार में था कि औरतों को पूरा एहतिमाम[1] करके इल्मे दीन को, उर्दू ही में क्यों न हो, ज़रूर सिखलाया जाये, इस ज़रूरत से मौजूदा उर्दू के रिसाले और किताबें देखी गयीं तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं पाई गईं, कुछ किताबें तो ग़लत थीं और एतबार के क़ाबिल ही नहीं पाई गयीं। कुछ किताबें जो एतबार के क़ाबिल थीं, उनकी इबारत[2] ऐसी आसान न थी, जो औरतों की समझ में आ सके। फिर इनमें ऐसे मज़ामीन[3] मिले–जुले थे, जिनका ताल्लुक़ औरतों से कुछ भी नहीं। कुछ किताबें औरतों के लिए पाई गयीं, लेकिन वे इतनी तंग और कम थीं कि ज़रूरी मस्अले और अह्काम के बतलाने के लिए काफ़ी नहीं, इसलिए सोचा गया कि एक किताब उनके लिए ख़ास ऐसी बनाई जाए कि जिसकी इबारत बहुत ही आसान हो, दीन की तमाम ज़रूरी बातें उसमें आ जायें और जो अह्काम सिर्फ़ मर्दों के साथ मख़्सूस हैं, उनको इसमें न लिया जाये और ऐसी मुकम्मल हो कि सिर्फ़ उसका पढ़ लेना, रोज़मर्रा की दीनी ज़रूरतों में और किताबों से बे–नियाज़ कर दे और यों तो दीन के इल्म का एक किताब में जमा कर देना, ज़ाहिर है, ना–मुम्किन है। इसी तरह मुसलमानों का उलेमा से बे–नियाज़ हो जाना भी ना–मुम्किन है। कई साल तक यह ख़्याल मन में पकता रहा, लेकिन मुख़्तलिफ़ रूकावटों की वजह से, जिसमें सबसे बड़ी रूकावट, वक़्त न मिलना है, इसके शुरू करने की नौबत न आई। आख़िर सन् 1320 हि० में जिस तरह बन पड़ा ख़ुदा का नाम लेकर उसको शुरू कर ही दिया और ख़ुदा का फ़ज़्ल शामिले हाल यह हुआ कि साथ ही इसके छपने का सामान भी कुछ हासिल हो गया। इसमें अल्लाह तआला ने रंगून के मदरसा–ए–निसवां सूरती के मुहतमिम[4] सेठ साहिब का और जनाब मौलाना अब्दुल ग़फ़्फ़ार साहिब लखनवी रहमतुल्लाह अलैहि की मर्हूमा साहबज़ादी का, जो हकीम अब्दुस्सलाम साहिब दानापुरी से ब्याही थीं, हिस्सा रखा था कि उनकी रक़मों से यह नेक काम शुरू हुआ, अल्लाह तआला कुबूल फ़रमाए। देखिए, आगे इसमें किस–किस का हिस्सा है। तालीफ़ (लेखन) इसकी, नाम के लिए इस नाकारा और नाचीज़

1. इंतिज़ाम, व्यवस्था,
2. .वाक्य और शब्द वग़ैरह,
3. विषय
4. प्रिंसिपल,

से जोड़ दी गई है, सच तो यह है कि इसके कुल करता–धरता मेरे प्यारे अज़ीज़ मौलवी सैयद अहमद अली साहिब फ़तहपुरी सल्लमूह हैं।

جزاهم الله تعالى خير الجزاء عني وعن جميع المسلمين والمسلمات

जज़ाहुमुल्लाहु तआला ख़ैरल जज़ाइ अन्नी व अन जमीअिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति

(अल्लाह तआला उन्हें मेरी तरफ़ से और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों की तरफ़ से बेहतरीन बदला दे।)

अब यह किताब, माशाअल्लाह[1] चश्मे बद्दूर अक्सर ज़रूरतों, बल्कि दीन के आदाब को, बल्कि खाने–कमाने तक की कुछ ज़रूरतों को भी इस तरह पूरा करती है कि अगर कोई इसको शुरू से आख़िर तक समझ कर पढ़ ले तो दीन क जानकारी में एक दर्मियानी क़िस्म के आलिम के बराबर हो जाये। इसके साथ ही इबारत इतनी आसान है कि इससे ज़्यादा आसान लिखना, हम लोगों के बस का न था। जिन बातों की औरतों को आमतौर से ज़रूरत नहीं होती, जैसे जुमा, दोनों ईद और इमामत वग़ैरह के अह्काम, उनको निकाल दिया गया है। सिर्फ़ दो क़िस्म के अह्काम लिए गए हैं :—

एक वे जो मर्दों–औरतों की ज़रूरतों में मिले जुले हैं।

दूसरे वे, जो कि औरतों के साथ मख़्सूस हैं। और इन मख़्सूस मस्अलों में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि हाशिए पर, इस सिलसिले में, मर्दों के लिए जो हुक्म हैं, उन्हें भी लिख दिया जाये, ताकि मर्द भी इससे फ़ायदा उठा सकें और ऐसे मस्अलों में ग़लती न कर सकें।

नाम इसका 'बहिश्ती ज़ेवर' औरतों के ज़ौक को ध्यान में रखकर रखा गया, क्योंकि असली ज़ेवर दीन के यही कमालात है, चुनांचे जन्नत में इन्हीं की बदौलत ज़ेवर पहनने को मिलेगा। जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है,—

كما قال الله تعالى يحلون فيها من أساور

युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविर०

---

1. जैसा अल्लाह ने चाहा

और नबी सल्ल० फ़रमाते हैं— وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء۔

'तब्लुगुल हिलयतु मिनल मूमिनि हैसु यब्लुगुल वुज़ूह०

चूंकि इस वक़्त सही अंदाज़ा नहीं हो सकता कि यह किताब कितने हिस्सों तक पहुंचेगी। इसलिए ख़त्म के इन्तिज़ार को भले काम में देर की वजह समझ कर मुनासिब मालूम हुआ कि इसके कई छोटे–छोटे हिस्से कर दिये जायें। इस तरह जल्द–जल्द छपेगी भी, और पढ़ने वालों का भी दिल बढ़ेगा कि हमने एक हिस्सा पढ़ लिया, दो हिस्से पढ़ लिए और तालीफ़ में भी गुंजाइश रहेगी कि जहां तक ज़रूरत समझो लिखते चले जाओ और यह भी फ़ायदा है कि अगर कोई लड़की कुछ हिस्सों में मज़ामीन को दूसरी किताबों से हासिल कर चुकी हो, तो पढ़ाने में उस हिस्से की कमी कर दी जायेगी, या किसी ख़ास वजह से कोई ख़ास हिस्सा ज़रूरी हो और पहले पढ़ाना हो, तो उसके पढ़ने–पढ़ाने में आसानी हो जायेगी।

चुनांचे यह पहला हिस्सा है, जो कि आप के हाथों में है। अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि जल्द और ख़ूबियों के साथ ख़ातमे को पहुंचे। इस दीबाचे[1] में दर्ज आयतों और हदीसों के साथ मर्दों पर वाजिब है कि इसमें अपनी बीबीयों और लड़कियों को लगायें और औरतों पर वाजिब है कि इसको हासिल करें, औलाद को, ख़ासतौर से लड़कियों को इस पर मुतवज्जह करें। दिल को उस वक़्त ख़ुशी होगी कि जो मज़ामीन ज़ेहन में हैं, वे सब जमा हो जाएं और छप जाएं और मैं अपनी आंखों से देख लूं कि लड़कियों के कोर्स में आमतौर से यह किताब दाख़िल हो गई है और घर–घर इसकी चर्चा हो रही है। आगे तौफ़ीक़ अल्लाह तआला के क़ब्ज़ा–ए–क़ुदरत में है।

मैं जिस वक़्त यह दीबाचा लिखने को था, परचा 'नूरून अला नूर' में एक नज़्म इस किताब के नाम और मज़्मून से मेल खाती हुई नज़र से गुज़री जो दिल को भली मालूम हुई। जी चाहा कि अपने दीबाचे को इसी पर ख़त्म करूं ताकि पढ़ने वाले, ख़ास तौर से लड़कियां देखकर ख़ुश हों और इस किताब के मज़्मूनों में उनको ज़्यादा दिलचस्पी हो, बल्कि अगर यह नज़्म इस किताब के हर हिस्से के शुरू में हो, तो क्या कहने—

वह नज़्म यह है।

---

1. तम्हीद, प्राक्कथन,

असली इंसानी ज़ेवर

एक लड़की ने यह पूछा अपनी अम्मी जान से,
आप ज़ेवर की करें तारीफ़ मुझ अन्जान से।
कौन से ज़ेवर हैं अच्छे, यह जात दीजे मुझे,
और जो बद–ज़ब[1] हैं, वह भी बता दीजे मुझे।
ताकि अच्छे और बुरे में मुझको भी हो इम्तियाज़[2],
और मुझ पर आपकी बरकत से खुल जाए यह राज़।
यों कहा मां ने मुहब्बत से कि ऐ बेटी ! मेरी,
गोशे दिल[3] से बात सुन लो, ज़ेवरों की तुम ज़री।
सीम[4] व ज़र[5] के ज़ेवरों को लोग कहते हैं भला,
पर न मेरी जान होना तुम कभी इन पर फ़िदा।
सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है,
चार दिन की चांदनी है फिर अन्धेरी रात है।
तुमको लाज़िम है करो मर्ग़ूब[6] ऐसे ज़ेवरात,
दीन व दुनिया की भलाई, जिससे ऐ जां ! आये हाथ।
सर पे झूमर अक़्ल का रखना तुम ऐ बेटी ! मुदाम[7]
चलते हैं, जिसके ज़रिए से ही सब इंसां के काम।
बालियां हो कान में ऐ जान ! गोशे होश की,
और नसीहत लाख तेरे झूमकों में ही भरी।

---

1. जो देखने में बुरे लगें,
2. फ़र्क़,
3. दिल के कान से ग़ौर से सुनो,
4. चांदी,
5. सोना,
6. पसंदीदा,
7. हमेशा

और आवेज़े नसायह[1] हों कि दिल आवेज़[2] हों,
गर करे उन पर अमल, तेरे नसीब तेज़ हों।
कान के पत्ते दिया करते हैं कानों को आज़ाब,
कान में रखो नसीहत, दें जो औराक़े किताब[3]।
और ज़ेवर गर गले के कुछ तुझे दरकार हों,
नेकियां प्यारी मेरी ! तेरे गले का हार हों।
क़ूवते बाज़ू का हासिल तुझको बाज़ूबंद हो,
कामियाबी से सदा तू खुर्रम व खुर्सद[4] हो।
है जो सब बाज़ू के ज़ेवर सब के सब बेकार हैं,
हिम्मतें बाज़ू की ऐ बेटी ! तेरी दरकार हैं।
हाथ के ज़ेवर से प्यारी दस्तकारी ख़ूब है,
दस्तकारी यह हुनर है, सबको जो मर्ग़ूब है।
क्या करोगी ऐ मेरी जां ! ज़ेवरे ख़लख़ाल को,
फेंक देना चाहिए बेटी, बस इस जंजाल को।
सब से अच्छा पांव का ज़ेवर यह है नूरे बसर,
तुम रहो साबित क़दम हर वक़्त राहे नेक पर।
सीम व ज़र का पांव में ज़ेवर न हो तो डर नहीं,
रास्ती से पांव फिसले गर न मेरी जां ! कहीं।

---

1. नसीहतों के बुंदें
2. मनमोहक,
3. किताब के पन्ने,
4. खुशाव कामियाब,

सच्ची कहानियां [1]

पहली कहानी

प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि किसी जंगल में एक शख़्स (व्यक्ति) रहता था। बदली में उसने यकायक यह आवाज़ सुनी कि फ़्लां शख़्स के बाग़ को पानी दे। इस आवाज़ के साथ वह बदली चली और एक कंकरीले–पथरीले इलाक़े में ख़ूब पानी बरसा और तमाम एक नाले में जमा हो कर चला। यह शख़्स उस पानी के पीछे हो लिया। देखता क्या है कि एक शख़्स अपने बाग़ में खड़ा हुआ बेलचे से पानी भर रहा है। उसने बाग़ वाले से पूछा कि ऐ अल्लाह के बन्दे ! तेरा क्या नाम है ? उसने वही नाम बताया, जो उसने बदली से सुना था। फिर बाग़ वाले ने उससे पूछा, ऐ ख़ुदा के बन्दे ! तू मेरा नाम क्यों पूछता है ? उसने कहा कि मैंने उस बदली में, जिसका यह पानी है, एक आवाज़ सुनी कि तेरा नाम लेकर कहा कि इसके बाग़ को पानी दे, तू ऐसा क्या काम करता है कि इतना मक़्बूल (क़ुबूल किया गया, यानी अपनाया गया) है ? उसने कहा, जब तूने पूछा, तो मुझको कहना ही पड़ा कि मैं इसकी कुल पैदावार को देखता हूं और एक तिहाई ख़ैरात कर देता हूं, एक तिहाई अपने बाल–बच्चों के लिए रख लेता हूं और एक तिहाई फिर इस बाग़ में लगा देता हूं।

फ़ायदा—सुब्हानल्लाह[2], ख़ुदा की क्या रहमत है कि जो उसके कहे पर चलता है, उसके अनजाने ही काम इस तरह पूरे हो जाते हैं कि उसे ख़बर भी नहीं होती। सच है, जो अल्लाह का हो गया, उसका अल्लाह हो गया।

---

1. ये तमाम कहानियां प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल० की फ़रमाई हुई कहानियां हैं, इसलिए इनके सच होने में ज़रा भी शुबह नहीं किया जा सकता।
2. तमाम ग़लतियों से पाक तो सिर्फ़ अल्लाह है।

दूसरी कहानी

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक बार फ़रमाया कि बनी इसराईल में तीन आदमी थे—एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह तआला ने उनको अज़माना चाहा, और उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा।

पहले वह कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है ? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और सुन्दर खाल मिल जाये और यह बीमारी जाती रहे, जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फ़रिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया, वह उसी वक़्त अच्छा हो गया और अच्छी खाल और सुन्दर रंग निकल आया। फिर पूछा तुझको कैसा माल पसंद है ? उसने कहा, ऊंट। उसने एक गाभिन ऊंटनी भी उसे दे दी और कहा, अल्लाह तआला इसमें बरकत दे।

फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है ? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आयें और यह बीमारी मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फ़रिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, वह तुरन्त अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आये। फिर पूछा, तुमको कैसा माल पसन्द है ? उसने कहा, गाय। फिर उसको एक गाभिन गाय दे दी और कहा, अल्लाह तआला इसमें बरकत दे।

फिर अंधे के पास आया और पूछा तुझको क्या चीज़ चाहिए ? कहा, अल्लाह तआला मेरी निगाह ठीक कर दे कि सब आदमियों के देखूं। उस फ़रिश्तें ने आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह तआला ने उसकी निगाह ठीक कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है ? कहा बकरी। तो उसको एक गाभिन बकरी दे दी।

तीनों के जानवरों ने बच्चे दिये। थोड़े दिनों में उसके ऊंटों से जंगल भर गया और उसकी गायों और उसकी बकरियों से भी।

फिर वह फ़रिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक ग़रीब आदमी हूं। मेरे सफ़र का सामान चुक गया है। आज मेरे पहुंचने का कोई साधन नहीं, सिवाय खुदा के और फिर तेरा। मैं अल्लाह के नाम पर, जिसने तुझे अच्छी रंगत और सुन्दर खाल दी, तुझसे एक ऊंट मांगता हूं कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। वह बोला, यहां

से चल दूर हो, मुझे और बहुत से हक़ अदा करने है, तेरे देने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फ़रिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूं। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे और क्या तू ग़रीब नहीं था, फिर तुझको खुदा ने इतना बहुत माल दिया। उसने कहा, वाह ! क्या ख़ूब, यह माल तो मेरी कई पीढ़ियों से बाप–दादा के वक़्त से चला आता है। फ़रिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही करदे, जैसा तू पहले था।

फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और उसी तरह से सवाल किया। उसने भी वैसा जवाब दिया। फ़रिश्ते ने कहा, तू झूठा हो तो फिर खुदा तुझको वैसा ही करदे, जैसे पहले था।

फिर अंधे के पास उस पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफ़िर हूं, बे–सामान हो गया हूं। आज खुदा के अलावा और फिर तेरे अलावा कोई साधन नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह दी, तुझसे एक बकरी मांगता हूं कि इससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूं। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ने अपनी रहमत से मुझे निगाह दी जितनी बकरियां, तेरा जी चाहे ले जा और जितनी चाहे छोड़ जा। खुदा की क़सम ! किसी चीज़ से मैं तुझको मना नहीं करता। फ़रिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख। मुझको कुछ नहीं चाहिए। तुम तीनों की सिर्फ़ आज़माइश मंज़ूर थी, सो हो चुकी। खुदा तुझसे खुश और उन दोनों से ना–खुश हुआ।

फ़ायदा—सोचना चाहिए कि उन दोनों की ना–शुक्री का नतीजा मिला कि तमाम माल छिन गया और जैसे थे, वैसे ही रह गये। खुदा उनसे ना–खुश हुआ और दुनिया और आख़िरत[1] दोनों में नाकाम रहे। और इस शख़्स को शुक्र की वजह से क्या बदला मिला कि माल बचा रहा और खुदा उससे खुश हुआ और दुनिया और आख़िरत में पूरी कामियाबी भी मिली।

तीसरी कहानी

एक बार हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कहीं से कुछ गोश्त आया और प्यारे नबी सल्ल० को गोश्त बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० ने नौकरानी से फ़रमाया कि गोश्त ताक़ में रख दे, शायद हज़रत खाना पसंद करें। उसने ताक़ में रख दिया। इतने में एक

1. लोक–परलोक

मांगने वाला आया और दरवाज़े पर खड़े होकर आवाज़ दी, भेजो अल्लाह के नाम पर, खुदा बरकत करे। घर में से जवाब आया, खुदा तुझको भी बरकत दे। इस लफ़्ज़ (शब्द) में यह इशारा है कि कोई चीज़ देने को मौजूद नहीं है। वह मांगने वाला चला गया।

इतने में अल्लाह के रसूल सल्ल० तशरीफ़ लाये। फ़रमाया, ऐ उम्मे सलमा ! तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है ? उन्होंने कहा, हां और नौकरानी से कहा, जा आपके लिए गोश्त लेती आ। वह गोश्त लेने गई। क्या देखती है कि वहां गोश्त का तो नाम भी नहीं है, सिर्फ़ एक सफ़ेद पत्थर का एक टुकड़ा रखा है। आपने फ़रमाया कि तुमने मांगने वाले को न दिया था, इसलिए वह गोश्त पत्थर बन गया।

फ़ायदा—विचार कीजिए, खुदा के नाम पर न देने की यह नहूसत हुई कि उस गोश्त की सूरत बिगड़ गई और पत्थर बन गया। इसी तरह जो शख़्स मांगने वाले से बहाना करके खुद खाता है, वह पत्थर खा रहा है, जिसका यह असर है कि पत्थर–दिली और दिल की सख़्ती बढ़ती चली जाती है। चूंकि हज़रत सल्ल० के घर वालियों के साथ खुदावन्द करीम की बड़ी इनायत और रहमत है, इसलिए इस गोश्त की सूरत खुली निगाहों में बदल दी, ताकि इसके इस्तेमाल से बची रहे।

चौथी कहानी

प्यारे रसूल सल्ल० की आदत थी कि फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर अपने साथियों की तरफ़ रूख करते और फ़रमाते कि तुम में से रात को किसी ने कोई सपना तो नहीं देखा ? अगर कोई देखता तो बता दिया करता था। आप उसका कुछ फल बता दिया करते थे। आदत के मुताबिक़ एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई सपना देखा है ? सभी ने कहा, नहीं देखा। आपने फ़रमाया, मैंने आज रात एक सपना देखा है कि दो आदमी मेरे पास आये और मेरा हाथ पकड़ कर मुझ को एक पवित्र धरती पर ले चले। देखता हूं कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का ज़ंबूर है, इस बैठे हुए के कल्ले को उससे चीर रहा है, यहां तक कि गुद्दी तक जा पहुंचा है, फिर दूसरे के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वह कल्ला उसका दुरूस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा, यह बात क्या है ? वे दोनों आदमी बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहां तक कि एक ऐसे शख़्स पर गुज़र हुआ, जो लेटा

हुआ है और उसके सिर पर एक आदमी बड़ा भारी पत्थर लिए हुए खड़ा है उससे उसका सिर बड़े ज़ोर से फ़ोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सिर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वह उसके उठाने के लिए जाता है तो लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सिर फिर अच्छा–भला जैसा था, वैसा ही हो जाता है और वह फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, यह क्या है ? वे दोनों बोले, आगे चलो।

हम आगे चले, यहां तक कि हम एक गुफ़ा में पहुंचे जो तनूर जैसा था, नीचे से कुशादा था और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही है और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं। जिस वक़्त वह आग ऊपर को उठती है उसके साथ ही वे सब उठ जाते हैं। यहां तक कि निकलने के क़रीब हो जाते हैं। फिर जिस वक़्त बैठती है, वे भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा, यह क्या है ? वे दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहां तक कि एक ख़ून की नहर पर पहुंचे। उसके बीच में एक आदमी खड़ा है और नहर के किनारे पर एक आदमी खड़ा है और उसके सामने बहुत–से पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अन्दर वाला आदमी नहर के किनारे की तरफ़ आता है। जिस वक़्त निकलना चाहता है किनारे वाला आदमी उसके मुंह पर एक पत्थर इस ज़ोर से मारता है कि वह अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वह निकलना चाहता है, उसी तरह पत्थर मार कर उसे हटा देता है। मैंने पूछा, यह क्या है ? वे बोले, आगे चलो।

हम आगे चले, यहां तक कि एक हरे बाग़ में जा पहुंचे। उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और पेड़ के क़रीब एक और आदमी बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है और वह उसको धौंक रहा है। फिर वे दोनों मुझको चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले गये और एक घर पेड़ के बीच में बहुत ख़ूबसूरत–सा बन रहा था, उसमें ले गये। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरतें–बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहां एक घर पहले घर से भी अच्छा था। उसमें ले गये। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों आदमियों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया। अब बताओ ये सब क्या भेद थे ?

उन्होंने कहा कि वह आदमी, जो तुमने देखा था कि उसके कल्ले चीरे जाते थे, वह आदमी झूठा है, झूठी बातें करता था और वे बातें पूरी दुनिया में मश्हूर हो जाती थीं। उसके साथ क़ियामत तक यों ही करते रहेंगे। जिसका सिर

फ़ोड़ते हुए देखा, वह ऐसा आदमी है कि अल्लाह तआला ने उसको क़ुरआन का ज्ञान दिया, वह रात को उससे गाफ़िल होकर सो रहा और दिन को उस पर अमल न किया। क़ियामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। जिसको तुमने आग की खोह में देखा, वे ज़िना करने वाले लोग हैं और जिसको ख़ून की नहर में देखा, वे ज़िना करने वाले लोग हैं और जिसको ख़ून की नहर में देखा, वह सूद (ब्याज़) खाने वाला है। पेड़ के नीचे जो बूढ़े–से थे, वह हज़रत इब्राहीम अलै० थे और उनके आस–पास जो बच्चे देखे, वह लोगों की ना–बालिग़ औलाद हैं और जो आग धौंक रहा है वह दोज़ख़ का दारोग़ा मालिक है और पहला घर, जिसमें अभी आप दाख़िल हुए, मुसलमानों का है और यह दूसरा घर शहीदों का है और मैं जिबरील हूं और ये मीकाईल हैं। फिर बोले, सिर ऊपर उठाओ। मैंने सिर उठाया, तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल दीख पड़ा, बोले यह तुम्हारा घर है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाख़िल हो जाऊं। बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाक़ी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकती, तो अभी चले जाते।

फ़ायदा—जानना चाहिए कि नबियों का सपना वह्य होता है। ये तमाम घटनाएं सच्ची हैं। इस हदीस से कई चीज़ें मालूम हुईं :—

एक, झूठ के बारे में कि सज़ा कैसी है,
दूसरे आलिम, बग़ैर अमल के बारे में,
तीसरे ज़िना के बारे में,
चौथे सूद के बारे में,
ख़ुदा सब मुसलमानों को इन कामों से बचाये रखे।

अक़ीदों[1] का बयान

अक़ीदा न० 1—तमाम आलम (सृष्टि) पहले बिल्कुल नापैद था, फिर अल्लाह तआला के पैदा करने से मौजूद हुआ।

अक़ीदा न० 2—अल्लाह एक है, वह किसी का मुहताज नहीं। न उसने किसी को जना, न वह किसी से जना गया, न कोई उसकी बीवी है। कोई उसके मुक़ाबले का नहीं।

अक़ीदा न० 3—वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा।

अक़ीदा न० 4—कोई चीज़ उसके जैसी नहीं, वह सबसे निराला है।

अक़ीदा न० 5—वह ज़िंदा है, हर चीज़ पर उसको कुदरत है। कोई चीज़ उसके ज्ञान से बाहर नहीं। वह सब कुछ देखता है, सुनता है, कलाम फ़रमाता है। उसका क़लाम (बोलना) हम लोगों के कलाम की तरह नहीं। जो चाहे करता है कोई उसको रोक टोक करने वाला नहीं। वही पूजने के क़ाबिल है, उसका कोई साथी नहीं, अपने बंदों पर मेहरबान है, बादशाह है, सब ऐबों से पाक है, वही अपने बंदों को सब आफ़तों से बचाता है। वही इज़्ज़त वाला है, बड़ाई वाला है, सारी चीज़ों का पैदा करने वाला है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं, गुनाहों का बख़्शने वाला है, ज़बरदस्त है, बहुत देने वाला है, रोज़ी पहुंचाने वाला है, जिसकी रोज़ी चाहे, तंग करदे और जिसकी चाहे, ज़्यादा करदे, जिसको चाहे, पस्त करदे, जिसको चाहे बुलंद करदे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। इंसाफ़ वाला है, बड़े तहम्मुल (सहनशीलता) और बर्दाश्त वाला है, ख़िदमत और इबादत की क़द्रदानी करने वाला है, दुआ को क़ुबूल करने वाला है, समाई वाला है, वह सब पर हाकिम है, उस पर कोई हाकिम नहीं, उसका कोई काम हिक्मत से खाली नहीं, वह सबका काम बनाने वाला है,

---

1. दिल से मानने और ज़ुबान से इक़रार करने का नाम अक़ीदा है, इस्लाम उन तमाम बातों को मानने और इक़रार करने को अक़ीदा कहता है जो बुनियाद है, जैसे ख़ुदा को एक मानना, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आख़िरी नबी मानना, वग़ैरह।

4 उसी ने सबको पैदा किया है, वही क़ियामत में फिर पैदा करेगा, वही जिलाता है, वही मारता है, उसकी निशानियों और कारीगरियों को सब जानते हैं, उसकी ज़ात की बारीकी को कोई नहीं जान सकता। गुनाह करने वालों की तौबा कुबूल करता है, जो सज़ा के क़ाबिल है, उनको सज़ा देता है, वही हिदायत करता है, दुनिया में जो कुछ होता है, उसी के हुक्म से होता है, बिना उसके हुक्म से पत्ता नहीं हिल सकता, न वह सोता है, न ऊंघता है, वह पूरी कायनात की हिफ़ाज़त से थकता नहीं, वही सब चीज़ों को थामे हुए है। इसी तरह तमाम अच्छी और कमाल की कारीगरियां उसमें हैं, ग़ैब[1] का जानने वाला है।

अक़ीदा न० 6—उसकी सब सिफ़तें[2] हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी और उसकी कोई सिफ़त कभी जा नहीं सकती।

अक़ीदा न० 7—मख़्लूक़[3] की सिफ़तों से वह पाक है और कुरआन और हदीस में कुछ जगहों पर, जो ऐसी बातों की ख़बर दी गई है, तो उनका मतलब अल्लाह के हवाले करें कि वही उसकी हक़ीक़त जानता है और हम बे-खोद-कुरेद किये इस तरह ईमान लाते हैं और यक़ीन करते है कि जो कुछ इसका मतलब है, वह ठीक और बरहक़[4] है और यही बात बेहतर है या इसके कुछ मुनासिब मतलब लगा लें, जिससे वह समझ में आ जाये।

अक़ीदा न० 8—कायनात में जो कुछ भला बुरा होता है, सबको अल्लाह तआला उसके होने से पहले हमेशा से जानता है और अपने जानने के लिहाज़ से उसको पैदा करता है। तक़दीर इसी का नाम है और बुरी चीज़ों को पैदा करने में बहुत से भेद हैं, जिनको हर एक नहीं जानता।

अक़ीदा न० 9—बंदों[5] को अल्लाह तआला ने समझ और इरादा दिया है, जिससे वे सवाब और अज़ाब के काम अपने मन से करते हैं, मगर बंदों को किसी काम के पैदा करने की ताक़त नहीं है। गुनाह के काम से अल्लाह तआला नाराज़ और सवाब के काम से खुश होते हैं।

अक़ीदा न० 10—अल्लाह तआला ने बंदों को ऐसे काम का हुक्म नहीं दिया, जो बंदों से न हो सके।

---

1. कायनात की तमाम छिपी हुई बातें,
2. गुण, विशेषताएं,
3. पैदा हुई चीज़ें, दुनिया की हर जानदार, बे-जान चीज़
4. हक़ पर, सच्ची बात,
5. यहां इंसान मुराद है।

अक़ीदा न० 11—कोई चीज़ ख़ुदा के ज़िम्मे ज़रूरी नहीं और जो कुछ मेहरबानी करे, उसका फ़ज़्ल[1] है।

अक़ीदा न० 12—बहुत से पैग़म्बर अल्लाह तआला के भेजे हुए बंदों को सीधी राह बतलाने आये और वे सब गुनाहों से पाक हैं। गिंती उनकी पूरी तरह अल्लाह ही को मालूम है, उनकी सच्चाई बतलाने को अल्लाह तआला ने उनके हाथों ऐसी नई–नई मुश्किल–मुश्किल बातें ज़ाहिर कीं, जो और लोग नहीं कर सकते, ऐसी बातों को मोजज़ा कहते हैं।

उनमें सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम थे और सबके बाद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं और बाक़ी बीच में हुए।

इनमें से कुछ बहुत मश्हूर हैं, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्हाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ज़करीया अलैहिस्सलाम, यह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इल्यास अलैहिस्सलाम, अल–यसअ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इद्रीस अलैहिस्सलाम, ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, शुऐब अलैहिस्सलाम।

अक़ीदा न० 13—सब पैगम्बरों की गिनती अल्लाह तआला ने किसी को नहीं बताई, इसलिए यों अक़ीदा रखे कि अल्लाह तआला के भेजे हुए जितने पैगम्बर हैं, हम उन सब पर ईमान लाते हैं, जो हमको मालूम हैं, उन पर भी और जो नहीं मालूम, उन पर भी।

अक़ीदा न० 14—पैग़म्बरों में कुछ का रूत्बा कुछ से बड़ा है। सबसे ज़्यादा मर्तबा हमारे पैग़म्बर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का है। और आपके बाद कोई नया पैग़म्बर नहीं आ सकता। क़ियामत तक जितने आदमी और जिन्न होंगे, आप सबके पैग़म्बर हैं।

अक़ीदा न० 15—हमारे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने जागते में जिस्म के साथ मक्का से बैतुल मक़्दिस में, और वहां से सातों आसमानों पर और वहां से, जहां तक अल्लाह को मंज़ूर हुआ, पहुंचाया और फिर मक्का में पहुंचा दिया, उसे मेराज कहते हैं।

अक़ीदा न० 16—अल्लाह तआला ने कुछ जीवों को नूर से पैदा करके

---

1. मेहरबानी

उनको हमारी नज़रों से छिपा दिया है, उनको फ़रिश्ते कहते हैं। बहुत से काम उनके हवाले हैं। वे कभी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते। जिस काम में लगा दिया है, उसमें लगे हैं। उनमें चार फ़रिश्ते बहुत मशहूर हैं—हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम।

अल्लाह तआला ने कुछ जीवों को आग से बनाया है, वे भी हमको दिखाई नहीं देते। इसको जिन्न कहते हैं। इनमें अच्छे और बुरे सब तरह के होते हैं। इनके औलाद भी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दुष्ट इब्लीस यानी शैतान है।

अक़ीदा न० 17—मुसलमान जब ख़ूब इबादत करता है और गुनाहों से बचता है और दुनिया से मुहब्बत नहीं रखता और पैग़म्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हर तरह ख़ूब ताबेदारी करता है, तो वह अल्लाह तआला का दोस्त और प्यारा हो जाता है, ऐसे शख़्स को वली कहते हैं। ऐसे शख़्स से कभी ऐसी–ऐसी बातें होने लगती हैं, जो औरों से नहीं हो सकतीं। इन बातों को करामत कहते हैं।

अक़ीदा न० 18—वली कितने ही बड़े दर्जे को पहुंच जाए, मगर नबी के बराबर नहीं हो सकता।

अक़ीदा न० 19—वली ख़ुदा का कितना ही प्यारा हो जाए, मगर जब तक होश व हवास बाक़ी हैं, शरअ का पाबन्द रहना फ़र्ज़ है। नमाज़, रोज़ा और कोई इबादत माफ़ नहीं होती। जो गुनाह की बातें हैं, वह उसके लिए दुरुस्त नहीं हो जातीं।

अक़ीदा न० 20—जो शख़्स शरीअत के ख़िलाफ़ हो वह ख़ुदा का दोस्त नहीं हो सकता। अगर उसके हाथ से कोई अचंभे की बात दिखाई दे, या तो वह जादू है या नफ़्स या शैतान का धंधा है, इसमें अक़ीदा न रखना चाहिए।

अक़ीदा न० 21—वली लोगों को कुछ भेद की बातें सोते–जागते में मालूम हो जाती है, इसको कश्फ़ या इल्हाम कहते हैं। अगर वह शरअ के मुताबिक़ है, तो क़ुबूल है और अगर शरअ के ख़िलाफ़ है, तो रद्द है।

अक़ीदा न० 22—अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दीन की सब बातें क़ुरआन व हदीस में बंदों को बतला दीं, अब कोई बात दीन में निकालना दुरुस्त नहीं, ऐसी नई बात को बिद्अत कहते हैं। बिद्अत बहुत बड़ा गुनाह है।

अक़ीदा न० 23—अल्लाह तआला ने बहुत सी छोटी–बड़ी किताबें

आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम की मारफ़त[1] बहुत से पैग़म्बरों पर उतारीं, ताकि वे अपनी-अपनी उम्मतों (मानने वालों) को दीन की बातें बतलायें-सुनायें। इनमें चार किताबे बहुत मश्हूर हैं—तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, कुरआन हमारे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को और कुरआन मजीद आख़िरी किताब है। अब कोई किताब आसमान से न आएगी। क़ियामत तक कुरआन मजीद ही का हुक्म चलता रहेगा।

दूसरी किताबों को गुमराह लोगों ने बहुत कुछ बदल डाला है, मगर कुरआन मजीद की हिफ़ाज़त का अल्लाह ने वायदा फ़रमाया है, उसको कोई नहीं बदल सकता।

अक़ीदा न० 24—हमारे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जिस-जिस मुसलमान ने देखा है, उनको सहाबी कहते हैं। उनकी बड़ी-बड़ी बुज़ुर्गियां आई हैं, इन सबसे मुहब्बत और अच्छा गुमान रखना चाहिए। अगर इनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा सुनने में आये, तो उसको भूल-चूक समझे, उनकी कोई बुराई न करे, उन सब में सबसे बढ़कर चार सहाबी हैं—हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यह पैग़म्बर साहब के बाद उनकी जगह पर बैठे और दीन का बन्दोबस्त किया, इसलिए पहले ख़लीफ़ा कहलाये। तमाम उम्मत में यह सबसे बेहतर हैं।

इनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यह दूसरे ख़लीफ़ा हैं। इनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यह तीसरे ख़लीफ़ा हैं। इनके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यह चौथे ख़लीफ़ा हैं।

अक़ीदा न० 25—सहाबी को इतना बड़ा रूतबा है कि बड़े से बड़ा वली भी अदना दर्जे[2] के सहाबी के बराबर मर्तबा में नहीं पहुंच सकता।

अक़ीदा न० 26—पैग़म्बर साहब की औलाद और बीवियां सब इज़्ज़त के क़ाबिल हैं। औलाद में सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है और बीवियों में हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है।

अक़ीदा न० 27—ईमान जब दुरूस्त होता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सब बातों में सच्चा समझे और

---

1. माध्यम,
2. छोटे दर्जे का,

इन सबको मान ले। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्ल० की किसी बात में शक करना, उसको झुठलाना या उसमें ऐब लगाना या उसके साथ मज़ाक उड़ाना, इन सब बातों से ईमान जाता रहता है।

अक़ीदा न० 28—कुरआन और हदीस के खुले-खुले मतलब को न मानना, और ऐंच-पेंच करके अपने मतलब बनाने को मानी गढ़ना, बददीनी बात की है।

अक़ीदा न० 29—गुनाह के हलाल समझने से ईमान जाता रहता है।

अक़ीदा न० 30—गुनाह चाहे कितना बड़ा हो, जब तक उसको बुरा समझता रहे, ईमान नहीं जाता, हां, कमज़ोर हो जाता है।

अक़ीदा न० 31—अल्लाह तआला से निडर हो जाना, ना उम्मीद हो जाना कुफ़्र है।

अक़ीदा न० 32—किसी से ग़ैब की बातें पूछना और उसका यक़ीन कर लेना कुफ़्र है।

अक़ीदा न० 33—ग़ैब का हाल, सिवाए अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता, हां, नबियों को वह्य से और वलियों को कश्फ़ और इल्हाम से और आम लोगों को निशानियों से कुछ बातें मालूम हो जाती हैं।

अक़ीदा न० 34—किसी का नाम लेकर काफ़िर कहना या लानत करना बड़ा गुनाह है, हां, यों कह सकते हैं कि ज़ालिमों पर लानत, झूठों पर लानत, मगर जिनका नाम लेकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत की है या उनके काफ़िर होने की ख़बर दी है, उनको काफ़िर मलऊन कहना गुनाह नहीं।

अक़ीदा न० 35—जब आदमी मर जाता है अगर गाड़ा जाये, तो गाड़ने के बाद और न गाड़ा जाये, तो जिस हाल में हो, उसके पास दो फ़रिश्ते, जिनमें एक मुन्कर, दूसरे को नकीर कहते हैं, आकर पूछते हैं, तेरा परवरदिगार, कौन है ? तेरा दीन क्या है ? हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पूछते है कि ये कौन हैं ? अगर मुर्दा ईमानदार है तो ठीक-ठीक जवाब देता है। फिर उसके लिए सब तरह का चैन है। जन्नत की तरफ़ की खिड़की खोल देते हैं, जिसमें ठंडी-ठंडी हवा और खुश्बू आती है और वह मज़े में पड़ कर सोता है और अगर मुर्दा ईमानदार न हो, तो वह सब बातों में कहता है कि मुझे कुछ ख़बर नहीं, उस पर बड़ी सख़्ती और अज़ाब क़ियामत तक होता रहता है और कुछ को अल्लाह तआला यह

इम्तिहान माफ़ कर देता है, मगर ये सब बातें मुर्दे को मालूम होती हैं। हम लोग नहीं देखते, जैसे सोता आदमी सपने में सब कुछ देखता है और जागता आदमी उसके पास बे-ख़बर बैठा रहता है।

अक़ीदा न० 36—मरने के बाद हर रोज़ सुबह और शाम मुर्दे का जो ठिकाना है, दिखा दिया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखला कर ख़ुशख़बरी देते हैं और दोज़ख़ी को दोज़ख़ दिखला कर हसरत बढ़ाते हैं।

अक़ीदा न० 37—मुर्दे के लिए दुआ या कुछ ख़ैरात वग़ैरह बख़्शने से उसको सवाब पहुंचता है, इससे उसको बड़ा फ़ायदा होता है।

अक़ीदा न० 38—अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जितनी निशानियां क़ियामत की बतलाई हैं, सब ज़रूर होने वाली हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे और ख़ूब इंसाफ़ से बादशाही करेंगे, काना दज्जाल निकलेगा और दुनिया में बहुत फ़साद मचायेगा, उसको मारने के वास्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और उसको मार डालेंगे। याजूज माजूज बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, वह तमाम ज़मीन पर फैल पड़ेंगे और बड़ा ऊधम मचायेंगे, फिर ख़ुदा के क़हर से हलाक़ होंगे। एक अजीब तरह का जानवर ज़मीन से निकलेगा और आदमियों से बातें करेगा। पच्छिम की ओर से सूरज निकलेगा कुरआन मजीद उठ जायेगा और थोड़े दिनों में मुसलमान मर जायेंगे और तमाम दुनिया काफ़िरों से भर जायेगी और इसके सिवा और बहुत सी बातें होंगी।

अक़ीदा न० 39—जब सारी निशानियां पूरी हो जायेंगी, तो क़ियामत का सामान शुरू होगा। हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम ख़ुदा के हुक्म से सूर फूंकेंगे, यह सूर एक बहुत बड़ी चीज़ सींग की शक्ल पर है और इस सूर के फूंकने से तमाम ज़मीन व आसमान फटकर टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे, तमाम जीव जंतु मर जायेंगे और जो मर चुके हैं उनकी रूहें बे-होश हो जायेंगी, मगर अल्लाह तआला को, जिनका बचाना मंज़ूर है, वे अपने हाल पर रहेंगे। एक समय इसी हालत पर गुज़र जायेगा।

अक़ीदा न० 40—फिर जब अल्लाह तआला को मंज़ूर होगा कि तमाम कायनात फिर पैदा हो जाये तो दूसरी बार फिर सूर फूका जायेगा, उससे फिर सारी कायनात पैदा हो जायेगी, मुर्दे ज़िंदा हो जायेंगे और क़ियामत के मैदान में सब इकट्ठे होंगे और वहां की तक़्लीफ़ों से घबरा कर सब पैग़म्बरों के पास सिफ़ारिश कराने जायेंगे। आख़िर हमारे पैग़म्बर साहिब सल्लल्लाह अलैहि व

सल्लम सिफ़ारिश करेंगे, तराज़ू खड़ी की जायेगी, बुरे–भले अमल तौले जायेंगे, उनका हिसाब होगा, कुछ बे–हिसाब ही जन्नत में जायेंगे, नेकों का नामा–ए–आमाल दाहिने हाथ में और बुरों का बायें हाथ में दिया जायेगा। पैग़म्बर सल्ल० अपनी उम्मत को हौज़े कौसर[1] का पानी पिलायेंगे, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, पुले सिरात[2] पर चलना होगा। जो नेक लोग हैं, वे उससे पार होकर बहिश्त में पहुंच जायेंगे। जो बुरे हैं, वे उस पर से दोज़ख़ में गिर पड़ेंगे।

अक़ीदा न० 41—दोज़ख़ पैदा हो चुकी है, उसमें सांप–बिच्छू और तरह–तरह का अज़ाब है। दोज़ख़ियों में से, जिनमें ज़रा भी ईमान होगा, वे अपने आमाल की सज़ा भुगत कर पैग़म्बरों और बुज़ुर्गों की सिफ़ारिश से निकल कर बहिश्त में दाख़िल होंगे, चाहे कितने ही बड़े गुनाहगार हों, और जो काफ़िर और मुश्रिक हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे और उनको मौत भी न आयेगी।

अक़ीदा न० 42—बहिश्त भी पैदा हो चुकी है और उसमें तरह तरह के चैन और नेमतें हैं। बहिश्तियों को किसी तरह का डर और ग़म न होगा और वे उसमें हमेशा रहेंगे, उन उसमें से निकलेंगे, और न वहां मरेंगे।

अक़ीदा न० 43—अल्लाह तआला को अख़्तियार है कि छोटे गुनाह पर सज़ा दे दे या बड़े गुनाह को अपनी मेहरबानी से बख़्श दे और उस पर बिल्कुल सज़ा न दे।

अक़ीदा न० 44—शिर्क और कुफ़्र का गुनाह अल्लाह तआला कभी किसी का माफ़ नहीं करता और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा, अपनी मेहरबानी से माफ़ कर देगा।

अक़ीदा न० 45—जिन लोगों का नाम लेकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्ल० ने उनका बहिश्ती (जन्नती) होना बतला दिया है, उनके सिवा किसी और को बहिश्ती होने का यक़ीनी हुक्म नहीं लगा सकते, हां, अच्छी निशानियां देखकर अच्छा गुमान रखना और उसकी रहमत से उम्मीद रखना ज़रूरी है।

अक़ीदा न० 46—बहिश्त में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तआला का दीदार (दर्शन) है, जो बहिश्तियों को नसीब होगा। उसकी लज़्ज़त के मुक़ाबले

---

1. कौसर जन्नत में दूध की एक नहर है।
2. जन्नत तक पहुंचने का एक पुल, जिसे सिर्फ़ जन्नती लोग ही पार कर सकेंगे।

में तमाम नेमतें घटिया मालूम होंगी।

अक़ीदा न० 47—दुनिया में जागते हुए इन आंखों से अल्लाह तआला को किसी ने नहीं देखा और न कोई देख सकता है।

अक़ीदा न० 48—उम्र भर में कोई कैसा ही भला–बुरा हो, मगर जिस हालत पर ख़ात्मा होता है, उसके मुताबिक़ उसको अच्छा–बुरा बदला मिलता है।

अक़ीदा न० 49—आदमी उम्र भर में जब कभी तौबा करे या मुसलमान हो, अल्लाह तआला के यहां मक़्बूल है, हां, मरते वक़्त जब दम टूटने लगे और अज़ाब के फ़रिश्ते दिखाई देने लगें, उस वक़्त न तौबा क़ुबूल होती है और न ईमान।

फ़स्ल

इसके बाद मुनासिब मालूम होता है कि कुछ बुरे अक़ीदे, रस्में और कुछ बड़े–बड़े गुनाह, जो अक्सर होते रहते है जिनसे ईमान में नुक़सान आ जाता है, बयान कर दिए जायें, ताकि लोग उनसे बचते रहें। इनमें से कुछ बिल्कुल कुफ़्र और शिर्क हैं कुछ कुफ़्र और शिर्क के क़रीब हैं और बिद्अत और गुमराही और कुछ सिर्फ़ गुनाह। मतलब यह है कि सबसे बचना ज़रूरी है। फिर जब इन चीज़ों का बयान हो चुकेगा तो उसके बाद गुनाहों से, जो दुनिया का नुक़सान और इताअत[2] से जो दुनिया का नफ़ा होता है, कुछ थोड़ा सा उसका बयान करेंगे क्योंकि दुनिया के नफ़ा–नुक़सान का लोग ज़्यादा ख़्याल करते हैं, शायद इसी ख़्याल से कुछ नेक काम की तौफ़ीक और गुनाह से परहेज़ हो।

कुफ़्र और शिर्क की बातें

कुफ़्र को पसंद करना, कुफ़्र की बातों को अच्छा जानना, किसी दूसरे से कुफ़्र की कोई बात कराना, किसी वजह से अपने ईमान पर शर्मिंदा होना कि अगर मुसलमान न होते तो फ़्लानी बात हासिल हो जाती, औलाद वग़ैरह किसी के मर जाने पर रंज में इस क़िस्म की बातें कहना, खुदा को बस इसी क़िस्म की बातें कहना, खुदा को बस इसी को मारना था, दुनिया भर में मारने के लिए बस यही था, खुदा को ऐसा न चाहिए था, ऐसा जुल्म कोई नहीं करता, जैसा तूने किया, खुदा और अल्लाह के रसूल सल्ल० के किसी हुक्म को बुरा समझना, उसमें ऐब निकालना, किसी नबी या फ़रिश्ते को हक़ीर समझना, उनको ऐब लगाना, किसी बुज़ुर्ग या पीर के साथ यह अक़ीदा रखना कि हमारे सब हाल को

1. अध्याय
2. फ़र्माबरदारी,
3. इस्लाम की बुनियादी बातों से इंकार को कुफ़्र कहते हैं,
4. खुदा के साथ किसी को शरीक करने को शिर्क कहते हैं।

उसको हर वक़्त ख़बर रहती है, नजूमी, पंडित या जिस पर जिन्न चढ़ा हो, उससे ग़ैब की ख़बरें पूछना या फ़ाल खुलवाना, फिर उसको सच जानना, किसी बुज़ुर्ग के कलाम से फ़ाल देखकर उसको यक़ीनी समझना, किसी को दूर से पुकारना और यह समझना कि उसको ख़बर हो गई, किसी को नफ़ा–नुक़सान का मालिक समझना, किसी से मुरादें मांगना या रोज़ी या औलाद मांगना, किसी के नाम का रोज़ा रखना, किसी को सज्दा करना, किसी के नाम का जानवर छोड़ना या चढ़ावा चढ़ाना, किसी के नाम की मन्नत मानना, किसी की क़ब्र या मकान का तवाफ़ करना, ख़ुदा के हुक्म के मुक़ाबले में किसी दूसरी बात या रस्म को आगे चलाना, किसी के सामने झुकना या तस्वीर की तरह खड़ा रहना, तोप पर बकरा चढ़ाना, किसी के नाम पर जानवर ज़िब्ह करना, जिन्न–भूत–प्रेत वग़ैरह ज़िब्ह करना, बच्चे के जीने के लिए उसके नार का पूजना, किसी की दुहाई देना, किसी जगह के बराबर अदब व इज़्ज़त करना, किसी के नाम पर बच्चे के कान–नाक छेदना, बाल और बुलाक़ पहनाना, किसी के नाम का बाज़ू पर पैसा बांधना या गले में नाड़ा डालना, सेहरा बांधना, चोटी रखना, बधी पहनाना, फ़क़ीर बनाना, अली बख़्श, हुसैन बख़्श, अब्दुन्नबी वग़ैरह नाम रखना, किसी जानवर पर किसी बुज़ुर्ग का नाम लेकर उसका अदब करना, दुनिया के कारोबार को सितारों के असर से समझना, अच्छी–बुरी तारीख़ और दिन का पूछना, शकुन लेना किसी महीने या तारीख़, को मनहूस समझना, किसी बुज़ुर्ग का नाम वज़ीफ़े के तौर पर जपना, यों कहना कि ख़ुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अगर चाहेगा, तो फ़्लां काम हो जायेगा, किसी के नाम या सिर की क़सम खाना, तस्वीर रखना, ख़ास तौर से किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर बरकत के लिए रखना और उसकी ताज़ीम (आदर) करना।

बिदअतों,[1] बुरी रस्मों, और बुरी बातों का बयान

क़ब्रों पर धूम–धाम से मेला करना, चिराग़ जलाना, औरतों का वहां जाना, चादरें डालना, पुख़्ता क़ब्रें बनाना, बुज़ुर्गों के राज़ी करने को क़ब्रों की

1. कोई ऐसी नई बात जो इस्लामी अक़ीदों से मेल न खाये और मज़हब में दाख़िल कर दी जाये, बिद्अत कहलाती है।

हद से ज़्यादा ताज़ीम करना, क़ब्र को चूमना–चाटना, खाक मलना, तवाफ़ या सज्दा करना, क़ब्रों की तरफ़ नमाज़ पढ़ना, मिठाई, चावल, गुल–गुल वग़ैरह चढ़ाना, ताज़िया या अलम वग़ैरह रखना, उस पर हलवा, मलीदा चढ़ाना उसको सलाम करना, किसी चीज़ को अछूती समझना, मुहर्रम के महीने में पान न खाना, मेंहदी–मिस्सी न लगाना, मर्द के पास न रहना, लाल कपड़ा न पहनना, बीबी की सहनक तक मर्दों को न खाने देना, तीजा, चालीसवां वग़ैरह को ज़रूरी समझकर करना, ज़रूरत के बावजूद औरत के दूसरे निकाह को ऐब की बात समझना, निकाह, ख़त्ना, बिस्मिल्लाह वग़ैरह में, अगर्चे वुसअत (माली ताक़त) न हो, मगर सारी ख़ानदानी रस्में करना, ख़ासतौर से क़र्ज़ दाम करके नाच–रंग वग़ैरह करना, होली दीवाली की रस्में करना, सलाम की जगह बन्दगी वग़ैरह कहना या सिर्फ सिर पर हाथ रखकर झुक जाना, देवर जेठ फुफीज़ाद, खालाज़ाद भाई के सामने बेशर्मी के साथ या और किसी ना महरम[1] के सामने आना, गगरा दरिया से गाते–बचाते लाना, राग–बजा, गाना सुनना, डोमनियों वग़ैरह को नचाना और देखना, उस पर ख़ुश होकर उनको इनआम देना, नसब पर फ़ख्र करना या किसी बुज़ुर्ग से मंसूब होने को निजात के लिए काफ़ी समझना, किसी के नसब में ख़राबी हो, उस पर तान करना, पेशे को ज़लील समझना, हद से ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना, शादियों में फ़िज़ूल ख़र्ची और ख़ुराफ़ात बातें करना, हिंदुओं की रस्में करना, दूल्हा को ख़िलाफ़े शरअ पोशाक पहनाना, कंगना, सेहरा बांधना, मेंहदी लगाना, आतशबाज़ी, टट्टियों वग़ैरह का सामान करना, फ़िज़ूल सजावट करना, घर के अंदर औरतों के दर्मियान दूल्हा को बुलाना और सामने आ जाना, ताक–झांककर उसको देख लेना, सयानी समझदार सालियों वग़ैरह का सामने आना, उनसे हंसी–दिल्लगी करना, चौथी खेलना, जिस जगह दूल्हा–दूल्हन लेटे हों, उसके गिर्द जमा होकर बातें सुनना, झांकना, ताकना, अगर कोई बात मालूम हो जाये, तो उसको औरों से कहना, मांझे बिठलाना और ऐसी शर्म करना, जिससे नमाज़ें कज़ा हो जायें, शेख़ी से महर ज़्यादा मुक़र्रर करना, ग़मी में चिल्लाकर रोना, मुंह और सीना पीटना, बयान करके रोना, इस्तमेली घड़े तोड़ डालना, जो कपड़े उसके बदन से लगें, सबको धुलवाना, साल भर या कुछ ज़्यादा उस घर में अचार न पड़ना, कोई ख़ुशी का काम न करना, ख़ास–ख़ास तारीख़ों

1. ऐसा ग़ैर मर्द जिससे शादी हो सकती है।

में फिर ग़म का ताज़ा करना, हद से ज़्यादा साज–सज्जा में लग जाना, सादा पहनावा ऐबदार समझना, मकान में तस्वीरें लगाना, ख़ासदान, इत्रदान, सुर्मादानी, सलाई वग़ैरह चांदी–सोने की इस्तेमाल करना, बहुत बारीक कपड़ा या बजता ज़ेवर पहनना, लंहगा पहनना, मर्दों के मज्मे में जाना, ख़ास तौर से ताज़िया देखने और मेलों में जाना, मर्दों के रंग–ढंग अपनाना, बदन गोदवाना, ख़ुदाई रात करना, टोटका करना, सिर्फ़ साज–सज्जा के लिए दीवारगीरी–छतगीरी लगाना, सफ़र को जाते वक़्त या लौटते वक़्त ग़ैर–महरम के गले लगना, या गले लगाना, जीने के लिए लड़ने का कान या नाक छेदना, लड़के को बाला या बुलाक़ पहनाना, रेशमी कुसुम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा या हंसली या घुंघरू या और कोई ज़ेवर पहनाना, कम रोने के लिए अफ़ीम खिलाना, किसी बीमारी में शेर का दूध या उसका गोश्त खिलाना, इस क़िस्म की और बहुत-सी बातें हैं, नमूने के तौर पर इतनी बयान कर दी गई।

कुछ बड़े–बड़े गुनाह जिनके करने वाले पर बहुत सख़्ती आई है

ख़ुदा से शिर्क करना, नाहक़ ख़ून करना, वे औरतें जिनकी औलाद नहीं होती, किसी के संवर में, कुछ ऐसे टोटके करती हैं कि यह बच्चा मर जाये और हमारे औलाद हो, यह भी इसी ख़ून में दाख़िल है। मां–बाप को सताना, ज़िना करना, यतीम का माल खाना, जैसे अक्सर औरतें ख़ाविंद के तमाम माल और जायदाद पर क़ब्ज़ा करके छोटे बच्चों का हिस्सा उड़ाती है, लड़कियों को मीरास का हिस्सा न देना, किसी औरत को ज़रा से शुबह में ज़िना की तोहमत लगाना, ज़ुल्म करना, किसी को उसके पीछे बुराई से याद करना, ख़ुदा–ए–तआला की रहमत से ना–उम्मीद होना, वायदा करके पूरा न करना, अमानत में ख़ियानत करना, ख़ुदा–ए–तआला का कोई फ़र्ज़, जैसे नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ देना, क़ुरआन शरीफ़ पढ़कर भुला देना, झूठ बोलना, ख़ास तौर से झूठी क़सम खाना, ख़ुदा के सिवा और किसी की क़सम खाना, या इस तरह क़सम खाना कि मरते वक़्त कलमा नसीब न हो, ईमान पर ख़ात्मा न हो, ख़ुदा के सिवा और किसी को सज्दा करना, बिला

उज़्र नमाज़ क़ज़ा कर देना, किसी मुसलमान को काफ़िर या ख़ुदा की मार, ख़ुदा की फिटकार, ख़ुदा का दुश्मन वग़ैरह कहना, किसी का गिला शिकवा करना, या सुनना, चोरी करना, ब्याज़ लेना, अनाज की मंहगाई से ख़ुश होना, मोल चुकाकर पीछे ज़बरदस्ती से कम कर देना, ग़ैर–महरम के पास तंहाई में बैठना, जुआ खेलना, कुछ औरतें और लड़कियां बद–बद के गिट्टे या और कोई खेल खेलती हैं, यह भी जुआ है, काफ़िरों की रस्में पसंद करना, खाने को बुरा कहना, राग–बाजा सुनना, नाच देखना, क़ादिर होने पर भी नसीहत करना, किसी से मसख़रापन करके बे–इज़्ज़त करना और शर्मिंदा करना, किसी का ऐब ढूंढना।

गुनाहों से दुनिया के कुछ नुक़्सानों का बयान

इल्म से महरूम रहना, रोज़ी कम हो जाना, ख़ुदा की याद से वहशत हो जाना आदमियों से वहशत हो जाना, ख़ास कर नेक आदमियों से अक्सर कामों में मुश्कील पड़ जाना, दिल में सफ़ाई न रहना, दिल में और कभी–कभी तमाम बदन में कमज़ोरी हो जाना, फ़र्माबरदारी से महरूम रहना, उमर घट जाना, तौबा की तौफ़ीक़ न होना, कुछ दिनों में गुनाहों की बुराई दिल से जाती रहना, अल्लाह तआला के नज़दीक ज़लील हो जाना, दूसरे जीवों को उसका नुक़्सान पहुंचाना और इस वजह से उस पर लानत करना, अक़्ल में ख़राबी पैदा हो जाना, अल्लाह के रसूल सल्ल० की तरफ़ से उस पर लानत होना, फ़रिश्तों की दुआ से महरूम रहना, पैदावार में कमी होना, शर्म और ग़ैरत का जाते रहना, अल्लाह तआला की बड़ाई उसके दिल से निकल जाना, नेमतों का छिन जाना, बलाओं की भीड़ लग जाना, उस पर शैतानों का मुक़र्रर हो जाना, दिल का परेशान रहना, मरते वक़्त मुंह से कलमा न निकलना, ख़ुदा की रहमत से मायूस होना और इस वजह से बे–तौबा मर जाना।

इबादत से दुनिया के कुछ फ़ायदों का बयान

रोज़ी बढ़ना, तरह–तरह की बरकत होना, तकलीफ़ और परेशानी दूर

हो जाना, मुरादों में पूरा होने में आसानी होना, लुत्फ़ की ज़िंदगी होना, बारिश होना, हर क़िस्म की बला का टल जाना, अल्लाह तआला का मेहरबान और मददगार रहना, फ़रिश्तों को हुक्म होना कि उसका दिल मज़बूत रखो, सच्ची इज़्ज़त और आबरू मिलना, मर्तबे का बुलंद होना, सबके दिलों में उसकी मुहब्बत हो जाना, कुरआन का उसके हक़ में शिफ़ा होना, माल का नुक़्सान हो जाये, तो उसका अच्छा बदला मिल जाना, दिन–ब–दिन नेमत में तरक़्क़ी होना, माल बढ़ना, दिल में राहत और तसल्ली रहना, आगे की नस्ल में नफ़ा पहुंचना, ज़िंदगी में ग़ैबी बशारतें नसीब होना, मरते वक़्त फ़रिश्तों का खुशख़बरी सुनाना, मुबारकबाद देना, उम्र बढ़ाना, ग़रीबी और फ़ाक़े से बचा रहना थोड़ी चीज़ में ज़्यादा बरक़त होना, अल्लाह तआला का गुस्सा जाता रहना।

वुज़ू का बयान[1]

वुज़ू करने वाली को चाहिए कि वुज़ू करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुंह करके किसी ऊंची जगह बैठे कि छींटें उड़कर ऊपर न पड़ें और वुज़ू शुरू करते वक़्त बिस्मिल्लाह कहे।

सबसे पहले तीन बार गट्टों तक हाथ धोये, फिर तीन बार कुल्ली करे और मिस्वाक करे। अगर मिस्वाक न हो, तो किसी मोटे कपड़े या सिर्फ़ उंगली से अपने दांत साफ़ करे कि सब मैल–कुचैल जाता रहे। अगर रोज़ादार न हो तो ग़रारा करके अच्छी तरह सारे मुहं में पानी पहुंचाये और अगर रोज़ा हो तो ग़रारा न करे कि शायद कुछ पानी हलक़ में चला जाये, फिर तीन बार नाक में पानी डाले और बायें हाथ से नाक साफ़ करे, लेकिन जिसका रोज़ा है वह जितनी दूर तक नरम–नरम गोश्त है, उससे ऊपर पानी न ले जाये, फिर तीन बार मुंह धोये, इस तरह कि सर के बालों से लेकर ठोढ़ी के नीचे तक और इस कान की लौ से उस कान की लौ तक सब जगह पानी बह जाये, दोनों भवों के नीचे भी पानी बह जाये, कहीं सूखा न रहे, फिर तीन बार दाहिना हाथ कुहनियों सहित धोये, फिर बायां हाथ और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर

1. नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ–मुंह धोने के ख़ास तरीक़े को वुज़ू कहते हैं।

ख़िलाल करे और अंगूठी–छल्ला–चूड़ी, जो कुछ हाथों में पहने हो, हिला ले कि कहीं सूखा न रह जाये, फिर एक बार सारे सिर का मसह करे, फिर कान का मसह करे अंदर की तरफ़ की कलमा की उंगली से और कान के ऊपर का अंगूठों से मसह करे, फिर उंगलियों के पीछे की तरफ़ से गरदन का मसह करे, लेकिन गले का मसह न करे कि यह बुरा और मना है। कान के मसह के लिए नये पानी के लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर के मसह से जो बचा हुआ पानी हाथ में लगा हुआ है, वही काफ़ी है और तीन बार दाहिना पांव टखने सहित धोये, फिर बायां पांव टखने सहित तीन बार धोये और बायें हाथ की छंगुलिया से पैरों की उंगलियों का ख़िलाल करे, पैर की दाहिनी छंगुलिया से शुरू करे और बायीं छंगुलिया पर ख़त्म करे।

यह वुज़ू करने का तरीक़ा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इसमें से एक भी छूट जाये या कुछ कमी रह जाये, तो वुज़ू नहीं होता। जैसे पहले बे–वुज़ू थी, अब भी बे–वुज़ू रहेगी। ऐसी चीज़ों को फ़र्ज़ कहते हैं।

और कुछ बातें ऐसी हैं कि उनके छूट जाने से वुज़ू तो हो जाता है, लेकिन उनके करने से सवाब मिलता है और शरीअत में उनके करने की ताकीद भी आई है। अगर कोई अक्सर छोड़ दिया करे, तो गुनाह होता है, ऐसी चीज़ों को सुन्नत कहते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिनके करने से सवाब होता है और न करने से कुछ गुनाह नहीं होता और शरअ में उनके करने की ताकीद भी नहीं है, ऐसी बातों को मुस्तहब[1] कहते हैं।

मस्अला[2] 1—वुज़ू में फ़र्ज़ सिर्फ़ चार हैं—एक बार सारे मुंह का धोना, एक–एक बार दोनों कुहनियों सहित दोनों हाथ धोना, एक बार चौथाई सिर का मसह करना, एक बार टख़नों सहित दोनों पांव धोना, बस फ़र्ज़ इतना ही है। इसमें से अगर एक चीज़ भी छूट जायगी, या कोई जगह बाल बराबर भी सूखी रह जायेगी, तो वुज़ू न होगा।

मस्अला 2—पहले गट्टों तक दोनों हाथ धोना और बिस्मिल्लाह करके कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, मिस्वाक करना, सारे सिर का मसह करना, हर अंग को तीन बार धोना, कानों का मसह करना, हाथ

1. मुस्तहब पसंदीदा को कहते हैं, यानी ऐसा काम जिसे शरीअत पसंदीदा निगाह से देखे।

2. कुरआन, हदीस, फिर उम्मत के मिलकर किये गये फ़ैसले की रोशनी में शरीअत में जो बात तै कर दी जाये, उसे मस्अला कहते हैं।

और पैरों की उंगलियों का ख़िलाल करना, ये सब बातें सुन्नत हैं और इसके सिवा जो और बातें हैं, वे सब मुस्तहब हैं।

मस्अला 3—जब ये चारों अंग धुल जायेंगे, जिनका धोना फ़र्ज़ है, तो वुज़ू हो जाएगा, चाहे वुज़ू का इरादा हो या न हो, जैसे कोई नहाते वक़्त सारे बदन पर पानी बहा ले और वुज़ू न करे, या हौज़ में गिर पड़े या पानी बरसने में बाहर खड़ी हो जाये और वुज़ू के ये अंग धुल जायें तो वुज़ू हो जायेगा, लेकिन सवाब वुज़ू का न मिलेगा।

मस्अला 4—सुन्नत यही है कि इस तरह से वुज़ू करे, जिस तरह हमने ऊपर बयान किया है और अगर कोई उलटा वुज़ू करे कि पहले पांव धो डाले, और फिर मसह[1] करे, फिर दोनों हाथ धोये, फिर मुंह धो डाले या और किसी तरह उलट-पलट करके वुज़ू करे, तो भी वुज़ू हो जाता है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक़ वुज़ू नहीं होता और गुनाह का डर है।

मस्अला 5—इसी तरह अगर बायां पांव पहले धोया, तब भी वुज़ू हो गया, लेकिन मुस्तहब के ख़िलाफ़ है।

मस्अला 6—एक अंग को धोकर दूसरे अंग के धोने में इतनी देर न लगाये कि पहला अंग सूख जाये, बल्कि उसके सूखने से पहले दूसरा अंग धो डाले। अगर पहला अंग सूख गया, फिर दूसरा अंग धोया, तो वुज़ू हो जायेगा, लेकिन यह बात सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

मस्अला 7—अंग के धोते वक़्त यह भी सुन्नत है कि उस पर हाथ भी फेर ले, ताकि कोई जगह सूखी न रहे, सब जगह पानी पहुंच जाये।

मस्अला 8—वक़्त आने से पहले ही वुज़ू-नमाज़ का सामान और तैयारी करना बेहतर और मुस्तहब है।

मस्अला 9—जब तक कोई मजबूरी न हो, ख़ुद अपने हाथ से वुज़ू करे किसी और से पानी न डलवाये और वुज़ू करने में दुनिया की कोई बात-चीत न करे, बल्कि हर अंग के धोते वक़्त बिस्मिल्लाह[2] और कलमा[3] पढ़ा करे और पानी कितना ही ज़्यादा क्यों न हो, चाहे दरिया के किनारे पर हो, लेकिन तब भी पानी को ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च न करे और न पानी में बहुत कमी करे कि अच्छी तरह धोने में कठिनाई हो न किसी अंग को तीन

1. मसह भीगे हाथ के फेरने को कहते हैं। वैसे सिर पर भीगा हाथ फेरना मुराद है, जो फ़र्ज़ है।

2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,

3. ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह

5 बार से ज़्यादा धोये और मुंह धोते वक़्त पानी का छींटा ज़ोर से मुंह पर न मारे, न फुंकार मार का छींटें उड़ाये और आंखों को बहुत ज़ोर से बंद न करे कि ये सब बातें मक्रूह और मना हैं। अगर या और मुंह ज़ोर से बंद किया और पलक या होंठ पर कुछ सूखा रह गया, या आंख के कोने में पानी नहीं पहुंचा तो वुज़ू नहीं हुआ।

मस्अला 10—अंगूठी, छल्ले, चूड़ी, कंगन, वग़ैरह अगर ढीले हों कि बे–हिलाये भी उनके नीचे पानी पहुंच जाये, तब भी उनका हिला लेना मुस्तहब है और अगर ऐसे तंग हों कि बग़ैर हिलाये पानी न पहुंचने का गुमान हो, तो उनको हिलाकर अच्छी तरह पानी पहुंचा देना ज़रूरी और वाजिब है। नथ का भी यही हुक्म है। अगर सूराख ढीला है, उस वक़्त तो हिलाना मुस्तहब है और जब तंग हो कि बे–फिराये और हिलाये पानी न पहुंचेगा, तो मुंह धोते वक़्त घुमाकर और हिलाकर पानी अंदर पहुंचाना वाजिब है।

मस्अला 11—अगर किसी के नाखून में आटा लगकर सूख गया हो और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा, तो वुज़ू नहीं हुआ। जब याद आये और आटा देखे तो आटा छुड़ा कर पानी में डाल ले और अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज़ पढ़ ली हो, तो उसको लौटा दे और फिर से पढ़े।

मस्अला 12—किसी के माथे पर अफ़शां चुनी हो और ऊपर–ऊपर से पानी बहा ले कि अफ़शां न छूटने पाये, तो वुज़ू नहीं होता। माथे का सब गोंद छुड़ाकर मुंह धोना चाहिए।

मस्अला 13—जब वुज़ू कर चुको तो सूरः इन्ना अन्ज़ल्ना और यह दुआ पढ़े :—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ
مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ
الَّذِیْنَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ط

अल्लाहुम्मज् अल्नी मिनत्तव्वाबीन मिनल् मुततह् हिरीन वज्अल्नी मिन् अिबादिकस्सालिहीन वज्अल्नी मिनल्लज़ीन ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून०

मस्अला 14—जब वुज़ू कर चुके तो बेहतर है कि दो रक्अत नमाज़ पढ़े, इस नमाज़ को जो वुज़ू के बाद पढ़ी जाती है, 'तहीयतुलवुज़ू' कहते हैं। हदीस शरीफ़ में इसका बड़ा सवाब आया है।

मस्अला 15—अगर एक वक़्त वुज़ू किया था, फिर दूसरा वक़्त आ गया और अभी वुज़ू नहीं टूटा है, तो उसी वुज़ू से नमाज़ पढ़ना जायज़ है और अगर ताज़ा वुज़ू करे तो बहुत सवाब मिलता है।

मस्अला 16—जब एक बार वुज़ू कर लिया और अभी वह टूटा नहीं, तो जब तक उस वुज़ू से कोई इबादत न कर ले उस वक़्त तक दूसरा वुज़ू करना मकरूह और मना है। अगर नहाते वक़्त किसी ने वुज़ू किया है तो उसी वुज़ू से नमाज़ पढ़ना चाहिए। बग़ैर उसके टूटे दूसरा वुज़ू न करे। हां, अगर कम से कम दो रक्अत इस वुज़ू से पढ़ चुकी हो, तो वुज़ू करने में कुछ हरज नहीं, बल्कि सवाब है।

मस्अला 17—किसी के हाथ या पांव फट गये और उससे मोम–रोगन या और कोई दवा भर ली (और उसके निकालने से नुक़्सान होगा) और बग़ैर उसके निकाले ऊपर ही ऊपर पानी बहा दिया, तो वुज़ू दुरूस्त है।

मस्अला 18—वुज़ू करते वक़्त एड़ी पर या किसी और जगह पानी नहीं पहुंचा और जब पूरा वुज़ू हो चुका, तब मालूम हुआ कि फ़लानी जगह सूखी है तो वहां पर सिर्फ़ हाथ फेर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि पानी बहाना चाहिए।

मस्अला 19—अगर–हाथ पांव वग़ैरह में कोई फोड़ा है या कोई और ऐसी बीमारी है कि उस पर पानी डालने से नुक़्सान होता है, तो पानी न डाले, वुज़ू करते वक़्त सिर्फ़ भीगा हाथ फेरले, उसको मसह कहते हैं और अगर यह भी नुक़्सान करे तो हाथ भी न फेरे, उतनी जगह छोड़ दे।

मस्अला 20—अगर ज़ख़्म पर पट्टी बंधी हो और पट्टी खोल कर ज़ख़्म पर मसह करने से नुक़्सान हो या पट्टी खोलने–बांधने में बड़ी कठिनाई और तक़्लीफ़ हो, तो पट्टी के ऊपर मसह कर लेना दुरूस्त है। अगर ऐसा न हो तो पट्टी पर मसह करना दुरूस्त नहीं, पट्टी खोलकर ज़ख़्म पर मसह करना चाहिए।

मस्अला 21—अगर पूरी पट्टी के नीचे ज़ख़्म नहीं है, तो पट्टी खोलकर, ज़ख़्म छोड़कर और सब धो सके, तो धोना चाहिए और अगर पट्टी न खोल सके, तो सारी पट्टी पर मसह कर ले। जहां ज़ख़्म है, वहां भी और जहां ज़ख़्म नहीं है, वहां भी।

मस्अला 22—हड्डी के टूट जाने के वक़्त जो बांस की खपच्चियां रखकर टिक्ती बनाकर बांधते हैं, उसका भी यही हुक्म है कि जब तक

टिक्ती न खोल सके, टिक्ती के ऊपर हाथ फेर लिया करे और फ़स्द की पट्टी का भी यही हुक्म है कि अगर ज़ख़्म के ऊपर मसह न कर सके तो पट्टी खोलकर कपड़े की गद्दी पर मसह करे और अगर कोई खोलने–बांधने वाला न मिले, तो पट्टी ही पर मसह करे।

मस्अला 23—टिक्ती और पट्टी वग़ैरह में बेहतर तो यह है कि सारी टिक्ती पर मसह करे और अगर सारी पर न करे, बल्कि आधी से ज़्यादा पर करे तो भी जायज़ है, अगर सिर्फ़ आधी या आधी से कम पर करे, तो जायज़ नहीं है।

मस्अला 24—अगर टिक्ती या पट्टी खुलकर गिरे और ज़ख़्म भी अच्छा नहीं हुआ तो फिर बांध ले और वही पहला मसह बाक़ी है, फिर मसह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़ख़्म अच्छा हो गया है कि अब बांधने की ज़रूरत नहीं है, तो मसह टूट गया, अब उतनी जगह धोकर नमाज़ पढ़े और सारा वुज़ू दोहराना ज़रूरी नहीं है।

वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

मस्अला 1—पाखाना–पेशाब और हवा, जो पीछे से निकले, उससे वुज़ू टूट जाता है, हां, अगर आगे की राह से हवा निकले, जैसा कि कभी बीमारी से ऐसा हो जाता है, तो उससे वुज़ू नहीं टूटता और अगर आगे या पीछे से कोई कीड़ा जैसे केचुवा या कंकरी वग़ैरह निकली, तो वुज़ू टूट जाता है।

मस्अला 2—अगर किसी के कोई ज़ख़्म हो, उसमें से कीड़ा निकला या कान से निकला या ज़ख़्म में से कुछ गोश्त कट कर गिर पड़ा और ख़ून नहीं निकला, तो उससे वुज़ू नहीं टूटा।

मस्अला 3—अगर किसी ने फ़स्द ली या नक्सीर फूटी या चोट लगी और ख़ून निकल आया। फोड़े–फुंसी से या बदन भर में और कहीं से ख़ून निकला या पीप निकली तो वुज़ू जाता रहा। हां, अगर ज़ख़्म के मुंह ही पर रहे, ज़ख़्म के मुंह से आगे न बढ़े, तो वुज़ू नहीं गया और अगर किसी के सूई चुभ गई और ख़ून निकल आया, लेकिन बहा नहीं, तो वुज़ू नहीं टूटा और तनिक भी बह पड़ा, तो वुज़ू टूट गया।

मस्अला 4—अगर किसी ने नाक सिंकी और उसमें जमे हुए ख़ून की फुटकियां निकलीं, तो वुज़ू नहीं गया। वुज़ू जब टूटता है कि पतला ख़ून

निकले और बह पड़े, सो अगर किसी ने अपनी नाक में उंगली डाली, फिर जब उसको निकाला, तो उंगली में ख़ून का धब्बा मालूम हुआ, लेकिन वह ख़ून बस इतना ही है कि उंगली में तो थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन बहता नहीं, तो इससे वुज़ू नहीं टूटता।

मस्अला 5—किसी की आंख के अंदर कोई दाना वग़ैरह था, वह टूट गया या खुद उसने तोड़ दिया और उसका पानी बह कर आंख में तो फैल गया, लेकिन आंख के बाहर नहीं निकला, तो उसका वुज़ू नहीं टूटा, और अगर आंख के बाहर पानी निकल पड़ा तो वुज़ू टूट गया। इसी तरह अगर कान के अंदर दाना हुआ और टूट जाये, तो जब ख़ून–पीप सूराख़ के अंदर उस जगह तक रहे, जहां पानी पहुंचाना गुस्ल के वक़्त फ़र्ज़ नहीं है, तब तक वुज़ू नहीं जाता और ऐसी जगह पर आ जाये, जहां पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, तो वुज़ू टूट जायेगा।

मस्अला 6—किसी ने अपने फोड़े या छाले के ऊपर का छिलका नोच डाला और उसके नीचे ख़ून या पीप दिखाई देने लगा, लेकिन वह ख़ून–पीप अपनी जगह पर ठहरा है, किसी तरफ़ बहा नहीं, तो वुज़ू नहीं टूटा और जो बह पड़ा, तो वुज़ू टूट गया।

मस्अला 7—किसी के फोड़े में बहुत बड़ा घाव हो गया, तो जब तक ख़ून–पीप उसके सूराख़ के अंदर ही अंदर है, बाहर निकल कर बदन पर न आये, उस वक़्त तक वुज़ू नहीं टूटता।

मस्अला 8—अगर फोड़े–फुंसी का ख़ून आपसे नहीं निकला बल्कि उसने दबा के निकाला है, तब भी वुज़ू टूट जायेगा, जबकि वह ख़ून बह जाये।

मस्अला 9—किसी के ज़ख़्म से थोड़ा–थोड़ा ख़ून निकलने लगा, उसने उस पर मिट्टी डाल दी या कपड़े से पोंछ लिया, फिर थोड़ा–सा निकला, फिर उसने पोंछ डाला, इसी तरह कई बार किया कि ख़ून बहने न पाया, तो दिल में सोचे, अगर ऐसा मालूम हो, अगर पोंछा न जाता तो बह पड़ता तो वुज़ू टूट जायेगा और अगर ऐसा हो कि पोंछा न जाता, तब भी न बहता, तो वुज़ू न टूटेगा।

मस्अला 10—किसी के थूक में ख़ून मालूम हुआ, तो अगर थूक में ख़ून बहुत कम है और थूक का रंग सफ़ेदी या ज़रदी मायल है, वुज़ू नहीं गया और अगर ख़ून ज़्यादा या बराबर है और रंग सुर्ख़ीमायल है तो वुज़ू टूट गया।

मस्अला 11—अगर दांत से कोई चीज़ काटी और उस चीज़ पर

ख़ून का धब्बा मालूम हुआ या दांत से ख़िलाल किया और ख़िलाल में ख़ून की लाली दिखाई दी, लेकिन थूक में बिल्कुल ख़ून का रंग नहीं मालूम होता, तो वुज़ू नहीं टूटा।

मस्अला 12— किसी ने जोंक लगवायी और जोंक में इतना ख़ून भर गया कि अगर बीच से काट दो तो ख़ून बह पड़े तो वुज़ू जाता रहा और जो इतना न पिया हो, बल्कि बहुत कम पिया हो, तो वुज़ू नहीं टूटता और मच्छर या मक्खी या खटमल ने ख़ून पिया, तो वुज़ू नहीं टूटा।

मस्अला 13—किसी के कान में दर्द होता है और पानी निकला करता है, तो यह पानी, जो कान से बहता है नजिस[1] है, अगरचे कुछ फूड़ा–फुंसी न मालूम होती हो, तो उसके निकलने से वुज़ू टूट जाएगा, जब कान के सूराख़ से निकलकर उस जगह तक जाये, जिसका धोना गुस्ल करते वक़्त फ़र्ज़ है, इसी तरह अगर नाक से पानी निकले और दर्द भी होता हो, तो इससे वुज़ू टूट जायेगा। ऐसे ही अगर आंखें दुखती हों और खटकती हो तो पानी बहने और आंसू निकलने से वुज़ू टूट जाता है और अगर आंखें न दुखती हों, न उनमें कुछ खटक हो, तो आंसू निकलने से वुज़ू नहीं टूटता।

मस्अला 14—अगर छाती से पानी निकलता है और दर्द भी होता है, तो वह भी नजिस है, उससे वुज़ू जाता रहेगा और अगर दर्द नहीं है तो नजिस नहीं है और उससे वुज़ू भी न टूटेगा।

मस्अला 15—अगर क़ै हुई और उसमें खाना या पानी या पित गिरे तो अगर मुंह भर क़ै हुई हो, तो वुज़ू टूट गया और अगर मुंह भर क़ै नहीं हुई तो वुज़ू नहीं टूटा और मुंह भर होने का यह मतलब है कि मुश्किल से मुंह में रूके और क़ै में निरा बल्ग़म गिरे, तो वुज़ू नहीं गया, चाहे जितना हो। भर मुंह हो या न हो, सबका एक हुक्म है और अगर क़ै में ख़ून गिरे, तो अगर पतला भारी बहता हुआ हो, तो वुज़ू टूट जायेगा, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा, भर मुंह हो या न हो और अगर जमा हुआ, टुकड़े–टुकड़े गिरे और भर मुंह हो, तो वुज़ू टूट जायेगा और अगर कम हो, तो वुज़ू न जायेगा।

मस्अला 16—अगर थोड़ी–थोड़ी करके कई बार क़ै हुई, लेकिन सब मिलाकर इतनी है कि अगर एक बार गिरती, तो भर मुंह हो जाती, तो अगर एक ही मतली बराबर बाक़ी रही और थोड़ी–थोड़ी क़ै होती रही, तो वुज़ू टूट गया और अगर एक ही मतली बराबर नहीं रही, बल्कि पहली बार

1. ना–पाक

की मतली जाती रही थी और जी अच्छा हो गया था, फिर दोहरा कर मतली शुरू हुई और थोड़ी-सी कै हो गई फिर जब यह मतली जाती रही और तीसरी बार फिर मतली शुरू होकर कै हुई, तो वुज़ू नहीं टूटता।

मस्अला 17—लेटे-लेटे आंख लग गई या किसी चीज़ से टेक लगा कर बैठे-बैठे सो गई और ऐसी ग़फ़लत हो गई कि अगर वह टेक न होती, तो गिर पड़ती, तो वुज़ू जाता रहा और अगर नमाज़ में बैठे-बैठे या खड़े-खड़े सो जाये, तो वुज़ू नहीं गया और अगर सज्दे में सो जाये तो वुज़ू टूट जायेगा।

मस्अला 18—अगर नमाज़ से बाहर बैठे-बैठे सो जाये और अपना चूतड़ एड़ी से दबा ले और दीवार वग़ैरह किसी से टेक भी न लगाये, तो वुज़ू नहीं टूटता।

मस्अला 19—बैठे-बैठे नींद का एक ऐसा झोंका आया कि गिर पड़ी तो अगर गिर के फ़ौरन ही आंख खुल गयी, तो वुज़ू नहीं गया और जो गिरने के ज़रा बाद आंख खुली हो तो वुज़ू जाता रहा और अगर बैठी झूमती रही, गिरी नहीं तब भी वुज़ू नहीं गया।

मस्अला 20—अगर बे-होश हो गई और जुनून[1] से अक़्ल जाती रही, तो वुज़ू जाता रहा, चाहे बेहोशी और जुनून थोड़ी ही देर रहा हो और ऐसे ही अगर तम्बाकू वग़ैरह कोई नशे की चीज़ खा ली और इतना नशा हो गया कि अच्छी तरह नहीं चला जाता और क़दम इधर-उधर बहकता और डगमगाता है, तो भी वुज़ू जाता रहा।

मस्अला 21—अगर नमाज़ में इतनी ज़ोर से हंसी निकल गई कि उसने आप भी अपनी आवाज़ सुन ली और उसके पास वालियों ने भी, सब ने सुन ली, जैसे खिलखिला कर हंसने में सब पास वालियां सुन लेती हैं, इससे भी वुज़ू टूट गया और नमाज़ भी टूट गई और अगर ऐसा हुआ कि अपने को आवाज़ सुनाई दे, मगर सब पास वालियां न सुन सकीं, अगरचे बहुत ही पास वाली सुन ले, इससे नमाज़ टूट जायेगी, वुज़ू न टूटेगा। अगर हंसी में सिर्फ़ दांत खुल गये, आवाज़ बिल्कुल न निकली, तो न वुज़ू टूटा और न नमाज़ गई, हां छोटी लड़की, जो अभी जवान न हुई हो, ज़ोर से नमाज़ में हंसे या तिलावत के सज्दे में बड़ी औरत को हंसी आये, तो वुज़ू नहीं जाता, हां, वह सज्दा और नमाज़ जाती रहेगी, जिसमें हंसी आई।

---

1. पागलपन,

नोट—मस्अला न० 22, 23, 24, 25, पृ० न० 60 पर दर्ज किया गया है।

मस्अला 26—वुज़ू के बाद नाख़ून कटाये या घाव के ऊपर की मुरदार खाल नोच डाली, तो वुज़ू में कोई नुक़सान नहीं पाया, न तो वुज़ू के दोहराने की ज़रूरत है और न ही उतनी जगह को फिर तर करने का हुक्म है।

मस्अला 27—वुज़ू के बाद किसी का सतर[1] देख लिया या अपना सतर खुल गया, या नंगी होकर नहाई या नंगे ही नंगे वुज़ू किया, तो उसका वुज़ू दुरूस्त है, फिर वुज़ू दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हां बग़ैर मजबूरी के किसी का सतर देखना या अपना दिखलाना गुनाह की बात है।

मस्अला 28—जिस चीज़ के निकलने से वुज़ू टूट जाता है, वह चीज़ नजिस होती है और जिससे वुज़ू नहीं टूटता, वह नजिस भी नहीं, तो अगर ज़रा सा ख़ून निकला कि ज़ख़्म के मुंह से बहा नहीं, या ज़रा सी क़ै हुई, भर मुंह नहीं हुई और उसमें खाना या पानी या पित या जमा हुआ ख़ून निकला, तो यह ख़ून और क़ै नजिस नहीं है और अगर कपड़े या बदन में लग जाये, उसका धोना वाजिब नहीं और अगर मुंह भर क़ै हुई और ख़ून ज़ख़्म से बह गया तो वह नजिस है, उसका धोना वाजिब है और अगर इतनी क़ै करके कटोरे या लोटे को मुंह लगा करके कुल्ली के वास्ते पानी लिया तो वह बरतन ना पाक हो जायेगा, इसलिए चुल्लू से पानी लेना चाहिए।

मस्अला 29—छोटा लड़का, जो दूध डालता है, उसका भी यही हुक्म है कि अगर मुंह भर न हो, तो नजिस नहीं है, और जब मुंह भर हो, तो नजिस है। अगर उसके बे-धोये नमाज़ पढ़ेगी, तो नमाज़ न होगी।

मस्अला 30—अगर वुज़ू करना तो याद है और उसके बाद वुज़ू टूटना अच्छी तरह याद नहीं कि टूटा है या नहीं टूटा, तो ऐसा वुज़ू बाक़ी समझा जायेगा उसी से नमाज़ दुरूस्त है, लेकिन फिर वुज़ू कर लेना बेहतर है।

मस्अला 31—जिसको वुज़ू करने में शक हो कि फ़्लां अंग धोया है या नहीं, तो वह अंग फिर धो लेना चाहिए और अगर वुज़ू कर चुकने के बाद शक हुआ, तो कुछ परवा न करे वुज़ू हो गया, हां अगर यक़ीन हो जाये कि फ़्लानी बात रह गई है, तो उसको कर ले।

मस्अला 32—बे वुज़ू कुरआन मजीद का छुना दुरूस्त नहीं है, हां

---

1. छिपाने की जगहें,

अगर ऐसे कपड़े से छू ले, जो बदन से जुदा हो जो जायज़ है। दोपट्टा या कुरते के दामन से, जबकि उसको पहने–ओढ़े हुए हो, तो उससे छूना दुरूस्त नहीं, हां अगर उतरा हुआ हो, तो उससे छूना दुरूस्त है और ज़ुबानी पढ़ना दुरूस्त है और कलाम मजीद खुला हुआ रखा है, उसको देख–देख कर पढ़ा, लेकिन हाथ नहीं लगाया, वह भी दुरूस्त है। इसी तरह बे–वुज़ू ऐसे तावीज़ का और ऐसी तश्तरी का छूना भी दूरूस्त नहीं, जिसमें कुरआन करीम की आयत लिखी हो, खूब याद रखो।

गुस्ल[1] का बयान

मस्अला 1—गुस्ल करने वाली को चाहिए कि पहले गट्टों तक धोये, फिर इस्तिंजे की जगह धोये, हाथ और इस्तिंजे की जगह पर नजासत हो, तब भी और न हो, तब भी, हर हाल में इन दोनों का पहले धोना चाहिए, फिर जहां बदन पर नजासत लगी हो, पाक करे, फिर वुज़ू करे। अगर किसी चौकी या पत्थर पर गुस्ल करती हो, तो वुज़ू करते वक़्त पैर भी धो ले और ऐसी जगह है कि पैर भर जायेंगे और गुस्ल के बाद फिर धोने पड़ेंगे, तो सारा वुज़ू करे, मगर पैर न धोये फिर वुज़ू के बाद तीन बार अपने सर पर पानी डाले, फिर तीन बार दाहिने कंधे पर पानी डाले, इस तरह कि सारे जिस्म पर पानी बह जाये, फिर उस जगह से हटकर पाक जगह पर आ जाये और पैर धोये और अगर वुज़ू के वक़्त पैर धो लिए हों तो अब धोने की ज़रूरत नहीं।

मस्अला 2—पहले सारे जिस्म पर अच्छी तरह हाथ फेर ले, तब पानी बहाये, ताकि सब जगह अच्छी तरह पानी पहुंच जाये, सूखा न रहे।

मस्अला 3—गुस्ल का तरीक़ा जो हमने अभी बयान किया, सुन्नत के मुताबिक़ है, उसमें से कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि उनके बग़ैर गुस्ल दुरूस्त नहीं होता, आदमी ना–पाक रहता है। और कुछ चीज़ें सुन्नत हैं, उनके करने से सवाब मिलता है और अगर न करे तो भी गुस्ल हो जाता है।

फ़र्ज़ तो सिर्फ़ तीन चीज़ें हैं—

1. इस तरह कुल्ली करना कि सारे मुंह में पानी पहुंच जाये,
2. नाक में पानी डालना, जहां तक नर्म है,

---

1. नहाना,

3. सारे बदन पर पानी पहुंचाना।

मस्अला 4—गुस्ल करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुंह न करे और पानी बहुत ज़्यादा न फेंके और न बहुत कम ले कि अच्छी तरह गुस्ल न कर सके और ऐसी जगह गुस्ल करे कि उसे कोई न देखे और गुस्ल करते वक़्त बातें न करे और गुस्ल के बाद किसी कपड़े से अपना बदन पोंछ डाले और बदन ढकने में बहुत जल्दी करे, यहां तक कि अगर वुज़ू करते वक़्त पैर न धोये हों तो गुस्ल की जगह से हट कर पहले अपना बदन ढके, फिर दोनो पैर धोये।

मस्अला 5—अगर तंहाई की जगह हो, जहां कोई न देख पाये, तो नंगे होकर नहाना भी दुरूस्त है, चाहे खड़ी होकर नहाये या बैठकर और चाहे गुस्लख़ाने की छत पिटी हो या न पिटी हो, लेकिन बैठकर नहाना बेहतर है, क्योंकि इसमें पर्दा ज़्यादा है और नाफ़ से लेकर घुटने के नीचे तक दूसरी औरत के सामने भी बदन खोलना गुनाह है। अक्सर औरतें दूसरी के सामने बिल्कुल नंगी होकर नहाती हैं, यह बड़ी बे-ग़ैरती की बात है।

मस्अला 6—जब सारे बदन पर पानी ख़ूब पड़ जाये और कुल्ली करे और नाक में पानी डाल ले, तो गुस्ल हो जायेगा, चाहे गुस्ल करने का इरादा हो, चाहे न हो, तो अगर पानी बरसते में ठंडी होने की ग़रज़ में खड़ी हो गई या हौज़ वग़ैरह में गिर पड़ी और सब बदन भीग गया और कुल्ली भी कर ली और नाक में पानी डाल लिया, तो गुस्ल हो गया। इसी तरह गुस्ल करते वक़्त कलमा पढ़ना या पढ़कर पानी दम करना ज़रूरी नहीं, चाहे कलमा पढ़े या न पढ़े, हर हाल में आदमी पाक हो जाता है, बल्कि नहाते वक़्त कलमा या और कोई दुआ न पढ़ना बेहतर है, उस वक़्त कुछ न पढ़े।

मस्अला 7—अगर बदन भर में बाल बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाये, तो गुस्ल न होगा। इसी तरह अगर गुस्ल करते वक़्त कुल्ली करना भूल गई या नाक में पानी नहीं डाला, तो भी गुस्ल नहीं हुआ।

मस्अला 8—अगर गुस्ल के बाद याद आये कि फ़्लानी जगह सूखी रह गई थी, तो फिर से नहाना वाजिब नहीं, बल्कि जहां सूखा रह गया था उसी को धो ले, लेकिन सिर्फ़ हाथ फेर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि थोड़ा पानी उस जगह बहा लेना चाहिए और अगर कुल्ली करना भूल गई हो तो अब कुल्ली करे, अगर नाक में पानी न डाला हो, तो अब डाल ले। मतलब यह कि जो चीज़ रह गई हो, अब उसको कर ले, नये सिरे से गुस्ल

करने की ज़रूरत नहीं।

मस्अला 9—अगर किसी बीमारी की वजह से सर पर पानी डालना नुक़्सान करे तो सर छोड़कर और सारा बदन धो ले, तब भी गुस्ल हो गया, लेकिन जब अच्छी हो जाये, तो अब सर धो डाले, फिर से नहाने की ज़रूरत नहीं है।

नोट—मस्अला 10 पृ० न० 61 पर दर्ज किया गया है

मस्अला 11—अगर सर के बाल गुंधे हुए न हों, तो सब बाल भिगोना और सारी जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। एक बाल भी सूखा रह गया, या एक बाल की जड़ में पानी नहीं पहुंचा, तो गुस्ल नहीं होगा और बाल गुंधे हुए हों, तो बालों का भिगोना माफ़ है, हां, सब जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, एक जड़ भी सूखी न रहने पाये और अगर बे-खोले सब जड़ों में पानी न पहुंच सके, तो खोल डाले और बालों को भी भिगोदे।

मस्अला 12—नथ और बालियों और अंगूठी-छल्लों को ख़ूब हिला ले कि पानी सूराख़ों में पहुंच जाये और अगर बालियां न पहने हों, तब भी इरादा करके सूराख़ों में पानी डाल ले, ऐसा न हो कि पानी न पहुंचे और गुस्ल सही न हो, हां, अगर अंगूठी-छल्ले ढीले हों कि बे-हिलाए भी पानी पहुंच जाए, तो हिलाना वाजिब नहीं, लेकिन हिला लेना अब भी मुस्तहब है।

मस्अला 13—अगर नाख़ून में आटा लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं हुआ, जब याद आये और आटा देखे, तो छुड़ाकर पानी डाल ले, अगर पानी पहुंचने से पहले कोई नमाज़ पढ़ ली हो, तो उसको लौटा दे।

मस्अला 14—अगर हाथ पांव फट गये हों और उसमें मोम-रोगन या कोई दवा भरी हो तो उसके ऊपर से पानी बहा लेना दुरूस्त है।

मस्अला 15—कान और नाक में भी ख़्याल करके पानी पहुंचाना चाहिए, पानी न पहुंचे तो गुस्ल न होगा।

मस्अला 16—नहाते वक़्त कुल्ली नहीं की, लेकिन मुंह भर के पानी पी लिया कि सारे मुंह में पहुंच गया, तो भी गुस्ल हो गया, क्योंकि मतलब तो सारे मुंह में पानी पहुंच जाने से है, कुल्ली करे या न करे, हां, अगर ऐसी तरह पानी पिये कि सारे मुंह भर में पानी न पहुंचे, तो यह पीना काफ़ी नहीं है, कुल्ली कर लेना चाहिए।

मस्अला 17—अगर बालों में या हाथ-पैरों में तेल लगा हुआ है कि बदन पर पानी अच्छी तरह ठहरता नहीं है, बल्कि पड़ते ही ढलक जाता है,

तो इसका कुछ हरज नहीं है, जब सारे बदन और सारे सर पर पानी डाल लिया, गुस्ल हो गया।

मस्अला 18—अगर दांतों के बीच में डली का टुकड़ा फंस गया, तो उसको खिलाल से निकाल डाले, अगर इसकी वजह से दांतों के बीच में पानी न पहुंचेगा, तो गुस्ल न होगा।

मस्अला 19—माथे पर अफ़्शां चुनी हो या बालों में इतना गोंद लगा है कि बाल अच्छी तरह न भीगेंगे, तो गोंद ख़ूब छुड़ा डाले और अफ़्शां धो डाले, अगर गोंद के नीचे पानी न पहुंचेगा, ऊपर ही ऊपर से बह जायेगा, तो गुस्ल न होगा।

मस्अला 20—अगर मिस्सी की धड़ी जमा ली है, तो उसको छुड़ा कर कुल्ली करे नहीं तो गुस्ल न होगा।

मस्अला 21—किसी की आंखें दुखती हैं, इसलिए उसकी आंखों से कीचड़ बहुत निकला और ऐसा सूख गया कि अगर उसको न छुड़ायेगी तो उसके नीचे आंख के कोये पर पानी न पहुंचेगा, तो उसका छुड़ा डालना वाजिब है, उसके छुड़ाये बग़ैर न वुज़ू दुरूस्त है, ना गुस्ल।

किस पानी से वुज़ू करना और नहाना दुरूस्त है और किस पानी से नहाना दुरूस्त नहीं

मस्अला 1—आसमान से बरसे हुए पानी और नदी–नाले, चश्मे और कुंए–तालाब और दरियाओं के पानी से वुज़ू और गुस्ल करना दुरूस्त है, चाहे मीठा पानी हो या खारी।

मस्अला 2—किसी फल या पेड़ या पत्तों से निचोड़े हुए अर्क़ से वुज़ू करना दुरूस्त नहीं। इसी तरह जो पानी तरबूज़ से निकलता है, उससे और गन्ने वग़ैरह के रस से वुज़ू और गुस्ल दुरूस्त नहीं है।

मस्अला 3—जिस पानी में कोई और चीज़ मिल गई और ऐसा हो गया कि अब बोल–चाल में उसको पानी नहीं कहते, बल्कि उसका कुछ और नाम हो गया, तो उससे वुज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं, जैसे शर्बत, शीरा और शोरबा और सिरका और गुलाब और अर्क़ गावज़ुबां वग़ैरह कि इनसे वुज़ू दुरूस्त नहीं है।

मस्अला 4—जिस पानी में कोई पाक चीज़ पड़ गई और पानी के

रंग या मज़े में कोई फ़र्क़ आ गया, लेकिन वह चीज़ पानी में पकाई नहीं गई, न पानी के पतले होने में कोई फ़र्क़ आया, जैसे कि बहते हुए पानी में कुछ रेत मिली हुई होती है या पानी में ज़ाफ़रान मिल गया हो और उसका बहुत हल्का रंग आ गया हो या साबुन पड़ गया या इसी तरह की कोई चीज़ पड़ गई, तो इन सब सूरतों में वुज़ू और गुस्ल दुरूस्त है।

मस्अला 5—अगर कोई चीज़ पानी में डालकर पकाई गई, उससे रंग–मज़ा वग़ैरह बदला, तो इस पानी से वुज़ू दुरूस्त नहीं, हां अगर ऐसी चीज़ पकाई गई, जिससे मैल–कुचैल ख़ूब साफ़ हो जाता है, और उसके पकाने से पानी गाढ़ा न हुआ, तो उससे वुज़ू दुरूस्त है, जैसे कि मुर्दा नहलाने के लिए बेरी की पत्तियां पकाते हैं, तो इसमें कुछ हरज नहीं, हां, अगर इतनी ज़्यादा डाल दें कि पानी गाढ़ा हो गया, तो उससे वुज़ू और गुस्ल दुरूस्त नहीं।

मस्अला 6—कपड़ा रंगने के लिए ज़ाफ़रान घोला या पुड़िया घोली, तो उससे वुज़ू दुरूस्त नहीं।

मस्अला 7—अगर पानी में दूध मिल गया, तो अगर दूध का रंग अच्छी तरह से पानी में आ गया, तो वुज़ू दुरूस्त नहीं और अगर दूध बहुत कम था कि रंग नहीं आया, तो वुज़ू दुरूस्त है।

मस्अला 8—जंगल में कहीं थोड़ा पानी मिला, तो जब तक उसकी नजासत का यक़ीन न हो जाये, उस वक़्त तक उससे वुज़ू करे, सिर्फ़ इस ख़्याल (वहम) से न छोड़ दे कि शायद नजिस हो। अगर इसके होते हुए तयम्मुम[1] करेगी, तो तयम्मुम न होगा।

मस्अला 9—किसी कुएं वग़ैरह में पेड़ के पत्ते गिर पड़े और पानी में बदबू आने लगी और रंग और मज़ा भी बदल गया, तो भी उससे वुज़ू दुरूस्त है, जब तक कि पानी इस तरह पतला बाक़ी रहे।

मस्अला 10—जिस पानी में नजासत पड़ जाये, उससे वुज़ू–गुस्ल कुछ भी दुरूस्त नहीं, चाहे वह नजासत थोड़ी हो या बहुत हो। हां अगर बहता हुआ पानी हो, तो वह नजासत के पड़ने से ना–पाक नहीं होता, जब तक उसके रंग या मज़े या बू में फ़र्क़ न आये और जब नजासत की वजह से रंग या मज़ा बदल गया या बू आने लगी, तो बहता हुआ पानी भी नजिस हो जायेगा,

---

1. पानी न मिलने पर, किसी सूखी, पाक, धूलदार जगह पर हाथ मारकर, हाथ और मुंह मलने को तयम्मुम कहते हैं।

उससे वुज़ू दुरूस्त नहीं। जो पानी घास–तिनके–पत्थर को बहा ले जाये, वह बहता पानी है, चाहे कितना ही धीरे–धीरे बहता हो।

मस्अला 11—बड़ा भारी हौज़, जो दस हाथ लम्बा, दस हाथ चौड़ा और इतना गहरा हो कि अगर चुल्लू से पानी उठायें तो ज़मीन न खुले, यह भी बहते हुए पानी की तरह है, ऐसे हौज़ को 'देह दर देह' कहते हैं। अगर इसमें ऐसी नजासत पड़ जाये, जो पड़ जाने के बाद दिखलाई नहीं देती, जैसे पेशाब, ख़ून, शराब वग़ैरह, तो चारों तरफ़ वुज़ू करना दुरूस्त है। जिधर चाहे वुज़ू करे। अगर ऐसी नजासत पड़ जाये जो दिखाई देती है जैसे मुर्दा कुत्ता, तो जिधर पड़ा हो, उस तरफ़ वुज़ू न करे, उसके सिवा और जिस तरफ़ चाहे करे। हां अगर इतने बड़े हौज़ में इतनी नजासत पड़ जाये कि रंग या मज़ा बदल जाये या बदबू आने लगे, तो नजिस हो जायेगा।

मस्अला 12—अगर बीस हाथ लम्बा या पांच हाथ चौड़ा या पचीस हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा हो, वह हौज़ भी देह दर देह के जैसा है।

मस्अला 13—छत पर नजासत पड़ी है और पानी बरसा और परनाला चला, तो अगर आधी या आधी से ज़्यादा छत नापाक है तो वह पानी नजिस है और अगर छत आधी से कम नापाक है, तो वह पानी पाक है और अगर नजासत परनाले के पास ही हो और इतनी हो कि सब पानी उससे मिलकर आता हो वह नजिस है।

मस्अला 14—अगर पानी धीरे–धीरे बहता हो, तो बहुत जल्दी–जल्दी वुज़ू न करे कि जो धोवन गिरता है, वही हाथ में आ जाये।

मस्अला 15—देह दर देह हौज़ में, जहां धोवन गिरा है, अगर वहीं से फिर पानी उठा ले तो भी जायज़ है।

मस्अला 16—अगर कोई काफ़िर या लड़का, बच्चा अपना हाथ पानी में डाल दे, तो पानी नजिस नहीं होता, हां, अगर मालूम हो जाये कि उसके हाथ में नजासत लगी थी, तो नापाक हो जायेगा, लेकिन छोटे बच्चे का कुछ एतबार नहीं। इसलिए जब तक कोई और पानी मिले, उसके हाथ डाले हुए पानी से वुज़ू न करना बेहतर है।

मस्अला 17—जिस पानी में ऐसी जानदार चीज़ मर जाये, जिसके बहता हुआ ख़ून नहीं होता, या बाहर मर कर पानी में गिर पड़े, तो पानी नजिस नहीं होता, जैसे मच्छर, मक्खी, भिड़, ततैया, बिच्छू, शहद की मक्खी या इसी क़िस्म की और जो कोई चीज़ हो।

मस्अला 18—जिस चीज़ का जन्म पानी का हो और हर दम पानी ही में रहा करती हो, उसके मर जाने से पानी ख़राब नहीं होता, पाक रहता है जैसे मछली, मेंढक, कछुवा, केकड़ा वग़ैरह। और अगर पानी के सिवा और किसी चीज़ में मर जाये जैसे, सिरका, शीरा, दूध वग़ैरह, तो वह भी नापाक नहीं होता और ख़ुश्की का मेंढक और पानी का मेंढक, दोनों का एक हुक्म है। यानी न इसके मरने से, पानी नजिस होता है, न उसके मरने से, लेकिन अगर ख़ुश्की के किसी मेंढक में ख़ून होता हो, तो उसके मारने से पानी वग़ैरह, जो चीज़ हो नापाक हो जायेगी।

फ़ायदा—पानी के मेंढक की पहचान यह है कि उसकी उंगलियों के बीच में झल्ली लगी होती है और ख़ुश्की के मेंढक की उंगलियां अलग-अलग होती हैं।

मस्अला 19—जो चीज़ पानी में रहती हो, लेकिन उसका जन्म पानी का न हो, उसके मर जाने से पानी ख़राब व नजिस हो जाता है। जैसे, बत्तख़ और मुर्ग़ाबी। इसी तरह मेंढक मर कर पानी में गिर पड़े, तो भी नजिस हो जाता है।

मस्अला 20—मेंढक, कछुवा वग़ैरह अगर पानी में मर कर बिल्कुल गल जाये और टुकड़े-टुकड़े होकर पानी में मिल जाये, तो भी पानी पाक है, लेकिन उसका पीना और उससे खाना-पकाना दुरूस्त नहीं, हां, वुज़ू, गुस्ल उससे कर सकते हैं।

मस्अला 21—धूप के जले हुए पानी से सफ़ेद दाग़ हो जाने का डर है, इसलिए उससे वुज़ू और गुस्ल न करना चाहिए।

मस्अला 22—मुर्दार की खाल को जब धूप में सुखा डालें या कुछ दवा वग़ैरह लगाकर दुरूस्त कर लें कि पानी भर जाये और रखने से ख़राब न हो, तो पाक हो जाती है, उस पर नमाज़ पढ़ना दुरूस्त है, और मुश्क वग़ैरह बनाकर उसमें पानी रखना भी दुरूस्त है, लेकिन सूअर की खाल पाक नहीं होती और सब खालें पाक हो जाती हैं, मगर आदमी की खाल से कोई काम लेना और बरतना बहुत गुनाह है।

मस्अला 23—कुत्ता, बंदर, बिल्ली, शेर वग़ैरह, जिनकी खाल बनाने से पाक हो जाती है, बिस्मिल्लाह कह कर ज़िब्ह करने से भी खाल पाक हो जाती है, चाहे बनाई हो या बे-बनाई। हां, ज़िब्ह करने से उनका गोश्त पाक नहीं होता और उनका खाना भी दुरूस्त नहीं।

मस्अला 24—मुर्दार के बाल और सींग और हड्डी और दांत, ये सब

चीज़ें पाक हैं। अगर पानी में पड़ जायें, तो नजिस न होगा, हां, मगर हड्डी और दांत वग़ैरह पर उस मुर्दार की कुछ चिकनाई वग़ैरह लगी हो, तो वह नजिस है और पानी भी नजिस हो जायेगा।

मस्अला 25—आदमी की भी हड्डी और बाल पाक हैं, लेकिन उनको बरतना और काम में लाना जायज़ नहीं, बल्कि इज़्ज़त से किसी जगह गाड़ देना चाहिए।

कुएं का बयान

मस्अला 1—जब कुएं में कोई नजासत गिर पड़े, तो कुआं नापाक हो जाता है और पानी खींच डालने से पाक हो जाता है, चाहे थोड़ी नजासत गिरे या बहुत, सारा पानी निकालना चाहिए। जब सारा पानी निकल जायेगा, तो पाक हो जायेगा। कुएं के अंदर के कंकर, दीवार वग़ैरह के धोने की ज़रूरत नहीं, वे सब आप ही आप पाक हो जायेंगे। इसी तरह रस्सी–डोल, जिससे पानी निकाला है, कुएं के पाक होने से आप ही आप पाक हो जायेगा, इन दोनों के भी धोने की ज़रूरत नहीं।

फ़ायदा—सब पानी के निकालने का यह मतलब है कि इतना निकालें कि पानी टूट जाये और आधा डोल भी न भरे।

मस्अला 2—कुएं में कबूतर या गौरय्या यानी चिड़िया की बीट गिर गयी तो नजिस नहीं हुआ। और मुर्ग़ी और बतख़ की गंदगी से नजिस हो जाता है और सारा पानी निकालना वाजिब है।

मस्अला 3—कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी वग़ैरह पेशाब कर दे या कोई और नजासत गिरे तो सब पानी निकाला जाये।

मस्अला 4—अगर आदमी या कुत्ता या बकरी या इसी के बराबर कोई और जानवर गिरकर मर जाये तो सारा पानी निकाला जाये।

मस्अला 5—अगर कोई जानदार चीज़ कुएं में मर जाये और फूल जाये या फट जाये, तब भी सब पानी निकाला जाये, चाहे छोटा जानवर हो, चाहे बड़ा। तो अगर चूहा या गौरय्या भरकर फूल जाये या फट जाये, तो सब पानी निकालना चाहिए।

मस्अला 6—अगर चूहा या चिड़िया या इसी के बराबर कोई और चीज़ गिरकर मर गई, लेकिन फूली–फटी नहीं, तो बीस डोल निकालना वाजिब है और तीस निकाल डालें तो बेहतर है। लेकिन पहले चूहा निकाला

लें, तब पानी निकालना शुरू करें, अगर चूहा न निकला, तो इस पानी निकालने का कुछ एतबार नहीं, चूहा निकालने के बाद फिर उतना ही पानी निकालना पड़ेगा।

मस्अला 7—बड़ी छिपकली, जिसमें बहता हुआ ख़ून होता है, उसका हुक्म भी यही है कि अगर मर जाये और फूले–फटे नहीं, तो बीस डोल निकालना चाहिए और तीस डोल निकालना बेहतर है। और जिसमें बहता हुआ ख़ून न होता हो, उसके मरने से पानी नापाक नहीं होता।

मस्अला 8—अगर कबूतर या मुर्ग़ी या बिल्ली या इसी के बराबर कोई चीज़ गिर कर मर जाये और फूले नहीं, तो चालीस डोल निकालना वाजिब है और साठ डोल निकाल देना बेहतर है।

मस्अला 9—जिस कुएं पर जो डोल पड़ा रहता है, उसी के हिसाब से निकालना चाहिए और अगर इतने बड़े डोल से निकाला, जिसमें पानी बहुत समाता है, तो उसका हिसाब लगा लेना चाहिए। अगर उसमें दो डोल समाता है, तो दो डोल समझें और अगर चार डोल समाता हो, तो चार डोल समझना चाहिए। मतलब यह है कि जितने डोल पानी उसमें आता हो, उसी के हिसाब से खींचा जायेगा।

मस्अला 10—अगर कुएं में इतना बड़ा सोत है कि सब पानी नहीं निकल सकता, जैसे–जैसे पानी निकालते हैं, वैसे–वैसे उसमें से और निकल आता है, तो जितना पानी उसमें उस वक़्त मौजूद है, अंदाज़ा करके उसी क़दर पानी निकाल डालें।

फ़ायदा—पानी का अंदाज़ा करने की कई शक्लें हैं :—

एक यह है कि मिसाल के तौर पर पांच हाथ पानी है, तो एकदम लगातार सौ डोल पानी निकाल कर देखो कि कितना पानी कम हुआ। अगर एक हाथ कम हुआ हो तो बस उसी से हिसाब लगा लो कि सौ डोल में एक हाथ पानी टूटा तो पांच हाथ पानी पांच सौ में निकल जायेगा।

दूसरे यह कि जिन लोगों को पानी की पहचान हो और उसका अंदाज़ा आता हो, ऐसे दो दीनदार मुसलमानों से अंदाज़ा करा लो, जितना वे कहें निकलवा दो और जहां ये दोनों बातें मुश्किल मालूम हों, तीन सौ डोल निकलवा लें।

मस्अला 11—कुएं में मरा हुआ चूहा या और कोई जानवर निकला और यह मालूम नहीं कि कब से गिरा है और अभी फूला–फटा भी नहीं है, तो जिन लोगों ने उस कुएं से वुज़ू किया है, एक दिन–रात की नमाज़ें दोहरायें और उस पानी से जो कपड़े धोये हैं, फिर उनको धोना चाहिए और

अगर फूल गया है या फट गया है तो, तीन रात की नमाज़ें दोहराना चाहिए। हां, जिन लोगों ने उस पानी से वुज़ू नहीं किया है, वे न दोहराएं, यह बात तो एहतियात की है। वरना कुछ आलिमों ने यह कहा है कि जिस वक़्त कुएं का नापाक होना मालूम हुआ है, उसी वक़्त से नापाक समझेंगे, उससे पहले की नमाज़–वुज़ू सब दुरूस्त है, अगर कोई इस पर अमल करे, तब भी दुरूस्त है।

मस्अला 12—जिसको नहाने की ज़रूरत है, वह डोल ढूंढने के लिए कुएं में उतरा और उसके बदन और कपड़े पर नजासत की गंदगी नहीं है, तो कुआं नापाक न होगा। ऐसे ही अगर काफ़िर उतरे और उसके कपड़े और बदन पर नजासत न हो, तब भी कुआं पाक है, हां अगर नजासत लगी हो, तो नापाक हो जायेगा, और सब पानी निकालना पड़ेगा और अगर शक हो कि मालूम नहीं कि कपड़ा नापाक है या पाक तब भी कुआं पाक समझा जायेगा, लेकिन अगर दिल की तसल्ली के लिए बीस या तीस डोल निकलवा दें, तब भी कुछ हरज नहीं।

मस्अला 13—कुएं में बकरी या चूहा गिर गया और ज़िंदा निकल आया तो पानी पाक है, कुछ न निकाला जाये।

मस्अला 14—चूहे को बिल्ली ने पकड़ा और उसके दांत लगने से ज़ख़्मी हो गया, फिर उससे छूटकर उसी तरह ख़ून से भरा हुआ कुएं में गिर पड़ा तो सारा पानी निकाला जाये।

मस्अला 15—चूहा नाली से निकल कर भागा, और उसके बदन में नजासत भर गई, फिर कुंए में गिर पड़ा, तो सारा पानी निकाला जाये, चूहा कुंए में मर जाये या ज़िंदा निकले।

मस्अला 16—चूहे की दूम कट कर गिर पड़े, तो सारा पानी निकाला जाये। इसी तरह वह छिपकली, जिसमें बहता ख़ून होता हो, उसकी दुम गिरने से भी सब पानी निकाला जायेगा।

मस्अला 17—जिस चीज़ के गिरने से कुआं नापाक हुआ है, अगर वह चीज़ कोशिश के बावजूद न निकल सके, तो देखना चाहिए कि वह चीज़ कैसी है। अगर वह चीज़ ऐसी है कि ख़ुद तो पाक होती है, लेकिन नापाकी लगने से नापाक हो गई है, जैसे नापाक कपड़ा, नापाक गेंद, नापाक जूता, तब उसका निकालना माफ़ है, वैसे ही पानी निकाल डालें। अगर वह चीज़ ऐसी है कि ख़ुद नापाक है, जैसे मुर्दा जानवर, चूहा वग़ैरह, तो जब तक यह यक़ीन न हो जाये कि यह गल–सड़कर मिट्टी हो गया है, उस वक़्त तक कुआं पाक नहीं हो सकता और जब यह यक़ीन हो जाये, उस वक़्त सारा

पानी निकाल दें, कुआं पाक हो जायेगा।

मस्अला 18—जितना पानी कुएं में से निकालना ज़रूरी हो, चाहे एक दम निकालें, चाहे थोड़ा-थोड़ा कई बार में निकालें, हर तरह पाक हो जायेगा।

जानवरों के जूठे का बयान

मस्अला 1—आदमी का जूठा पाक है, चाहे बद-दीन हो, या हैज़[1] या निफ़ास[2] में हो, हर हाल में पाक है इसी तरह पसीना भी इन सब का पाक है, हां, अगर उसके हाथ या मुंह में कोई नापाकी लगी हो, तो उससे वह जूठा नापाक हो जायेगा।

मस्अला 2—कुत्ते का जूठा नजिस है। अगर किसी बरतन में मुंह डाल दे, तो तीन बार धोने से पाक हो जायेगा, चाहे मिट्टी का बरतन हो, चाहे तांबे वग़ैरह का, धोने से सब पाक हो जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि सात बार धोये और एक बार मिट्टी लगा कर मांझ भी डाले कि ख़ून साफ़ हो जाये।

मस्अला 3—सूअर को जूठा भी नजिस है। इसी तरह शेर, भेड़िया, बंदर, गीदड़ वग़ैरह जितने चीर फाड़कर खाने वाले जानवर हैं, सबका जूठा नजिस है।

मस्अला 4—बिल्ली का जूठा पाक तो हैं, लेकिन मकरूह[3] है। दूसरा पानी होते हुए उससे वुज़ू न करे, हां, अगर कोई और पानी न मिले, तो उससे वुज़ू कर ले।

मस्अला 5—दूध, सालन वग़ैरह में बिल्ली ने मुंह डाल दिया, तो अगर अल्लाह ने सब कुछ ज़्यादा दिया हो, तो उसे न खाये और अगर ग़रीब आदमी हो, तो खा लें, इसमें कुछ हरज नहीं और गुनाह नहीं है, बल्कि ऐसे आदमी के लिए मकरूह भी नहीं है।

मस्अला 6—अगर बिल्ली ने चूहा खाया, और फ़ौरन आकर बरतन में मुंह डाल दिया, तो वह नजिस हो जायेगा और जो थोड़ी देर ठहर के

---

1. माहवारी,
2. बच्चा पैदा होने के बाद का ख़ून,
3. नापसंदीदा,

मुंह डाले कि अपना मुंह जुबान से चाट चुकी हो, तो नजिस न होगा, बल्कि मकरूह ही रहेगा।

मस्अला 7—खुली हुई मुर्गियां, जो इधर-उधर गंदी पलीद चीज़ें खाती फिरती हैं, उनका जूठा मकरूह है और जो मुर्गी बंद रहती है, उसका जूठा मकरूह नहीं, बल्कि पाक है।

मस्अला 8—शिकार करने वाले परिंदे जैसे शिकरा, बाज़ वग़ैरह, उनका जूठा भी मकरूह है, लेकिन जो पालतू हो और मुरदार न खाने पाये और न उसकी चोंच में किसी नजासत के लगे होने का शुबह हो, उसका जूठा पाक है।

मस्अला 9—हलाल जानवर, जैसे मेंढा, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, हिरनी वग़ैरह और हलाल चिड़िया जैसे मैना, तोता, फ़ाख़्ता, गौरय्या, इन सबका जूठा पाक है।

मस्अला 10—जो चीज़ें घरों में रहा करती हैं जैसे सांप-बिच्छू, चूहा, छिपकली, वग़ैरह, उनका जूठा मकरूह है।

मस्अला 11—अगर चूहा रोटी काट कर खा जाये, तो बेहतर यह है कि उस जगह से थोड़ी सी तोड़ डाले, तब खाये।

मस्अला 12—गधे और ख़च्चर का जूठा पाक है, लेकिन वुज़ू होने में शक है, तो अगर कहीं सिर्फ़ गधे-ख़च्चर का जूठा पानी मिले और उसके सिवा और पानी न मिले, तो वुज़ू भी करे और तयम्मुम भी करे और चाहे पहले वुज़ू कर ले और चाहे पहले तयम्मुम कर ले, दोनों अख़्तियार है।

मस्अला 13—जिन जानवरों का जूठा नजिस है, उनका पसीना पाक है और जिनका जूठा पाक है, उनका पसीना भी पाक है और जिनका जूठा मकरूह है, उनका पसीना भी मकरूह है और गधे और ख़च्चर का पसीना पाक है। कपड़े और बदन पर लग जाये, जो धोना वाजिब नहीं, लेकिन धो डालना बेहतर है।

मस्अला 14—किसी ने बिल्ली पाली और वह पास आकर बैठी और हाथ वग़ैरह चाटती है, तो जहां चाटे या उसका लुआब लगे, उसको धो डालना चाहिए। अगर न धोया, योंही रहने दिया, तो मकरूह और बुरा किया।

मस्अला 15—ग़ैर-मर्द का जूठा खाना और पानी औरत के लिए मकरूह है, जब कि वह जानती हो कि यह उसका जूठा है और अगर मालूम न हो, तो मकरूह नहीं।

तयम्मुम का बयान

मस्अला 1—अगर कोई जंगल में है और बिल्कुल मालूम नहीं कि पानी कहां है, न वहां कोई आदमी है, जिससे पूछे, तो ऐसे वक़्त तयम्मुम कर ले और अगर कोई आदमी मिल गया और उसने एक मील के शरअी के अंदर–अंदर पानी का पता बाताया और उसकी बात भी सच्ची जान पड़ी या आदमी तो नहीं मिला, लेकिन किसी निशानी से खुद उसका जी कहता है कि यहां एक मील शरअी के अंदर–अंदर कहीं पानी ज़रूर है तो पानी का इतना खोजना कि उसको और उसके साथियों को किसी क़िस्म की तक़्लीफ़ और हरज न हो, ज़रूरी है, बे–ढूंढे तयम्मुम करना दुरूस्त नहीं है। और अगर ख़ूब यक़ीन है कि पानी एक मील शरअी के अंदर है तो पानी लाना वाजिब है।

फ़ायदा—मील शरअी मील अंग्रेज़ी से कुछ ज़्यादा होता है यानी अंग्रेज़ी एक मील पूरा और उसका आठवां हिस्सा, ये सब मिलकर एक मील शरअी होता है।

मस्अला 2—अगर पानी का पता चल गया, लेकिन पानी एक मील से दूर है, तो इतना दूर जाकर पानी लाना वाजिब नहीं है, बल्कि तयम्मुम कर लेना दुरूस्त है।

मस्अला 3—अगर कोई आबादी से एक मील के फ़ासले पर हो और एक मील से क़रीब कहीं पानी न मिले, तो भी तयम्मुम कर लेना दुरूस्त है, चाहे मुसाफ़िर हो या मुसाफ़िर न हो, थोड़ी दूर जाने के लिए निकली हो।

मस्अला 4—अगर राह में कुआं तो मिल गया, मगर लोटा–डोरा पास नहीं है, इसलिए कुएं से पानी नहीं निकाल सकती, न किसी और से मांगे मिल सकता है, तो भी तयम्मुम दुरूस्त है।

मस्अला 5—अगर कहीं पानी मिल गया, लेकिन बहुत थोड़ा है, तो अगर इतना हो कि एक–एक बार मुंह और दोनों हाथ–पैर धो सके तो तयम्मुम करना दुरूस्त नहीं है, बल्कि एक–एक बार इन चीज़ों को धोये और सर का मसह कर ले और कुल्ली वग़ैरह करना यानी वुज़ू की सुन्नतें छोड़ दे और अगर इतना भी न हो तो तयम्मुम कर ले।

मस्अला 6—अगर बीमारी की वजह से पानी नुक़्सान करता हो कि अगर वुज़ू या गुस्ल करेगी, तो बीमारी बढ़ जायेगी या देर में अच्छी होगी,

तब भी तयम्मुम दुरूस्त है, लेकिन अगर ठंडा पानी नुक़्सान करता हो और गर्म पानी नुक़्सान न करे तो गर्म पानी से गुस्ल करना वाजिब है, हां, अगर ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सकता तो तयम्मुम करना दुरूस्त है।

मस्अला 7—अगर पानी क़रीब है, यानी यक़ीनी तौर पर एक मील से कम दूर है, तो तयम्मुम करना दुरूस्त नहीं, जाकर पानी और वुज़ू करना वाजिब है। मर्दों से शर्म की वजह से या पर्दे की वजह से पानी लेने को न जाना और तयम्मुम कर लेना दुरूस्त नहीं। ऐसा पर्दा जिसमें शरीअत का कोई हुक्म छूट जाये, नाजायज़ और हराम है। ओढ़ कर या सारे बदन से चादर लपेट कर जाना वाजिब है, हां, लोगों के सामने बैठकर वुज़ू न करे और उनके सामने मुंह हाथ न खोले।

मस्अला 8—जब तक पानी से वुज़ू न कर सके, बराबर तयम्मुम करती रहे, चाहे जितने दिन गुज़र जायें, कुछ ख़्याल न करे, जितनी पाकी वुज़ू और गुस्ल करने से होती है, उतनी ही पाकी तयम्मुम से भी हो जाती है। यह न समझे कि तयम्मुम से अच्छी तरह पाक नहीं होती।

मस्अला 9—अगर पानी मोल बिकता है तो अगर उसके दाम न हों, तो तयम्मुम कर लेना दुरूस्त है और अगर दाम पास हों और रास्ते में किराए–भाड़े की जितनी ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा भी है, तो ख़रीदना वाजिब है, हां, अगर इतना मंहगा बेचे कि इतने दाम कोई लगा नहीं सकता, तो ख़रीदना वाजिब नहीं, तयम्मुम कर लेना दुरूस्त है और अगर किराए वग़ैरह यानी रास्ते के ख़र्च से ज़्यादा दाम नहीं हैं, तो भी ख़रीदना वाजिब नहीं, तयम्मुम कर लेना दुरूस्त है।

मस्अला 10—अगर कहीं इतनी सर्दी पड़ती हो और बर्फ़ कटती हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का डर हो और रज़ाई लिहाफ़ वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि नहाकर उसमें गर्म हो जाये, तो ऐसी मजबूरी के वक़्त तयम्मुम कर लेना दुरूस्त है।

मस्अला 11—अगर किसी के आधे से ज़्यादा बदन पर ज़ख़्म हो या चेचक निकली हो, तो नहाना वाजिब नहीं, बल्कि तयम्मुम कर ले।

मस्अला 12—अगर किसी मैदान में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली और पानी वहां से क़रीब ही था, लेकिन उसको ख़बर न थी, तो तयम्मुम और नमाज़ दोनों दुरूस्त हैं, जब मालूम हो, दोहराना ज़रूरी नहीं।

मस्अला 13—अगर सफ़र में किसी और के पास पानी हो, तो अपने जी को देखे, अगर अंदर से दिल कहता हो कि अगर मैं मांगूंगी तो

पानी मिल जायेगा, तो बे–मांगे हुए तयम्मुम करना दुरूस्त नहीं और अगर अंदर से दिल यह कहता हो कि मांगे से वह आदमी पानी नहीं देगा तो बे–मांगे भी तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेना दुरूस्त है, लेकिन अगर नमाज़ के बाद उससे पानी मांगा और उसने दे दिया तो नमाज़ को दोहराना पड़ेगा।

मस्अला 14—अगर ज़मज़म का पानी ज़मज़मी में भरा हुआ है तो तयम्मुम करना दुरूस्त नहीं, ज़मज़मियों को खोलकर उस पानी में नहाना और वुज़ू करना वाजिब है।

मस्अला 15—किसी के पास पानी तो है, लेकिन रास्ता ऐसा ख़राब है कि कहीं पानी नहीं मिल सकता, इसलिए राह में प्यास के मारे तक्लीफ़ और हलाकत का डर हो, तो वुज़ू न करे, तयम्मुम कर लेना दुरूस्त है।

मस्अला 16—अगर गुस्ल करना नुक़्सान करता हो और वुज़ू नुक़्सान न करे तो गुस्ल की जगह तयम्मुम कर ले। फिर अगर तयम्मुम गुस्ल के बाद टूट जाये, तो वुज़ू के लिए तयम्मुम न करे, बल्कि वुज़ू की जगह वुज़ू करना चाहिए और अगर गुस्ल के तयम्मुम से पहले कोई बात वुज़ू तोड़ने वाली भी पाई गई और फिर गुस्ल का तयम्मुम किया हो, तो भी तयम्मुम गुस्ल व वुज़ू दोनों के लिए काफ़ी है।

मस्अला 17—तयम्मुम करने का तरीक़ा यह है कि दोनों हाथ पाक ज़मीन पर मारे और सामने मुंह पर मल ले, फिर दूसरी बार ज़मीन पर दोनों हाथ मारे और दोनों हाथों पर कुहनी समेत मले। चूड़ियों, कंगनों वग़ैरह के दर्मियान अच्छी तरह मले, अगर उसके ख़्याल में नाख़ून बराबर भी कोई जगह छूट जायेगी, तो तयम्मुम न होगा। अंगूठी–छल्ले उतार डाले ताकि कोई जगह छूट न जाये, उंगलियों में खिलाल कर ले, जब ये दोनों चीज़ें कर लीं, तो तयम्मुम हो गया।

मस्अला 18—मिट्टी पर हाथ मारके हाथ झाड़ डाले ताकि बांहों और मुंह भभूत न लग जाये और सूरत न बिगड़े।

मस्अला 19—ज़मीन के सिवा और जो चीज़ मिट्टी की क़िस्म से हो, उस पर भी तयम्मुम दुरूस्त है जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर, गच, चूना, हड़ताल, सुर्मा, गेरू वग़ैरह और जो चीज़ मिट्टी की क़िस्म से न हो, उससे तयम्मुम दुरूस्त नहीं, जैसे सोना, चांदी, रांगा, गेहूं, लकड़ी, कपड़ा, और अनाज वग़ैरह। हां अगर इन चीज़ों पर गर्द और मिट्टी लगी हो, उस वक़्त, हां, उन पर तयम्मुम दुरूस्त है।

मस्अला 20—जो चीज़ न तो आग में जले और न गले, वह चीज़ मिट्टी की क़िस्म से है, उस पर तयम्मुम दुरूस्त है और जो चीज़ जल कर राख हो जाये या गल जाये, उस पर तयम्मुम दुरूस्त नहीं। इसी तरह राख पर भी तयम्मुम दुरूस्त नहीं।

मस्अला 21—तांबे के बर्तन और तकिए और गद्दे वग़ैरह कपड़े पर तयम्मुम करना दुरूस्त नहीं। हां, अगर उस पर इतनी गर्द है कि हाथ मारने से ख़ूब उड़ती है और हथेलियों में ख़ूब अच्छी तरह लग जाती है तो तयम्मुम दुरूस्त है और अगर हाथ मारने से थोड़ी–थोड़ी गर्द उड़ती हो तो भी उस पर तयम्मुम दुरूस्त नहीं और मिट्टी के घड़े, बंधने पर तयम्मुम दुरूस्त है, चाहे इसमें पानी भरा हो या न हो, लेकिन अगर उस पर रोग़न फिरा हुआ हो, तो तयम्मुम दुरूस्त नहीं।

मस्अला 22—अगर पत्थर पर बिल्कुल गर्द न हो, तब भी तयम्मुम दुरूस्त है, बल्कि अगर पानी से ख़ूब धुला हुआ हो, तब भी दुरूस्त है। हाथ पर गर्द का लगना कुछ ज़रूरी नहीं है, इसी तरह पक्की ईंट पर भी तयम्मुम दुरूस्त है, चाहे उस पर कुछ गर्द हो, चाहे न हो।

मस्अला 23—कीचड़ से तयम्मुम करना गरचे दुरूस्त है, मगर मुनासिब नहीं। अगर कहीं कीचड़ के सिवा और कोई चीज़ न मिले तो यह तरकीब करे कि अपना कपड़ा कीचड़ से भर ले, जब वह सूखे तो उससे तयम्मुम कर ले। हां, अगर नमाज़ का वक़्त ही निकला जाता हो, तो उस वक़्त जिस तरह बन पड़े, तर से ख़ुश्क से, तयम्मुम करे, नमाज़ क़ज़ा न होने दे।

मस्अला 24—अगर ज़मीन पर पेशाब वग़ैरह कोई नजासत पड़ गई और धूप से सूख गई और बदबू भी जाती रही, तो वह ज़मीन पाक हो गई। नमाज़ उस पर दुरूस्त है, लेकिन उस ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरूस्त नहीं, जब मालूम हो कि यह ज़मीन ऐसी है और अगर न मालूम हो तो वहम न करे।

मस्अला 25—जिस तरह वुज़ू की जगह तयम्मुम दुरूस्त है, उसी तरह ग़ुस्ल की जगह भी मजबूरी के वक़्त तयम्मुम दुरूस्त है। ऐसे ही जो औरत हैज़ व निफ़ास से पाक हुई हो, मजबूरी के वक़्त उसको भी तयम्मुम दुरूस्त है, वुज़ू और ग़ुस्ल के तयम्मुम में कोई फ़र्क़ नहीं। दोनों का एक ही तरीक़ा है।

मस्अला 26—अगर किसी को बतलाने के लिए तयम्मुम करके

दिखलाया, दिल में अपने तयम्मुम करने की नीयत नहीं, बल्कि सिर्फ़ उसको दिखलाने का इरादा है, तो उसका तयम्मुम न होगा, क्योंकि तयम्मुम दुरूस्त होने में तयम्मुम करने का इरादा ज़रूरी है, तो जब तयम्मुम करने का इरादा न हो, सिर्फ़ दूसरे को बतलाने और दिखलाने का इरादा हो, तो तयम्मुम न होगा।

मस्अला 27—तयम्मुम करते वक़्त अपने दिल में बस इतना इरादा कर ले कि मैं पाक होने के लिए तयम्मुम करती हूं या नमाज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम करती हूं तो तयम्मुम हो जायेगा और यह इरादा करना कि मैं गुस्ल का तयम्मुम करती हूं या वुज़ू का, कुछ ज़रूरी नहीं है।

मस्अला 28—अगर कुरआन मजीद के छूने के लिए तयम्मुम किया तो इससे नमाज़ पढ़ना दुरूस्त नहीं है और अगर एक नमाज़ के लिए तयम्मुम किया, दूसरे वक़्त की नमाज़ भी उससे पढ़ना दुरूस्त है और कुरआन मजीद का छूना भी तयम्मुम से दुरूस्त है।

मस्अला 29—किसी को नहाने की भी ज़रूरत है और वुज़ू भी नहीं है, तो एक ही तयम्मुम करे, दोनों के लिए अलग–अलग तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं है।

मस्अला 30—किसी ने तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली, फिर पानी मिल गया और वक़्त अभी बाक़ी है, तो नमाज़ का दोहराना वाजिब नहीं, वही नमाज़ तयम्मुम से दुरूस्त हो गई।

मस्अला 31—अगर पानी एक मील शरअी से दूर नहीं, लेकिन वक़्त बहुत तंग है। अगर पानी लेने जायेगी, तो नमाज़ का वक़्त जाता रहेगा, तो भी तयम्मुम दुरूस्त नहीं है, पानी लाये और नमाज़ क़ज़ा पढ़े।

मस्अला 32—पानी मौजूद होते वक़्त कुरआन मजीद के छूने के लिए तयम्मुम करना दुरूस्त है।

मस्अला 33—अगर आगे चलकर पानी मिलने की उम्मीद हो तो बेहतर है कि अव्वल वक़्त नमाज़ न पढ़े, बल्कि पानी का इंतिज़ार करे, लेकिन इतनी देर न लगाये कि वक़्त मकरूह हो जाये और पानी का इंतिज़ार न किया, अव्वल ही वक़्त नमाज़ पढ़ ली, तब भी दुरूस्त है।

मस्अला 34—अगर पानी पास है, लेकिन यह डर है कि रेल पर से उतरेगी, तो रेल चल देगी, तब भी तयम्मुम दुरूस्त है या सांप वग़ैरह कोई जानवर पानी के पास है, जिससे पानी नहीं मिल सकता, तो भी तयम्मुम दुरूस्त है।

मस्अला 35—सामान के साथ पानी बंद रखा था, लेकिन याद नहीं रहा और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली फिर याद आया कि मेरे सामान में तो पानी बंधा हुआ है, तो अब नमाज़ का दोहराना वाजिब नहीं।

मस्अला 36—जितनी चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है, उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है और पानी मिल जाने से भी तयम्मुम टूट जाता है। इसी तरह अगर तयम्मुम करके आगे चली और पानी एक मील शरअी के कम फ़ासिले पर रह गया तो भी तयम्मुम टूट गया।

मस्अला 37—अगर वुज़ू का तयम्मुम है तो वुज़ू के मुवाफ़िक़ पानी मिलने से तयम्मुम टूटेगा और गुस्ल का तयम्मुम है तो जब गुस्ल के मुवाफ़िक़ पानी मिलेगा, तब तयम्मुम टूटेगा और अगर पानी कम मिला, तो तयम्मुम नहीं टूटा।

मस्अला 38—अगर रास्ते में पानी मिला, लेकिन उसको पानी की कुछ ख़बर न हुई और मालूम न हुआ कि यहां पानी है तो भी तयम्मुम नहीं टूटा। इसी तरह अगर रास्ते में पानी मिला और मालूम भी हो गया, लेकिन रेल पर से न उतर सकी, तो भी तयम्मुम नहीं टूटा।

मस्अला 39—अगर बीमारी की वजह से तयम्मुम किया है, तो जब बीमारी जाती रही कि वुज़ू और गुस्ल नुक़्सान न करे तो तयम्मुम टूट जायेगा। अब वुज़ू और गुस्ल करना वाजिब है।

मस्अला 40—पानी नहीं मिला, इस वजह से तयम्मुम कर लिया, फिर ऐसी बीमारी हो गई, जिससे पानी नुक़्सान करता है, फिर बीमारी के बाद पानी मिल गया, तो अब तयम्मुम बाक़ी नहीं रहा, जो पानी न मिलने की वजह से किया था, फिर से तयम्मुम करे।

मस्अला 41—अगर नहाने की ज़रूरत थी, इसलिए गुस्ल किया, लेकिन ज़रा-सा बदन सूखा रह गया और पानी ख़त्म हो गया, तो अभी वह पाक नहीं हुई, इसलिए उसको तयम्मुम कर लेना चाहिए। जब भी पानी मिले तो इतनी सूखी जगह को धो ले, फिर से नहाने की ज़रूरत नहीं है।

मस्अला 42—अगर ऐसे वक़्त पानी मिला कि वुज़ू भी टूट गया, तो इस सूखी जगह को पहले धो ले और वुज़ू के लिए तयम्मुम करे और अगर पानी इतना कम है कि वुज़ू तो हो सकता है, लेकिन वह सूखी जगह इतने पानी में नहीं धुल सकती, तो वुज़ू करे और उस सूखी जगह के लिए गुस्ल का तयम्मुम कर ले। हां, अगर इस गुस्ल का तयम्मुम पहले कर चुकी हो, तो अब भी तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं, वही पहला तयम्मुम बाक़ी है।

मस्अला 43—किसी का कपड़ा या बदन भी नजिस है और वुज़ू की भी ज़रूरत है और पानी थोड़ा है, तो बदन और कपड़ा धो ले और वुज़ू के बदले तयम्मुम कर ले।

मोज़ों पर मसह करने का बयान

मस्अला 1—अगर चमड़े के मोज़े वुज़ू करके पहन ले और फिर वुज़ू टूट जाये, तो फिर वुज़ू करते वक़्त मोज़ों पर मसह कर लेना दुरूस्त है और अगर मोज़ा उतार कर पैर धो लिया करे तो यह सबसे बेहतर है।

मस्अला 2—अगर वह मोज़ा इतना छोटा है कि टख़ने मोज़े के अंदर छिपे हुए न हों, तो उस पर मसह दुरूस्त नहीं। इसी तरह अगर बग़ैर वुज़ू के मोज़ा पहन लिया, तो उस पर मसह दुरूस्त नहीं, उतार कर पैर धोना चाहिए।

मस्अला 3—सफ़र में तीन दिन–रात तक मोज़ों पर मसह करना दुरूस्त है और जो सफ़र में न हो, उसको एक दिन, एक रात और जिस वक़्त से वुज़ू टूटा है, उस वक़्त से एक दिन, एक रात एक या तीन दिन तीन रात का हिसाब किया जाएगा। जिस वक़्त से मोज़ा पहना है उसका एतबार न करेंगे जैसे किसी ने जुहर के वक़्त वुज़ू करके मोज़ा पहना, फिर सूरज डूबने के वक़्त वुज़ू टूटा, तो अगले दिन के सूरज डूबने तक मसह करना दुरूस्त है और सफ़र में तीसरे दिन के सूरज डूबने तक जब सूरज डूब गया, तो अब मसह करना भी दुरूस्त नहीं रहा।

मस्अला 4—अगर कोई ऐसी बात हो गई, जिससे नहाना वाजिब हो गया, तो मोज़ा उतार कर नहाये, गुस्ल के साथ मोज़े पर मसह करना दुरूस्त नहीं।

मस्अला 5—मोज़े के ऊपर की तरफ़ मसह करे, तलवे की तरफ़ मसह न करे।

मस्अला 6—मोज़े पर मसह करने का तरीक़ा यह है—
हाथ की उंगलियां तर करके आगे की तरफ़ रखे, उंगलियां तो समूची मोज़े पर रख दे और हथेली मोज़े से अलग रखे, फिर उनको खींचकर टख़ने की तरफ़ ले जाये और उंगलियों के साथ–साथ हथेली भी रख दे और हथेली समेत उंगलियों को खींचकर ले जाये, तो भी दुरूस्त है।

मस्अला 7—अगर कोई उलटा मसह करे यानी टख़ने की तरफ़ से

खींचकर उंगलियों की तरफ़ लाये, तो भी जायज़ है, लेकिन मुस्तहब के ख़िलाफ़ है। ऐसे ही अगर लम्बाई में मसह न करे, तो चौड़ाई में मसह करे, तो यह भी दुरूस्त है, लेकिन मुस्तहब के ख़िलाफ़ है।

मस्अला 8—अगर तलवे या ऐड़ी या मोज़े के अग़ल–बग़ल में मसह करे तो यह मसह दुरूस्त नहीं हुआ।

मस्अला 9—अगर पूरी उंगलियों को मोज़े पर नहीं रखा, बल्कि सिर्फ़ उंगलियों का सिर मोज़ा पर रख दिया और उंगलियां खड़ी रखीं, तो यह मसह दुरूस्त नहीं हुआ, हां अगर उंगलियों से पानी टपक रहा हो, जिससे बहकर तीन उंगलियों के बराबर पानी मोज़े को लग जाये, तो दुरूस्त हो जायेगा।

मस्अला 10—मसह में मुस्तहब तो यही है कि हथेली की तरफ़ से मसह करे और अगर कोई हथेली के ऊपर की तरफ़ मसह करे तो भी दुरूस्त है।

मस्अला 11—अगर किसी ने मोज़े पर मसह नहीं किया, लेकिन पानी बरसते वक़्त बाहर निकली या भीगी घास में चली तो मसह हो गया।

मस्अला 12—हाथ की तीन उंगलियां भर हर मोज़े पर मसह करना फ़र्ज़ है, इससे कम में मसह दुरूस्त न होगा।

मस्अला 13—जो चीज़ वुज़ू तोड़ देती है, उससे मसह भी टूट जाता है और मोज़ों के उतार देने से भी मसह टूट जाता है तो अगर किसी का वुज़ू तो नहीं टूटा, लेकिन उसने मोज़े उतार डाले तो मसह जाता रहा। अब दोनों पैर धो ले, फिर से वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है।

मस्अला 14—अगर एक मोज़ा उतार डाला, तो दूसरा मोज़ा भी उतार कर दोनों पांव का धोना वाजिब है।

मस्अला 15—अगर मसह की मुद्दत पूरी हो गई तो भी मसह जाता रहा। अगर वुज़ू न टूटा हो तो मोज़ा उतार कर दोनों पांव धोये, पूरे वुज़ू को दोहराना वाजिब नहीं और अगर वुज़ू टूट गया हो तो मोज़ा उतार कर पूरा वुज़ू करे।

मस्अला 16—मोज़े पर मसह करने के बाद कहीं पानी में पैर पड़ गया और मोज़ा ढीला था, इसलिए मोज़े के अंदर पानी चला गया और सारा पांव या आधे से ज़्यादा पांव भीग गया, तो भी मसह जाता रहा। दूसरा मोज़ा भी उतार दे और दोनों पैर अच्छी तरह से धोये।

मस्अला 17—जो मोज़ा इतना फट गया हो कि चलने में पैर की छोटी तीन उंगलियों के बराबर खुल जाता है, तो उस पर मसह दुरूस्त नहीं और उससे कम खुलता है तो मसह दुरूस्त है।

मस्अला 18—अगर मोज़े की सीवन खुल गई, लेकिन उसमें से पैर नहीं दिखलाई देता, तो मसह दुरूस्त है और अगर ऐसा हो कि चलते वक़्त तो तीन उंगलियों के बराबर पैर दिखाई देता है और यों नहीं दिखाई देता तो मसह दुरूस्त नहीं।

मस्अला 19—अगर एक मोज़े में दो उंगलियों के बराबर पैर खुल जाता है और दूसरे मोज़े में एक उंगली के बराबर, तो कुछ हरज नहीं, मसह जायज़ है और अगर एक ही मोज़ा कई जगह से फटा है और सब मिलाकर तीन उंगलियों के बराबर खुल जाता है, तो मसह जायज़ नहीं और अगर इतना कम हो कि सब मिलाकर भी पूरी तीन उंगलियों के बराबर नहीं होता, तो मसह दुरूस्त है।

मस्अला 20—किसी ने मोज़े पर मसह करना शुरू किया और अभी एक दिन–रात गुज़रने न पाया था कि मुसाफ़िर हो गई, तो तीन दिन रात तक मसह करती रहे और अगर सफ़र से पहले ही एक दिन–रात गुज़र जाये, तो मुद्दत ख़त्म हो चुकी, पैर धोकर फिर मोज़ा पहने।

मस्अला 21—अगर सफ़र में मसह करती थी, फिर घर पहुंच गई, तो अगर एक दिन–रात पूरी हो चुकी है, तो अब मोज़ा उतार दे, अब उस पर मसह दुरूस्त नहीं और अगर अभी एक दिन रात भी नहीं पूरी हुई, तो एक दिन–रात पूरी करे, उससे ज़्यादा तक मसह दुरूस्त नहीं।

मस्अला 22—अगर जुर्राब के ऊपर मोज़ा पहने है, तब भी मोज़े पर मसह दुरूस्त है।

मस्अला 23—जुर्राबों पर मसह करना दुरूस्त नहीं है। हां, अगर उन पर चमड़ा चढ़ा दिया गया हो या सारे मोज़े पर चमड़ा न चढ़ाया हो, बल्कि मर्दाना जूते की शक्ल पर चमड़ा लगा दिया गया हो, बहुत संगीन और सख़्त हो कि रास्ता भी चल सकती हो, तो इन सूरतों में जुर्राब पर भी मसह करना दुरूस्त है।

मस्अला 24—बुर्क़ा और दस्तानों पर मसह दूरूस्ते नहीं।

शेष पृष्ठ 38 का

वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

मस्अला 22—मर्द के हाथ लगाने से या यों ही ख़्याल करने से

अगर आगे की राह से पानी आ जाये तो वुज़ू टूट जाता है और उस पानी को जो जोश के वक़्त निकलता है, 'मज़ी' कहते हैं।

मस्अला 23—बीमारी की वजह से रेंट की तरह लेसदार पानी आगे की राह से आता हो, तो एहतियात इस कहने में है कि वह पानी नजिस है और उसके निकलने से वुज़ू टूट जाता है।

मस्अला 24—पेशाब या मज़ी की बूंद सूराख़ से बाहर निकल आयी, लेकिन अभी उसी खाल के अंदर है, जो ऊपर होती है, तब भी वुज़ू टूट गया। वुज़ू टूटने के लिए ख़ाल से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है।

मस्अला 25—मर्द के पेशाब की जगह से जब औरत के पेशाब की जगह मिल जाये और कुछ कपड़ा वग़ैरह बीच में आड़ न हो, तो वुज़ू टूट जाता है। ऐसे ही अगर दो औरतें अपनी–अपनी पेशाब करने की जगहें मिलायें, तब भी वुज़ू टूट जाता है, लेकिन यह खुद बहुत बुरा और गुनाह है। दोनों हालतों में चाहे कुछ निकले, चाहे कुछ निकले, चाहे न निकले, एक ही हुक्म है।

शेष पृष्ठ 42 का

गुस्ल का बयान

मस्अला 10—पेशाब की जगह आगे की खाल के अंदर पानी पहुंचाना गुस्ल में फ़र्ज़ है, अगर पानी न पहुंचेगा, तो गुस्ल न होगा।

जिन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है, उनका बयान

मस्अला 1—सोते या जागते में जब जवानी के जोश के साथ मनी निकल आये, तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मर्द के हाथ लगाने से पहले या सिर्फ़ ख़्याल और बयान करने से निकले या और किसी तरह से निकले, हर हाल में गुस्ल वाजिब है।

मस्अला 2—अगर आंख खुली और कपड़े या बदन पर मनी लगी

हुई देखी तो भी गुस्ल करना वाजिब है, चाहे सोते में कोई सपना देखा हो या न देखा हो।

तंबीह—जवानी के जोश के वक़्त अव्वल-अव्वल जो पानी निकलता है और उसके निकलने से जोश ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता, उसको मज़ी कहते हैं और ख़ूब मज़ा आकर जब जी भर जाता है, उस वक़्त जो निकलता है, उसको मनी कहते हैं। और पहचान इन दोनों की यही है कि मनी निकलने के बाद जी भर जाता है और जोश ठंडा पड़ जाता है और मज़ी के निकलने से जोश कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा हो जाता है और मज़ी पतली होती है और मनी गाढ़ी होती है। इसलिए सिर्फ़ मज़ी के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, हां, वुज़ू टूट जाता है।

मस्अला 3—जब मर्द के पेशाब की जगह की सुपरी अंदर चली जाये और छिप जाये तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मनी निकले या न निकले। मर्द की सुपारी आगे की राह में गई हो तो भी गुस्ल वाजिब है, चाहे कुछ भी न निकला हो और अगर पीछे की राह में गई हो, तो भी गुस्ल वाजिब है, लेकिन पीछे की राह में करना और कराना बड़ा गुनाह है।

मस्अला 4—जो ख़ून आगे की राह से हर महीने आया करता है, उसको हैज़ कहते हैं। जब यह ख़ून बंद हो जाये तो गुस्ल करना वाजिब है। और जो ख़ून बच्चा पैदा होने के बाद आता है, उसको निफ़ास कहते हैं, उसके बंद होने पर गुस्ल करना वाजिब है। कहने का मतलब यह है कि चार चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है—

1. जोश के साथ मनी निकलना,
2. मर्द की सुपारी को अंदर चला जाना,
3. हैज़, व
4. निफ़ास के ख़ून का बंद हो जाना।

मस्अला 5—छोटी लड़की से अगर किसी मर्द ने सोहबत की, जो अभी जवान नहीं हुई तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं, लेकिन आदत डालने के लिए उससे गुस्ल कराना चाहिए।

मस्अला 6—सोते में मर्द के पास रहने और सोहबत करने का सपना देखा और मज़ा भी आया, लेकिन आंख खुली तो देखा कि मनी नहीं निकली है, तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है, हां अगर मनी निकल आई हो तो गुस्ल वाजिब है। और अगर कपड़े या बदन पर कुछ भीगा-भीगा मालूम हो, लेकिन यह ख़्याल हो कि यह मज़ी है, मनी नहीं है, तब भी गुस्ल करना

वाजिब है।

मस्अला 7—अगर थोड़ी सी मनी निकली, और गुस्ल कर लिया, फिर नहाने के बाद मनी निकल आई तो फिर नहाना वाजिब है। और अगर नहाने के बाद शौहर की मनी निकली जो औरत के अंदर थी, तो गुस्ल दुरूस्त हो गया, फिर नहाना वाजिब नहीं है।

मस्अला 8—बीमारी की वजह से या और किसी वजह से आप ही आप मनी निकल आई, अगर जोश और ख़्वाहिश बिल्कुल नहीं थी, तो गुस्ल वाजिब नहीं, हां, वुज़ू टूट जायेगा।

मस्अला 9—मियां-बीवी दोनों एक पलंग पर सो रहे थे, जब उठे तो चादर पर मनी का धब्बा देखा और सोते में सपने का देखना न मर्द का याद है न औरत को, तो दोनों नहा लें, एहतियात इसी में है क्योंकि मालूम नहीं यह किसकी मनी है।

मस्अला 10—जब कोई काफ़िर मुसलमान हो जाये, तो उसको गुस्ल कर लेना मुस्तहब है।

मस्अला 11—जब कोई मुर्दे को नहलाये, तो नहलाने के बाद गुस्ल कर लेना मुस्तहब है।

मस्अला 12—जिस पर नहाना वाजिब है वह अगर नहाने के पहले कुछ खाना-पीना चाहे, तो पहले अपने हाथ और मुंह धो ले और कुल्ली कर ले तब खाये-पिये और अगर बे-हाथ-मुंह धोये खा पी ले, तब भी कोई गुनाह नहीं है।

मस्अला 13—जिनको नहानें की ज़रूरत है, उनको कुरआन मजीद का छूना और उसका पढ़ना और मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है और अल्लाह तआला का नाम लेना और कलमा पढ़ना और दरूद शरीफ़ पढ़ना जायज़ है और इस क़िस्म के मस्अलों को हम इन्शाअल्लाहु तआला हैज़ के बयान में अच्छी तरह से बयान करेंगे, वहां देख लेना चाहिए।

मस्अला 14—तफ़्सीर[1] की किताबों को बे-नहाये और बे-वुज़ू छूना मकरूह है और तर्जुमेदार कुरआन को छूना बिल्कुल हराम है।

---

1. कुरआन की टीका व व्याख्या.

मौलाना मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलंदशहरी
की
मशहूर व मक़्बूल किताब

मरने के बाद क्या होगा ?

जिस में शामिल हैं—

अहवाले बर्ज़ख़

मौत के वक़्त और मौत के बाद यानी बर्ज़ख़ के ज़माने के हालात, मोमिन का क़ब्र में एज़ाज़ और कुफ़्फ़ार की ज़िल्लत व अज़ाब वग़ैरह की तफ़्सील बयान की गयी हैं।

हालाते जहन्नम

इससे क़ुरआनी आयतों और सही हदीसों की रोशनी में आख़िरत के क़ैदख़ाना यानी जहन्नम के हालात तफ़्सील से लिखे गये हैं।

मैदाने हश्र

क़ुरआन व हदीस की रोशनी में क़ियामत के मुफ़स्सल हालात, हश्र व नश्र, हिसाब व किताब की पूरी बात।

खुदा की जन्नत

इस में क़ुरआन मजीद और अहादीस की रोशनी में जन्नत और जन्नतियों के तफ़्सीली हालात जमा किये गये हैं।

हिंदी एडीशन तैयार है, जल्द आर्डर भेजे—

(भाग-2)

बहिशती ज़ेवर

हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह०)

www.idaraimpex.com

बिषय सूची

क्या ?	कहां ?
नजासत के पाक करने का बयान	67
इस्तिंजे का बयान	73
नमाज़ का बयान	75
नमाज़ के वक़्तों का बयान	76
नमाज़ की शर्तों का बयान	79
नीयत करने का बयान	81
क़िबले की तरफ़ मुंह करने का बयान	82
फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के तरीक़े का बयान	83
कुरआन मजीद पढ़ने का बयान	89
नमाज़ तोड़ देने वाली चीज़ों का बयान	90
जो चीज़ें नमाज़ में मकरूह और मना हैं उनका बयान	92
जिन वजहों से नमाज़ का तोड़ देना दुरूस्त है, उसका बयान	95
वित्र नमाज़ का बयान	96
सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ों का बयान	97
फ़स्ल	102
इस्तिख़ारे की नमाज़ का बयान	103
तौबा की नमाज़ का बयान	105
क़ज़ा नमाज़ों के पढ़ने का बयान	105
सज्दा सह्व का बयान	108
सज्दा तिलावत का बयान	114
बीमार की नमाज़ का बयान	117
सफ़र की हालत में नमाज़ पढ़ने का बयान	120
घर में मौत हो जाने का बयान	124
नहलाने का बयान	126
कफ़्नाने का बयान	128
हैज़ और इस्तिहाज़े का बयान	131
हैज़ के हुक्मों का बयान	134
इस्तिहाज़ा और माज़ूर के हुक्मों का बयान	136
निफ़ास का बयान	138
निफ़ास और हैज़ वग़ैरह के हुक्मों का बयान	140
जवान होने का बयान	143

असली बहिश्ती ज़ेवर

का

दूसरा हिस्सा

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नजासत[1] के पाक करने का बयान

मस्अला 1—नजासत[2] की दो क़िस्में हैं—

एक वह जिसकी नजासत ज़्यादा सख़्त है। थोड़ी–सी लग जाये, तब भी धोने का हुक्म है, इसको नजासते ग़लीज़ा कहते हैं।

दूसरे वह, जिसकी नजासत ज़रा कम और हल्की है, उसको नजासते ख़फ़ीफ़ा कहते हैं।

मस्अला 2—ख़ून और आदमी का पाख़ाना–पेशाब और मनी और शराब और कुत्ते–बिल्ली का पाखाना–पेशाब और सूअर का मांस और उसके बाल और हड्डी वग़ैरह, उसकी सारी चीज़ें और घोड़े–गधे, ख़च्चर की लीद, और गाय–बैल–भैंस वग़ैरह का गोबर और बकरी–भेड़ की मेंगनी वग़ैरह, मतलब यह कि सब जानवरों का पाख़ाना और मुर्ग़ी–बत्तख़ और मुर्ग़ाबी की बीट और गधे और ख़च्चर और सब हराम जानवरों का पेशाब, ये सब चीज़ें नजासते ग़लीज़ा हैं।

मस्अला 3—छोटे दूध–पीते बच्चे का पेशाब–पाख़ाना भी नजासते ग़लीज़ा है।

---

1. जिन बयानों से यह हिस्सा शुरू था, वह पृ० 131 से पृ० 140 तक लिखे हुए मिलेंगे।

मस्अला 4—हराम परिंदों की बीट और हलाल जानवरों का पेशाब, जैसे बकरी–गाय–भैंस वग़ैरह और घोड़े का पेशाब नजासते ख़फ़ीफ़ा है।

मस्अला 5—मुर्ग़ी, बत्तख़, मुर्ग़ाबी के सिवा और हलाल परिंदों की बीट पाक है, जैसे कबूतर, गौरय्या यानी चिड़िया, मैना वग़ैरह और चमगादड़ का पेशाब और बीट भी पाक है।

मस्अला 6—नजासते ग़लीज़ा में से अगर पतली और बहने वाली चीज़ कपड़े या बदन में लग जाये, तो अगर फैलाव में रूपए के बराबर या उससे कम हो, तो माफ़ है, उसको धोये बग़ैर अगर नमाज़ पढ़ ले तो नमाज़ हो जायेगी, लेकिन न धोना और इसी तरह नमाज़ पढ़ते रहना मकरूह और बुरा है और अगर रूपए से ज़्यादा हो तो वह माफ़ नहीं, बग़ैर उसके धोए नमाज़ न होगी और अगर नजासते ग़लीज़ा में से गाढ़ी चीज़ लग जाये, जैसे पाखाना और मुर्ग़ी वग़ैरह की बीट, तो अगर वज़न में साढ़े चार माशा या उससे कम हो, तो बे–धोए हुए नमाज़ दुरूस्त है और अगर उससे ज़्यादा लग जाये, तो बे–धोये नमाज़ दुरूस्त नहीं है।

मस्अला 7—अगर नजासते ख़फ़ीफ़ा कपड़े या बदन में लग जाये, तो जिस हिस्से में लगी है, अगर उसके चौथाई से कम हो, तो माफ़ है और अगर पूरा चौथाई या उससे ज़्यादा हो, तो माफ़ नहीं यानी आस्तीन में लगी है, तो आस्तीन की चौथाई से कम हो और अगर कली में लगी है तो उसकी चौथाई से कम हो, अगर दोपट्टे में लगी है तो उसकी चौथाई से कम हो तब माफ़ है। इसी तरह अगर नजासते ख़फ़ीफ़ा हाथ में भरी है, तो हाथ की चौथाई से कम हो तो माफ़ है। इसी तरह अगर टांग में लग जाये, तो उसकी चौथाई से कम हो, तब माफ़ है, मतलब यह है कि जिस अंग में लगे, उसकी चौथाई से कम हो और अगर पूरा चौथाई हो, तो माफ़ नहीं, उसका धोना वाजिब है, यानी बे–धोये हुए नमाज़ दुरूस्त नहीं।

मस्अला 8—नजासते ग़लीज़ा जिस पानी में पड़ जाये, तो वह पानी भी नजिस हो जाता है और नजासते ख़फ़ीफ़ा पड़ जाये, तो पानी भी नजिसे ख़फ़ीफ़[1] हो जाता है, चाहे कम पड़े या ज़्यादा।

मस्अला 9—कपड़े में नजिस तेल लग गया और हथेली के गहराव यानी रूपए से कम भी है, लेकिन वह दो एक दिन में फैलकर ज़्यादा हो

---

1. हल्का नजिस (नापाक)

गया, तो जब तक रूपए से ज़्यादा न हो माफ़ है, और जब बढ़ गया, तो माफ़ नहीं रहा। अब उसका धोना वाजिब है, बग़ैर धोये हुए नमाज़ न होगी।

मस्अला 10—मछली का ख़ून नजिस नहीं है। अगर लग जाये तो, कुछ हरज नहीं। इसी तरह मक्खी, खटमल, मच्छर का ख़ून भी नजिस नहीं है।

मस्अला 11—अगर पेशाब की छींटें सूई की नोक के बराबर पड़ जायें कि देखने में दिखाई न दें, तो इसका कुछ हरज नहीं, धोना वाजिब नहीं है।

मस्अला 12—अगर दलदार नजासत लग जाये, जैसे पाख़ाना, ख़ून, तो इतना धोये कि नजासत छूट जाये और धब्बा जाता रहे, चाहे जितनी बार में छूटे। जब नजासत छूट जायेगी, तो कपड़ा पाक हो जायेगा और अगर बदन में लग गई हो, तो उसका भी यही हुक्म है, हां, अगर पहली बार ही में नजासत छूट गई, तो दो बार और धो लेना बेहतर है और अगर दो बार में छूटी है, तो एक बार और धो ले, मतलब यह है कि तीन बार पूरे कर लेना बेहतर है।

मस्अला 13—अगर ऐसी नजासत है कि कई बार धोने और नजासत के छूट जाने पर भी बदबू नहीं गई, या कुछ धब्बा रह गया है, तो भी कपड़ा पाक हो गया, साबुन वग़ैरह लगाकर धब्बा छुड़ाना और बदबू दूर करना ज़रूरी नहीं।

मस्अला 14—और अगर पेशाब की तरह की कोई चीज़ लग गई, जो दलदार नहीं है, तो तीन बार धोये और हर बार निचोड़े और तीसरी बार अपनी ताक़त भर ख़ूब ज़ोर से निचोड़े, तब पाक होगा, तो अगर ख़ूब ज़ोर से न निचोड़ेगी, तो कपड़ा पाक न होगा।

मस्अला 15—अगर नजासत ऐसी चीज़ में लगी है, जिसको निचोड़ नहीं सकती, जैसे तख़्त, चटाई, ज़ेवर, मिट्टी या चीनी के बरतन बोतल, जूता वग़ैरह, तो उसके पाक करने का तरीक़ा यह है कि एक बार धो कर ठहर जाये। जब पानी टपकना बंद हो जाये, फिर धोये, फिर जब पानी टपकना रूके, तब फिर धोये। इसी तरह तीन बार धोये, तो वह चीज़ पाक हो जायेगी।

मस्अला 16—पानी की तरह जो चीज़ पतली और पाक हो उससे नजासत का धोना दुरूस्त है, तो अगर कोई गुलाब या अर्क़े गावज़ुबा या किसी अर्क़ या सिर्के से धोये तो भी चीज़ पाक हो जायेगी, लेकिन घी और तेल और दूध वग़ैरह किसी ऐसी चीज़ से धोना दुरूस्त नहीं, जिसमें कि

चिकनाई हो, वह चीज़ ना पाक रहेगी।

नोट—मस्अला 17 पृ० 152 पर है।

मस्अला 18—जूते और चमड़े के मोज़े में अगर दलदार नजासत लग कर सूख जाये जैसे, गोबर, पाखाना, ख़ून, मिट्टी वग़ैरह, तो ज़मीन पर ख़ूब घिसकर नजासत छुड़ा डालने से पाक हो जाता है, ऐसे ही खुरच डालने से भी पाक हो जाता है और अगर सूखी न हो, तब भी, अगर इतना रगड़ डाले और घिस दे कि नजासत का नाम व निशान बाक़ी न रहे, तो पाक हो जायेगा।

मस्अला 19—अगर पेशाब की तरह कोई नजासत जूते या चमड़े के मोज़े में लग गई, जो दलदार नहीं है, तो बे–धोये पाक नहीं होगा।

मस्अला 20—कपड़ा और बदन सिर्फ़ धोने ही से पाक होता है, चाहे दलदार नजासत लगे या बे–दल की, किसी और तरह पाक नहीं होता।

मस्अला 21—आईने का शीशा और छुरी, चाक़ू, चांदी–सोने के ज़ेवरात, फूल, तांबे, लोहे, गिलट, शीशे वग़ैरह की चीज़ें अगर नजिस हो जायें, तो ख़ूब पोंछ डालने और रगड़ डालने या मिट्टी से मांझ डालने से पाक हो जाती हैं, लेकिन अगर नक़्शी चीज़ें हो, तो बे–धोये पाक न होंगी।

मस्अला 22—ज़मीन पर नजासत पड़ गई, फिर ऐसी सूख गई कि नजासत का निशान बिल्कुल जाता रहा, न तो नजासत का धब्बा है, न बदबू आती है, तो इस तरह सूख जाने से ज़मीन पाक हो जाती है, लेकिन ऐसी ज़मीन पर तयम्मुम दुरूस्त नहीं, हां, नमाज़ पढ़ना दुरूस्त है। जो ईंटें या पत्थर चूना या गारे से ज़मीन में ख़ूब जमा दिये गये हों कि बे–खोदे जमीन से अलग न हो सकें, उनका भी यही हुक्म है कि सूख जाने और नजासत का निशान न रहने से पाक हो जायेंगे।

मस्अला 23—जो ईंटें सिर्फ़ ज़मीन में बिछा दी गई हैं, चूना या गारे से उनकी जोड़ाई नहीं की गई है, वे सूखने से पाक न होंगी, उनको धोना पड़ेगा।

मस्अला 24—ज़मीन पर जमी हुई घास भी सूखने और नजासत का निशान जाते रहने से पाक हो जाती है और अगर कटी हुई घास हो, तो बे–धोये पाक न होगी।

मस्अला 25—नजिस चाक़ू, छुरी या मिट्टी और तांबे वग़ैरह के बरतन, अगर दहकती हुई आग में डाल दिये जायें, तो भी पाक हो जाते हैं।

मस्अला 26—हाथ में कोई नजिस चीज़ लगी थी, उसको किसी ने जुबान से तीन बार चाट लिया, तो भी पाक हो जायेगा, मगर चाटना मना है या छाती पर बच्चे की कै का दूध लगा गया, फिर बच्चे ने तीन बार चूस कर पी लिया, वह पाक हो गया।

मस्अला 27—अगर कोरा बरतन नजिस हो जाये और वह बरतन नजासत को चूस ले, तो सिर्फ़ धोने से पाक न होगा, बल्कि उसमें पानी भर दे, जब नजासत का असर पानी में आ जाये, तो गिरा कर फिर भर दे, इसी तरह बराबर करती रहे। जब नजासत का नाम व निशान बिल्कुल जाता रहे, न रंग बाक़ी रहे, न बदबू, तब पाक होगा।

मस्अला 28—नजिस मिट्टी से जो बरतन कुम्हार ने बनाये, तो जब तक वे कच्चे हैं, नापाक हैं, जब पका लिए गए, तो पाक हो गये।

मस्अला 29—शहद या शीरा या घी–तेल नापाक हो गया, तो जितना तेल वग़ैरह हो, उतना या उससे ज़्यादा पानी डाल कर पकाये। जब पानी जल जाये तो फिर पानी डालकर जलाये। इसी तरह तीन बार करने से पाक हो जायेगा। या यों करो कि जितना घी–तेल हो, उतना ही पानी डालकर हिलाओ। जब वह पानी के ऊपर आ जाये, तो किसी तरह उठा लो। इसी तरह तीन बार पानी मिलाकर उठाओ, तो पाक हो जायेगा और घी अगर जम गया हो, तो पानी डाल कर आग पर रख दो, जब पिघल जाये तो उसको निकाल लो।

मस्अला 30—नजिस रंग में कपड़ा रंगा, तो इतना धोये कि पानी साफ़ आने लगे, तो पाक हो जायेगा, चाहे कपड़े से रंग छूटे या न छूटे।

मस्अला 31—गोबर, कंडे और लीद वग़ैरह नजिस चीज़ों की राख पाक है और उनका धुंवा भी पाक है। रोटी में लग जायें तो कुछ हरज नहीं।

मस्अला 32—बिछौने का एक कोना नजिस है और बाक़ी सब पाक है, तो पाक कोने पर नमाज़ पढ़ना दुरूस्त है।

मस्अला 33—जिस ज़मीन को गोबर में लीपा हो, या मिट्टी में गोबर मिला कर लीपा हो, वह नजिस है, उस पर बग़ैर कोई पाक चीज़ बिछाये नमाज़ दुरूस्त नहीं।

मस्अला 34—गोबर से लीपी हुई ज़मीन अगर सूख गई हो, तो उस पर गीला कपड़ा बिछाकर भी नमाज़ पढ़ना दुरूस्त है, लेकिन वह इतना गीला न हो कि उस ज़मीन की कुछ मिट्टी छूटकर कपड़े में भर जाये।

मस्अला 35—पैर धोकर नापाक ज़मीन पर चली और पैर का

निशान ज़मीन पर बन गया, तो उससे पैर नापाक न होगा। हां, अगर पैर के पानी से ज़मीन इतनी भीग जाये कि ज़मीन की कुछ मिट्टी या वह नजिस पानी पैर में लग जाये, तो नजिस हो जायेगा।

मस्अला 36—नजिस बिछौने पर सोयी और पसीने से वह कपड़ा नम हो गया, तो उसका भी यही हुक्म है कि उसका कपड़ा और बदन नापाक न होगा। हां, अगर इतना भीग जाये, तो नजिस हो जायेगा।

मस्अला 37—नजिस मेंहदी हाथों–पैरों में लगाई, तो तीन बार अब धो डालने से हाथ–पैर पाक हो जायेंगे, रंग का छुड़ाना वाजिब नहीं।

मस्अला 38—नजिस सुर्मा या काजल आंखों में लगाया, तो उसका पोंछना और धोना वाजिब नहीं। हां, अगर फैलकर बाहर आंख में आ गया, तो धोना वाजिब है।

मस्अला 39—नजिस तेल सिर में डाल लिया या बदन में लगा लिया, तो क़ायदे के मुताबिक़ तीन बार धोने से पाक हो जायेगा। खली डालकर या साबुन लगाकर तेल का छोड़ाना वाजिब नहीं।

मस्अला 40—कुत्ते ने आटे में मुंह डाल दिया, बंदर ने जूठा कर दिया तो अगर आटा गुंधा हुआ हो, तो जहां मुंह डाला है, उतना निकाल डाले, बाक़ी का खाना दुरूस्त है। और अगर सूखा आटा हो तो जहां–जहां उसके मुंह का लुआब हो, निकाल डाले। बाक़ी सब पाक है।

मस्अला 41—कुत्ते का लुआब नजिस है और खुद कुत्ता नजिस नहीं। सो अगर कुत्ता किसी के कपड़े या बदन से छू जाये, तो नजिस नहीं होता, चाहे कुत्ते का बदन सूखा हो या गीला। हां, अगर कुत्ते के बदन पर कोई नजासत हो, तो और बात है।

मस्अला 42—रूमाली भीगी होने के वक़्त हवा निकले, तो उससे कपड़ा नजिस नहीं हुआ।

मस्अला 43—नजिस पानी में जो कपड़ा भीग गया था, उसके साथ पाक कपड़े को लपेट कर रख दिया और उसकी तरी उस पाक कपड़े में आ गई, लेकिन न तो उसमें नजासत का कुछ रंग आया, न बदबू आई, तो अगर यह पाक कपड़ा इतना भीग गया हो कि निचोड़ने से एक आध क़तरा टपक पड़े या निचोड़ते वक़्त हाथ भीग जाये, तो वह पाक कपड़ा भी नजिस हो जायेगा और अगर इतना न भीगा हो, तो पाक रहेगा और अगर पेशाब वग़ैरह ख़ास नजासत के भीगे हुए कपड़े के साथ लपेट दिया तो जब पाक कपड़े में तनिक–सी भी उसकी नमी और धब्बा आ गया, तो नजिस हो

जायेगा।

मस्अला 44—अगर लकड़ी का तख़्ता एक तरफ़ से नजिस है और दूसरी तरफ़ से पाक है, तो अगर इतना मोटा है कि बीच से चिर सकता है, तो उसको पलट कर दूसरी तरफ़ नमाज़ पढ़ना दुरूस्त है और अगर इतना मोटा न हो, तो दुरूस्त नहीं।

मस्अला 45—दो तह का कोई कपड़ा है और एक तह नजिस है, दूसरी पाक है तो अगर दोनों तहें सिली हुई न हों, तो पाक तह की तरफ़ नमाज़ पढ़ना दुरूस्त है और अगर सिली हुई हों, तो पाक तह पर भी नमाज़ पढ़ना दुरूस्त नहीं है।

इस्तिंजे का बयान

मस्अला 1—जब सोकर उठे, तो जब तक गट्टे तक हाथ न धो ले, तब तक हाथ पानी में न डाले, चाहे हाथ पाक हो और चाहे नापाक हो। अगर पानी छोटे बर्तन में रखा हो, जैसे लोटा, आबख़ोरा, तो उसको बायें हाथ से उठाकर दाहिने हाथ पर डाले और तीन बार धोये, फिर बर्तन दाहिने हाथ में लेकर बायां हाथ तीन बार धोये और अगर छोटे बर्तन में पानी न हो, बड़े मटके वग़ैरह में हो, तो किसी आबख़ोरे वग़ैरह से निकाल ले, लेकिन उंगलियां पानी में न डूबने पायें और अगर आबख़ोरा वग़ैरह कुछ न हो, तो बायें हाथ की उंगलियों से चुल्लू बना के पानी निकाले और जहां तक हो सके, पानी में उंगलियां कम डाले और पानी निकाल के पहले दाहिना हाथ धाये जब वह हाथ धुल जाये तो दाहिना हाथ जितना चाहे डाले दे और पानी निकाल के बायां हाथ धोये और यह तरीक़ा हाथ धोने का उस वक़्त है, कि हाथ नापाक न हों और अगर नापाक हों, तो हरगिज़ मटके में डाले, बल्कि किसी और तरीक़े से पानी निकाले कि नजिस न होने पाये, मिसाल के तौर पर पाक रूमाल डाल के निकाले और जो पानी की धार रूमाल से बहे, उससे हाथ पाक करे या और जिस तरह मुम्किन हो।

मस्अला 2—जो नजासत आगे या पीछे की राह से निकले, उससे इस्तिंजा[1] करना सुन्नत है।

1. पाकी रहना, पाक करना।

मस्अला 3—अगर नजासत बिल्कुल इधर–उधर न लगे और इसलिए पानी से इस्तिंजा न करे, बल्कि पाक पत्थर या ढेले से इस्तिंजा कर ले और इतना पोंछ डाले कि नजासत जाती रहे और बदन साफ़ हो जाये, तो भी जायज़ है, लेकिन यह बात सफ़ाई के स्वभाव के ख़िलाफ़ है। हां, अगर पानी न हो या कम हो, तो मजबूरी है।

मस्अला 4—ढेले से इस्तिंजा करने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, बस इतना ध्यान रखे कि नजासत इधर–उधर फैलने न पाये और बदन ख़ूब साफ़ हो जाये।

मस्अला 5—ढेले से इस्तिंजा करने के बाद पानी से इस्तिंजा करना सुन्नत है, लेकिन अगर नजासत हथेली के गहराव यानी रूपए से ज़्यादा फैल जाये, तो ऐसे वक़्त पानी से धोना वाजिब है। बे–धोये नमाज़ न होगी। अगर नजासत न फैली न हो, तो सिर्फ़ ढेले से पाक करके भी नमाज़ दुरूस्त है, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

मस्अला 6—पानी से इस्तिंजा करे, तो पहले दोनों हाथ गट्टे तक धोये, फिर तंहाई की जगह जाकर बदन ढीला करके बैठे और इतना धोये कि दिल कहने लगे कि अब बदन पाक हो गया। हां, अगर कोई शक्की मिज़ाज हो कि पानी बहुत फेंकती है, फिर भी दिल अच्छी तरह साफ़ नहीं होता, तो उसको यह हुक्म है कि तीन बार या सात बार धो ले, बस इससे ज़्यादा न धोये।

मस्अला 7—अगर कहीं तंहाई का मौक़ा न मिले, तो पानी से इस्तिंजा करने के वास्ते, किसी के सामने अपने बदन को खोलना दुरूस्त नहीं। न मर्द के सामने न किसी औरत के सामने। ऐसे वक़्त इस्तिंजा न करे और बे–इस्तिंजा क़िये नमाज़ पढ़ ले। क्योंकि बदन का खोलना बड़ा गुनाह है।

मस्अला 8—हड्डी और नजासत, जैसे गोबर, लीद वग़ैरह और कोयला व कंकर और शीशा और पक्की ईंट और खाने की चीज़ और काग़ज़ से और दाहिने हाथ से इस्तिंजा करना बुरा और मना है, न करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कर ले, तो बदन पाक हो जायेगा।

मस्अला 9—खड़े–खड़े पेशाब करना मना है।

मस्अला 10—पेशाब व पाख़ाना करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुंह करना और पीठ करना मना है।

मस्अला 11—छोटे बच्चे को क़िब्ले की तरफ़ बिठा कर हगाना–मुताना भी मकरूह और मना है।

मस्अला 12—इस्तिंजा के बचे हुए पानी से वुज़ू करना दुरूस्त है और वुज़ू के बचे हुए पानी से इस्तिंजा भी दुरूस्त है, लेकिन न करना बेहतर है।

मस्अला 13—जब पाख़ाना–पेशाब को जाये, तो पाख़ाना के दरवाज़े से बाहर बिस्मिल्लाह कहे और यह दुआ पढ़े—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिक मिनल् खुब्सि वल् ख़बाइसि०

और नंगे सिर न जाये और अगर किसी अंगूठी वग़ैरह पर अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम हो, तो उसको उतार डाले और पहले बायां पैर रखे और अंदर खुदा का नाम न ले। अगर छिंक आये, तो सिर्फ़ दिल ही दिल में अल्हम्दु लिल्लाह कहे, ज़ुबान से कुछ न कहे। न वहां कुछ बोले, न बात करे। फिर जब निकले तो दाहिना पैर पहले निकाले और दरवाज़े से निकल कर यह दुआ पढ़े—

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ

गुफ़रानक अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़्हब अन्निल् अज़ा व आफ़ानी०

और इस्तिंजा के बाद बायें हाथ को ज़मीन पर रगड़ कर या मिट्टी से मल कर धोये।

नमाज़ का बयान

अल्लाह तआला के नज़दीक नमाज़ का बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई इबादत अल्लाह तआला के नज़दीक नमाज़ से ज़्यादा प्यारी नहीं है। अल्लाह तआला ने अपने बंदों पर पांच वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी हैं, उनके पढ़ने का बड़ा सवाब है और उनके छोड़ देने से बड़ा गुनाह होता है।

हदीस शरीफ़ में आया है कि जो कोई अच्छी तरह से वुज़ू किया करे और ख़ूब अच्छी तरह दिल लगा के नमाज़ पढ़ा करे, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसके छोटे–छोटे गुनाह सब बख़्श देगा और जन्नत देगा और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया है कि नमाज़ दीन का स्तून है, जिसने नमाज़ को अच्छी तरह पढ़ा, उसने दीन को ठीक रखा और जिसने इस स्तून को गिरा दिया (यानी नमाज़ को न पढ़ा)

उसने दीन को बरबाद कर दिया।

और हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने फ़रमाया है कि क़ियामत में सबसे पहले नमाज़ ही की पूछ होगी नमाज़ियों के हाथ और पांव और मुंह क़ियामत में आफ़्ताब की तरह चमकते होंगे और बे–नमाज़ी इस दौलत से महरूम रहेंगे।

और हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने फ़रमाया है कि नमाज़ियों का हश्र क़ियामत के दिन नबियों, शहीदों और वलियों के साथ और बे–नमाज़ियों का हश्र फ़िरऔन, हामान, कारून और बड़े–बड़े काफ़िरों के साथ होगा, इसलिए नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है और न पढ़ने से दीन व दुनिया दोनों को बहुत नुक़्सान होता है। इससे बढ़कर और क्या होगा कि बे–नमाज़ी का हश्र काफ़िरों के साथ किया गया, बे–नमाज़ी काफ़िरों के बराबर समझा गया। खुदा की पनाह ! नमाज़ न पढ़ना कितनी बुरी बात है।

हां, इन लोगों पर नमाज़ वाजिब नहीं––मज्नून (पागल), छोटे लड़के–लड़की, जो अभी जवान हुए हों। बाक़ी सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। लेकिन औलाद जब सात वर्ष की हो जाये, तो उसके मां–बाप को हुक्म है कि उनसे नमाज़ पढ़वायें और जब दस वर्ष की हो जाये, तो मार कर पढ़ायें और नमाज़ का छोड़ना कभी किसी वक़्त दुरूस्त नहीं है। जिस तरह हो सके, नमाज़ ज़रूर पढ़े, हां, अगर नमाज़ पढ़ना भूल गई, बिल्कुल याद ही न रहा, जब वक़्त जाता रहा, तब याद आया कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी या ऐसी ग़ाफ़िल सो गई कि आंख न खुली और नमाज़ क़ज़ा हो गई, तो ऐसे वक़्त गुनाह न होगा। लेकिन जब याद आये और आंख खुले, तो वुज़ू करके तुरन्त क़ज़ा पढ़ लेना फ़र्ज़ है, हां अगर वक़्त मकरूह हो तो ज़रा ठहर जाये, ताकि मकरूह वक़्त निकल जाये। इसी तरह जो नमाज़ें बेहोशी की वजह से नहीं पढ़ीं, इसमें भी गुनाह नहीं, लेकिन होश आने के बाद तुरन्त क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी।

नोट 1––मस्अला 1 और 'जवान होने का बयान' पृ० 142 पर लिखा गया है।

नमाज़ के वक़्तों का बयान

मस्अला 1—पिछली रात को सुबह होते वक़्त पूरब की तरफ़ यानी जिधर से सूरज निकलता है, आसमान की लम्बान पर कुछ सफ़ेदी दिखाई

देती है, फिर थोड़ी देर में आसमान के किनारे पर चौड़ान में सफ़ेदी मालूम होती है और देखते-देखते बढ़ती चली जाती है और थोड़ी देर में बिल्कुल उजाला हो जाता है, तो जब से यह चौड़ी सफ़ेदी दिखाई दे, तब से फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त शुरू हो जाता है और सूरज निकलने तक बाक़ी रहता है। जब सूरज का थोड़ा सा किनारा निकल आता है, तो फ़ज्र का वक़्त ख़त्म हो जाता है लेकिन अव्वल ही वक़्त बहुत तड़के नमाज़ पढ़ लेना बेहतर है।[1]

मस्अला 2—दोपहर ढल जाने से ज़ुहर का वक़्त शुरू हो जाता है और दोपहर ढल जाने की निशानी यह है कि लम्बी चीज़ों का साया पच्छिम से उत्तर की ओर सरकता-सरकता बिल्कुल उत्तर की सीध में आकर पूरब की तरफ़ मुड़ने लगे, बस समझो कि दोपहर ढल गई और पूरब की तरफ़ मुंह करके खड़े होने से बायें हाथ की तरफ़ का नाम उत्तर है और एक पहचान इससे भी आसान है, वह यह कि सूरज निकलकर जितना ऊंचा होता है, हर चीज़ का साया घटता जाता है, तो जब घटना रूक जाये, उस वक़्त ठीक दोपहर का वक़्त है। फिर जब साया बढ़ना शुरू हो जाये, तो समझो के दिन ढल गया। तो उसी वक़्त से ज़ुहर का वक़्त शुरू होता है और जितना साया ठीक दोपहर को होता है, उसको छोड़कर जब तक हर चीज़ का साया दोगुना हो जाये, उस वक़्त तक ज़ुहर का वक़्त रहता है। मिसाल के तौर पर एक हाथ लकड़ी का साया ठीक दोपहर को चार उंगुल था, तो जब तक दो हाथ चार उंगुल न हो, तब तक ज़ुहर का वक़्त है और जब तक दो हाथ और चार उंगुल हो गया, तो असर का वक़्त आ गया। और असर का वक़्त सूरज डूबने तक बाक़ी रहता है, लेकिन जब सूरज का रंग बदल जाये और धूप पीली पड़ जाये, उस वक़्त असर की नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अगर किसी वजह से इतनी देर हो गई, तो ख़ैर पढ़ ले, क़ज़ा न करे, लेकिन फ़िर कभी इतनी देर न करे और इस असर के सिवा और कोई नमाज़ ऐसे वक़्त पढ़ना दुरूस्त नहीं है, न क़ज़ा, न नफ़्ल, कुछ न पढ़े।

मस्अला 3—जब सूरज डूब गया, तो मग़्रिब का वक़्त आ गया, फिर जब तक पच्छिम की तरफ़ आसमान के किनारे पर लाली बाक़ी रहे, तब तक मग़्रिब का वक़्त रहता है, लेकिन मग़्रिब की नमाज़ में इतनी देर न करे, कि तारे ख़ूब चटक जायें कि इतनी देर करना मकरूह है। फिर जब वह

---

1. और यह हुक्म औरतों का है और मर्दों के लिए हुक्म यह है कि जब उजाला हो जाये, तब पढ़ें, बहुत अंधेरे में न पढ़ें।

लाली जाती रहे, तो इशा का वक़्त शुरू हो गया और सुबह होने तक बाक़ी रहता है, लेकिन आधी रात के बाद इशा का वक़्त मकरूह हो जाता है और सवाब कम मिलता है, इसलिए इतनी देर करके नमाज़ न पढ़े और बेहतर यह है तिहाई रात जाने से पहले ही पहले पढ़ ले।

मस्अला 4—गर्मी के मौसम में जुहर की नमाज़ में जल्दी न करे। गर्मी की तेज़ी का वक़्त जाता रहे, तब पढ़ना मुस्तहब है और जाड़ों में अव्वल वक़्त पढ़ लेना मुस्तहब है।

मस्अला 5—और असर की नमाज़ ज़रा इतनी देर करके पढ़ना बेहतर है कि वक़्त आने के बाद अगर कुछ नफ़्लें पढ़ना चाहे, तो पढ़ सके, क्योंकि असर के बाद तो नफ़्लें पढ़ना दुरूस्त नहीं, चाहे गर्मी का मौसम हो या जोड़े का—दोनों का एक ही हुक्म है, लेकिन इतनी देर न करे कि सूरज में पीलापन आ जाये और धूप का रंग बदल जाये और मग़्रिब की नमाज़ में जल्दी करना और सूरज डूबते ही पढ़ लेना मुस्तहब है।

मस्अला 6—जो कोई तहज्जुद की नमाज़ पिछली रात को उठकर पढ़ा करती हो, तो अगर पक्का भरोसा हो कि आंख ज़रूर खुलेगी, तो उसको वित्र की नमाज़ तहज्जुद के बाद पढ़ना बेहतर है, लेकिन अगर आंख खुलने का एतबार न हो और सो जाने का डर हो, तो इशा के बाद सोने से पहले पढ़ लेना चाहिए।

मस्अला 7—बदली के दिन फ़जर, जुहर और मग़्रिब की नमाज़ ज़रा देर करके पढ़ना बेहतर है और असर में जल्दी करना मुस्तहब है।

मस्अला 8—सूरज निकलने के वक़्त और ठीक दोपहर को और सूरज डूबते वक़्त कोई नमाज़ सही नहीं है हां, असर की नमाज़ अगर अभी नहीं पढ़ी हो, तो वह सूरज डूबते वक़्त भी पढ़ ले और इन तीनों वक़्त तिलावत का सज्दा भी मकरूह और मना है।

मस्अला 9—फ़जर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद जब तक सूरज निकल के ऊंचा न हो जाये, नफ़्ल नमाज़ पढ़ना मकरूह है, हां, सूरज निकलने से पहले क़ज़ा नमाज़ पढ़ना दुरूस्त है और तिलावत का सज्दा भी दुरूस्त है और जब सूरज निकल आया जो जब तक ज़रा रोशनी न आ जाये क़ज़ा नमाज़ भी दुरूस्त नहीं। ऐसे ही असर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद नफ़्ल नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं, हां, क़ज़ा और सज्दे की आयत का सज्दा दुरूस्त है। लेकिन जब धूप फीकी पड़ जाये, तो यह भी दुरूस्त नहीं।

मस्अला 10—फ़जर के वक़्त सूरज निकल आने के डर से जल्दी

के मारे सिर्फ़ फ़जर पढ़ लिए, तो अब जब तक सूरज ऊंचा और रोशन न हो जाये, तब तक सुन्नत न पढ़े। जब ज़रा रोशनी आ जाये, तब सुन्नत वग़ैरह और जो नमाज़ चाहे, पढ़े।

मस्अला 11—जब सुबह हो जाये और फ़जर का वक़्त आ जाये तो दो रक्अत सुन्नत और दो रक्अत फ़र्ज़ के अलावा और कोई नफ़्ल नमाज़ पढ़ना दुरूस्त नहीं यानी मकरूह है, हां, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना और सज्दे की आयत पर सज्दा करना दुरूस्त है।

मस्अला 12—अगर फ़जर की नमाज़ पढ़ने में सूरज निकल आया, तो नमाज़ नहीं हुई। सूरज में रोशनी आ जाने के बाद क़ज़ा पढ़े और अगर असर की नमाज़ पढ़ने में सूरज डूब गया, तो नमाज़ हो गई, क़ज़ा न पढ़े।

मस्अला 13—इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले सो रहना मकरूह है, नमाज़ पढ़के सोना चाहिए, लेकिन कोई मरीज़ है या सफ़र से बहुत थका–मांदा हो और किसी से कह दे कि मुझको नमाज़ के वक़्त जगा देना, तो सो रहना दुरूस्त है।

नमाज़ की शर्तों का बयान

मस्अला 1—नमाज़ शुरू करने से पहले कई चीज़ें वाजिब हैं—अगर वुज़ू न हो तो वुज़ू करे, नहाने की ज़रूरत हो तो ग़ुस्ल करे। बदन पर या कपड़े पर कोई नजासत लगी हो, तो उसको पाक करे, जिस जगह नमाज़ पढ़नी है वह भी पाक होनी चाहिए, सिर्फ़ मुंह और दोनों हथेली और दोनों पैर के सिवा सिर से पैर तक सारा बदन ख़ूब ढांक लो।[1] क़िब्ले की तरफ़ मुंह करके जिस नमाज़ को पढ़ना चाहती है, उसकी नीयत यानी दिल से इरादा करे, वक़्त आने के बाद नमाज़ पढ़े—ये सब चीज़ें नमाज़ के लिए शर्त हैं। अगर इनमें से एक चीज़ भी छूट जायेगी, तो नमाज़ न होगी।

मस्अला 2—बारीक तंज़ेब या बक या जाली वग़ैरह का बड़ा बारीक दोपट्टा ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना दुरूस्त नहीं है।

---

1. यह सिर्फ़ औरतों का हुक्म है और मर्दों को सिर्फ़ नाफ़ के नीचे से लेकर घुटने तक ढकना फ़र्ज़ है, इसके अलावा और बदन खुला हो तो नमाज़ हो जायेगी, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसा करना मकरूह है।

मस्अला 3—अगर नमाज़ पढ़ते वक़्त चौथाई पिंडली या चौथाई रान या चौथाई बांह खुल जाये और इतनी देर खुली रहे, जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह सके, तो नमाज़ जाती रही, फिर से पढ़े और अगर इतनी देर न लगी, बल्कि खुलते ही ढक लिया तो नमाज़ हो गई। इसी तरह जितने बदन का ढांकना वाजिब है, उसमें से जब चौथाई हिस्सा खुल जायेगा, तो नमाज़ न होगी, जैसे एक कान का चौथाई या चौथाई सिर, चौथाई बाल या चौथाई पेट या चौथाई पीठ, चौथाई गरदन, चौथाई सीना, चौथाई छाती वग़ैरह खुल जाने से नमाज़ न होगी।

मस्अला 4—जो लड़की अभी जवान नहीं हुई, अगर उसकी ओढ़नी सरक गई और उसका सिर खुल गया, तो उसकी नमाज़ हो गई।

मस्अला 5—अगर कपड़े या बदन पर कुछ नजासत लगी है, लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता, तो इसी तरह नजासत के साथ नमाज़ पढ़ ले।

मस्अला 6—और अगर सारा कपड़ा नजिस हो या पूरा कपड़ा, तो नजिस नहीं लेकिन बहुत ही कम पाक है यानी एक चौथाई से कम पाक है और बाक़ी सबका सब नजिस है, तो ऐसे वक़्त यह भी दुरूस्त है कि उस कपड़े को पहने-पहने नमाज़ पढ़े और यह भी दुरूस्त है कि कपड़ा उतार डाले और नंगी होकर नमाज़ पढ़े, लेकिन नंगी होकर नमाज़ पढ़ने से उस नजिस कपड़े को पहन कर पढ़ना बेहतर है और अगर चौथाई कपड़ा या चौथाई से ज़्यादा पाक हो तो नंगी होकर नमाज़ पढ़ना दुरूस्त नहीं। उसी नजिस कपड़े को पहन कर पढ़ना वाजिब है।

मस्अला 7—अगर किसी के पास बिल्कुल कपड़ा न हो तो नंगी नमाज़ पढ़े लेकिन ऐसी जगह पढ़े कि कोई देख न सके और खड़े होकर नमाज़ न पढ़े, बल्कि बैठकर पढ़े और रूकूअ-सज्दे को इशारे से अदा करे और अगर खड़े-खड़े पढ़े और रूकूअ-सज्दा करे, तो भी दुरूस्त है, नमाज़ हो जायेगी, लेकिन बैठकर पढ़ना बेहतर है।

मस्अला 8—सफ़र में किसी के पास थोड़ा-सा पानी है कि अगर नजासत धोती है, तो वुज़ू के लिए नहीं बचता और अगर वुज़ू करे, तो नजासत पाक करने के लिए पानी न बचेगा, तो उस पानी से नजासत धो डाले, फिर वुज़ू के लिए तयम्मुम करे।

मस्अला 9—ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, लेकिन जब पढ़ चुकी तो मालूम हुआ कि जिस वक़्त नमाज़ पढ़ी थी, उस वक़्त ज़ुहर का वक़्त नहीं

था, बल्कि असर का वक़्त आ गया था, तो अब फिर क़ज़ा पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि वही नमाज़ जो पढ़ी है, क़ज़ा में आ जायेगी और ऐसा समझेंगे कि गोया क़ज़ा पढ़ी थी।

मस्अला 10—अगर वक़्त आने से पहले ही नमाज़ पढ़ ली, तो नमाज़ नहीं होगी।

नीयत करने का बयान

मस्अला 1—ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल में जब इतना सोच ले कि मैं आज की ज़ुहर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ती हूं, अगर सुन्नत पढ़ती हो, तो यह सोच ले कि मैं आज की ज़ुहर की सुन्नत पढ़ती हूं, बस इतना ख़्याल करके अल्लाहु अक्बर कहे और हाथ बांध ले, तो नमाज़ हो जायेगी। जो लम्बी-चौड़ी नीयत लोगों में मशहूर है, उसका कहना ज़रूरी नहीं है।

मस्अला 2—अगर ज़ुबान से नीयत कहना चाहे तो इतना कह देना काफ़ी है, नीयत करती हूं मैं आज ज़ुहर के फ़र्ज़ की—अल्लाहु अक्बर ! या नीयत करती हूं मैं ज़ुहर की सुन्नतों की—अल्लाहु अक्बर और चार रक्अत नमाज़ ज़ुहर, मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के, यह सब कहना ज़रूरी नहीं है, चाहे कहे, चाहे न कहे।

मस्अला 3—अगर दिल में तो यही ख़्याल है कि ज़ुहर की नमाज़ पढ़ती हूं लेकिन ज़ुहर की जगह ज़ुबान से असर का वक़्त निकल गया, तो भी नमाज़ हो जायेगी।

मस्अला 4—अगर भूले से चार रक्अत की जगह छः रक्अत या तीन रक्अत ज़ुबान से निकल जाये, तो भी नमाज़ हो जायेगी।

मस्अला 5—अगर कई नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं और क़ज़ा पढ़ने का इरादा किया है, तो वक़्त मुक़र्रर करके नीयत करे यानी यों नीयत करे कि मैं फ़जर की क़ज़ा पढ़ती हूं। अगर ज़ुहर की क़ज़ा पढ़ना मंज़ूर हो, तो यों नीयत करे कि ज़ुहर के फ़र्ज़ की क़ज़ा पढ़ती हूं। इस तरह जिस वक़्त की क़ज़ा पढ़ना हो, ख़ास उसी की नीयत करना चाहिए। अगर सिर्फ़ इतनी नीयत कर ले कि मैं क़ज़ा नमाज़ पढ़ती हूं और ख़ास उस वक़्त की नीयत नहीं की, तो क़ज़ा सही न होगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी।

मस्अला 6—अगर कई दिन की नमाज़ें क़ज़ा हो गयीं, तो दिन-तारीख़

भी मुक़र्रर करके नीयत करना चाहिए, जैसे किसी की सनीचर, इतवार, पीर और मंगल, चार दिन की नमाज़ें जाती रहीं तो अब सिर्फ़ इतनी नीयत करना कि मैं फ़जर की क़ज़ा पढ़ती हूं, दुरूस्त नहीं है, बल्कि यों नीयत करे कि सनीचर की फ़जर की क़ज़ा पढ़ती हूं, दुरूस्त नहीं है, बल्कि यों नीयत करे कि सनीचर की फ़जर की क़ज़ा पढ़ती हूं फिर जुहर पढ़ते वक़्त कहे कि सनीचर की जुहर की क़ज़ा पढ़ती हूं। इसी तरह कहती जाये फिर जब सनीचर की सब नमाज़ें क़ज़ा कर चुके, तो कहे कि इतवार की फ़जर की क़ज़ा पढ़ती हूं। इसी तरह सब नमाज़ें क़ज़ा पढ़े। अगर कई महीने और कई साल की नमाज़ें क़ज़ा हों, तो महीने और साल का भी नाम ले और कहे कि फ़लां साल की फ़लां महीने की फ़लां तारीख़ की फ़जर की नमाज़ क़ज़ा पढ़ती हूं। इस तरह नीयत किये बग़ैर क़ज़ा सही नहीं होती।

मस्अला 7—अगर किसी को दिन, तारीख़, महीना, साल, कुछ याद न हो तो यों नीयत करे कि फ़जर की नमाज़ें, जितनी मेरे ज़िम्मे क़ज़ा हैं, उनमें से जो सबसे पहली है, उसकी क़ज़ा पढ़ती हूं या जुहर की नमाज़ें, जितनी मेरे ज़िम्मे क़ज़ा हैं, उनमें से जो सबसे पहली है, उसकी क़ज़ा पढ़ती हूं। इसी तरह नीयत कर के बराबर क़ज़ा पढ़ती रहे। जब दिल गवाही दे दे कि अब सब नमाज़ें, जितनी जाती रही थीं, सबकी क़ज़ा पढ़ चुकी हूं, तो क़ज़ा पढ़ना छोड़ दे।

मस्अला 8—सुन्नत और नफ़्ल और तरावीह की नमाज़ में सिर्फ़ इतनी नीयत कर लेना काफ़ी है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूं, सुन्नत होने या नफ़्ल होने की कुछ नीयत नहीं की, तो भी दुरूस्त है, मगर सुन्नत तरावीह की नीयत कर लेना ज़्यादा एहतियात की बात है।

क़िब्ले की तरफ़ मुंह करने का बयान

मस्अला 1—अगर किसी ऐसी जगह है कि क़िब्ला मालूम नहीं होता, कि किधर है और न वहां कोई ऐसा आदमी है, जिससे पूछ सके, तो अपने दिल में सोचे। जिधर दिल गवाही दे, उस तरफ़ पढ़ ले। अगर बे-सोचे पढ़ लेगी तो नमाज़ न होगी, लेकिन अगर बाद में मालूम हो जाये कि ठीक क़िब्ले की तरफ़ ही पढ़ी है, तो नमाज़ हो जायेगी और अगर वहां आदमी तो मौजूद है, लेकिन पर्दे और शर्म की वजह से पूछा नहीं, इसी तरह नमाज़ पढ़ ली, तो भी नमाज़ नहीं हुई। ऐसे वक़्त ऐसी शर्म न करनी चाहिए,

बल्कि पूछ के नमाज़ पढ़े।

मस्अला 2—अगर कोई बतलाने वाला न मिला और दिल की गवाही पर नमाज़ पढ़ ली, फिर मालूम हुआ कि जिधर नमाज़ पढ़ी है, उधर क़िब्ला नहीं है, तो भी नमाज़ हो गई।

मस्अला 3—अगर बे-रूख नमाज़ पढ़ती थी, फिर नमाज़ ही में मालूम हो गया कि क़िब्ला उधर नहीं है, बल्कि फ़लां तरफ़ है, तो नमाज़ ही में क़िब्ले की तरफ़ घूम जाये। अब मालूम होने के बाद अगर क़िब्ले की तरफ़ न फिरेगी, तो नमाज़ न होगी।

मस्अला 4—अगर कोई काबा शरीफ़ के अंदर नमाज़ पढ़े, तो यह भी जायज़ है और इसके अंदर नमाज़ पढ़ने वाली को अख़्तियार है, जिधर चाहे मुंह करके नमाज़ पढ़े।

मस्अला 5—काबा शरीफ़ के अन्दर फ़र्ज़ नमाज़ भी दुरूस्त है और नफ़्ल भी दुरूस्त है।

फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के तरीक़े का बयान

मस्अला 1—नमाज़ की नीयत करके अल्लाहु अक्बर कहें और अल्लाहु अक्बर कहते वक़्त अपने दोनों हाथ कंधे[1] तक उठाये। हाथ को दोपट्टे से बाहर न निकाले, फिर सीने[2] पर बांध ले, और दाहिने हाथ की हथेली को बायें हाथ के पिछले हिस्से[3] पर रख दे और यह दुआ पढ़े—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दु क व ला इलाह ग़ैरुक०

फिर 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैता निर्रजीम' (اعوذ بالله) और 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' (بسم الله) और 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन० वलज़्ज़ाल्लीन०' (الحمد ... وَلَا الضَّآلِّيْنَ) पढ़ कर अल्हम्दु पढ़े और वलज़्ज़ाल्लीन० के बाद आमीन कहे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कोई सूरः पढ़े। फिर अल्लाहु अक्बर कह के

1. और मर्द दोनों कोनों की लौ तक हाथ उठायें,
2. और मर्द नाफ़ के नीचे हाथ बांधे,
3. और मर्द दाहिने हाथ से बायां पहुंचा पकड़ लें।

रूकूअ में जाये और—

सुब्हान रब्बियल् अज़ीम० (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) तीन बार या पांच बार या सात बार कहे और रूकूअ में दोनों हाथ की उंगलियां मिला कर घुटनों[1] पर रख दे और दोनों बाज़ू पहलू से ख़ूब मिलाये रहें[2]। और दोनों पैर के टख़ने बिल्कुल मिला दे, फिर– سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ۔ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ समिअल्लाहु लिमन हमिदह—रब्बना लकल् हम्दु कहती हुई सर को उठाये। जब ख़ूब सीधी खड़ी हो जाये, तो फिर अल्लाहु अक्बर कहती हुई सज्दे में जाये। ज़मीन पर पहले घुटने रखे, फिर कानों के बराबर हाथ रखे और उंगलियां ख़ूब मिला ले फिर दोनों हाथों के बीच में माथा रखे और सज्दे के वक़्त माथा और नाक दोनों ज़मीन पर रख दे और हाथ और पांव की उंगलियां क़िब्ले की तरफ़ रखे, मगर पांव खड़े न करे, बल्कि दाहिनी तरफ़ को निकाल दे और ख़ूब सिमट कर और दब[3] कर सज्दा करे कि पेट दोनों रानों से और बाहें दोनों पहलू से मिलादे और दोनों बाहें ज़मीन पर रख दे[4]। और सज्दे में कम से कम तीन बार— سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى सुब्हान रब्बिअल् आला कह के अल्लाहु अक्बर कहती हुई खड़ी हो जाये और ज़मीन पर हाथ टेक कर न उठे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कर अल्हम्दु और सूरः पढ़ के दूसरी रक्अत इसी तरह पूरी करे। जब दूसरा सज्दा कर चुके तो बायें चूतड़[5] पर बैठे और अपने दोनों पांव दाहिनी तरफ़ निकाल दे और दोनों हाथ अपनी रानों पर रख ले और उंगलियां ख़ूब मिला कर रखे। फिर पढ़े—

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ۔
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى
عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ ۔

अत्तहीयातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्ला हिस्सालिहीन अशहदु अल्लाइलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू०

1. और मर्द अपने दोनों घुटने पकड़ ले और उंगलियां खुली रखें, 2. और मर्द मंद बाज़ू पहलू से अलग रखें, 3. और मर्द ख़ूब खुलकर सज्दा करें और पेट को रानों से और बाहे पहलू से जुदा रखे, 4. मर्द ज़मीन पर कुहनियां न रखे, 5. मर्द अपना दाहिना पैर खड़ा रखे और बायें पैर पर बैठे।

और जब कलमे पर पहुंचे तो बीच की उंगली और अंगूठे से हल्क़ा बना कर लाइलाह कहने के वक़्त कलमे की उंगली उठा दे और इल्लल्लाह कहने के वक़्त झुका दे, मगर अक़्द और हल्क़े की शक्ल आख़िर नमाज़ तक बाक़ी रखे। अगर चार रक्अत पढ़ना हो, तो इससे ज़्यादा और कुछ न पढ़े, बल्कि फ़ौरन अल्लाहु अक्बर कह कर उठ खड़ी हो और दो रक्अतें और पढ़ ले और फ़र्ज़ नमाज़ में पिछली दो रक्अतों में अल्हम्दु के साथ कोई सूरः न मिलाये। जब चौथी रक्अत पर बैठे, फिर अत्तहीयातु पढ़ के यह दरूद पढ़े—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंव्व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम् मजीद० अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिंव्व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक्त अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद०

फिर यह दुआ पढ़े—

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या हसनतंव्व फ़िल् आख़िरति हसनतंव्व क़िना अज़ाबन्नारि या यह दुआ पढ़े—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِجَمِيْعِ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

अल्लाहुम्मग़्फ़िरली वलि वालिदय्य व लिजमीअिल् मुअमिनीन वल मुअ्मिनाति वल् मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अल–अह् याइ मिन्हुम वल अम्वाति० या कोई और दुआ पढ़े जो हदीस में या कुरआन मजीद में आई हो। फिर अपने दाहिनी तरफ़ सलाम फेरे और कहे– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि० फिर यही कह कर बाईं तरफ़ सलाम फेरे और सलाम करते वक़्त फ़रिश्तों पर सलाम करने की नीयत करे।

यह नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा है, लेकिन इनमें जो बातें फ़र्ज़ हैं, उनमें से

एक बात भी छूट जाये, तो नमाज़ नहीं होती, चाहे जान–बुझ कर छोड़े या भूले से, दोनों का एक ही हुक्म है।

और कुछ चीज़ें वाजिब हैं कि इसमें से अगर कोई चीज़ जान–बूझकर छोड़ दे, तो नमाज़ पढ़नी पड़ती है। अगर कोई फिर से न पढ़े, तो ख़ैर, तब भी फ़र्ज़ सर से उतर जाता है, लेकिन बहुत गुनाह होता है और अगर भूले से छूट जाये, तो सह्व का सज्दा करने से नमाज़ हो जायेगी।

मस्अला 2—नमाज़ में छः चीज़ें फ़र्ज़ हैं—

1. नीयत बांधते वक़्त अल्लाहु अक्बर कहना, 2. खड़ा होना, 3. क़ुरआन में से कोई सूरः या आयत पढ़ना 4. रूकूअ करना, 5. दोनों सज्दे करना और 6. नमाज़ के आख़िर में जितनी देर अत्तहीयात पढ़ने में लगती हो, उतनी देर बैठना।

मस्अला 3—ये चीज़ें नमाज़ में वाजिब हैं अल्हम्दु पढ़ना और फिर सूरः मिलाना, फिर रूकूअ करना, फिर सज्दा करना, दो रक्अत पर बैठना, दोनों बैठकों में अत्तहीयात पढ़ना, वित्र की नमाज़ में दुआ–ए–क़ुन्नूत पढ़ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह कर सलाम फेरना, हर चीज़ को इत्मीनान से अदा करना, बहुत जल्दी न करना।

मस्अला 4—इन बातों के सिवा जितनी और बातें हैं, वे सब सुन्नत हैं, लेकिन कुछ इनमें मुस्तहब हैं।

मस्अला 5—अगर कोई नमाज़ में अल्हम्दु न पढ़े, बल्कि कोई और आयत या कोई पूरी सूरः पढ़े या सिर्फ़ अल्हम्दु पढ़े उनके साथ कोई सूरः या कोई आयत न मिलाये या दो रक्अत पढ़के न बैठे, बे–बैठे और बे अत्तहीयात पढ़े तीसरी रक्अत के लिए खड़ी हो जाये या बैठे तो गई, लेकिन अत्तहीयात नहीं पढ़ी, तो इन सूरतों में सर से फ़र्ज़ तो उतर जायेगा, लेकिन नमाज़ बिल्कुल निकम्मी और ख़राब है, फिर से पढ़ना वाजिब है, न दोहरायेगी, तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। हां, अगर भुले से ऐसा किया हो तो सज्दा–सह्व कर लेने से नमाज़ दुरूस्त हो जायेगी।

मस्अला 6—अगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कह कर सलाम नहीं फेरा, बल्कि जब सलाम का वक़्त आया तो किसी से बोल पड़ी, बातें करने लगी, या उठकर कहीं चली गई या और कोई ऐसा काम किया, जिस से नमाज़ टूट जाती है, तो इस का भी यही हुक्म है कि फ़र्ज़ तो उतर जायेगा, लेकिन नमाज़ का दोहराना वाजिब है। फिर से न पढ़ेगी तो बड़ा गुनाह होगा।

मस्अला 7—अगर पहले सूरः पढ़ी, फिर अल्हम्दु पढ़ी तब नमाज़

भी दोहराना पड़ेगी और अगर भूले से ऐसा कर ले तो सज्दा सह्व कर ले।

मस्अला 8—अल्हम्दु के बाद कम से कम तीन आयतें पढ़नी चाहिएं। अगर एक ही आयत या दो आयतें अलहम्दु के बाद पढ़े, तो अगर वह एक आयत इतनी बड़ी हो कि छोटी–छोटी तीन आयतों के बराबर हो जाये, तब भी दुरूस्त है।

मस्अला 9—अगर कोई रूकूअ से खड़ी होकर—या रूकूअ में 'सुब्हान रब्बियल अज़ीम(سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) न पढ़े या सज्दे में सुब्हान रब्बियल आला ( ) न पढ़े या आख़िर की बैठक में अत्तहीयातु के बाद दरूद शरीफ़ न पढ़े तो भी नमाज़ होगी, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह अगर दरूद शरीफ़ के बाद कोई दुआ न पढ़ी, सिर्फ़ दरूद शरीफ़ पढ़कर सलाम फेर दिया, तब भी नमाज़ दुरूस्त है, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

मस्अला 10—नीयत बांधते वक़्त हाथों को उठाना सुन्नत है। अगर कोई न उठाये, तब भी नमाज़ दुरूस्त है, मगर ख़िलाफ़े सुन्नत है।

मस्अला 11—हर रक्अत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर अल्हम्दु पढ़े और जब सूरः मिलाये तो सूरः से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, यही बेहतर है।

मस्अला 12—सज्दा के वक़्त अगर नाक और माथा दोनों ज़मीन पर न रखे, बल्कि सिर्फ़ माथा ज़मीन पर रखे और नाक न रखे, तो भी नमाज़ दुरूस्त है। और माथा नहीं लगाया, सिर्फ़ नाक ज़मीन पर लगाई, तो नमाज़ नहीं हुई, हां, अगर कोई मजबूरी हो, तो सिर्फ़ नाक लगाना भी दुरूस्त है।

मस्अला 13—अगर रूकूअ के बाद अच्छी तरह खड़ी नहीं हुई, ज़रा सर उठाकर सज्दे में चली गई, तो नमाज़ फिर से पढ़ ले।

मस्अला 14—अगर दोनों सज्दों के बीच में अच्छी तरह नहीं बैठी, ज़रा–सा सर उठाकर दूसरा सज्दा कर लिया, तो अगर ज़रा ही सर उठाया हो, तो एक ही सज्दा हुआ, दोनों सज्दे अदा नहीं हुए और नमाज़ बिल्कुल नहीं हुई और अगर इतनी उठी हो कि क़रीब–क़रीब बैठने के हो गई हो, तो ख़ैर नमाज़ सर से उतर गई, लेकिन बड़ी निकम्मी और ख़राब हो गई, इसलिए फिर से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बड़ा गुनाह होगा।

मस्अला 15—अगर रूमाल पर या सूई की चीज़ पर सज्दा करे तो सर को ख़ूब दबा कर सज्दा करे, इतना दबाये कि उससे ज़्यादा न दब सके, अगर ऊपर ज़रा इशारे से सर रख दिया, दबाया नहीं, तो सज्दा नहीं हुआ।

मस्अला 16—फ़र्ज़ नमाज़ में पिछली दो रक्अतों में अगर अल्हम्दु के बाद कोई सूर भी पढ़ गई तो नमाज़ में कुछ नुक़्सान नहीं आया, नमाज़ बिल्कुल सही है।

मस्अला 17—अगर पिछली दो रक्अतों में अल्हम्दु न पढ़े, बल्कि तीन बार 'सुब्हानल्लाह–सुब्हानल्लाह' कह ले तो भी दुरूस्त है, लेकिन अल्हम्दु पढ़ लेना बेहतर है और अगर कुछ न पढ़े, चुपकी खड़ी रहे[1], तो भी कुछ हरज नहीं, नमाज़ दुरूस्त है।

मस्अला 18—पहली दो रक्अतों के साथ सूरः मिलाना वाजिब है। अगर कोई पहली दो रक्अतों में सिर्फ़ अल्हम्दु पढ़े, सूरः न मिलाये या अल्हम्दु भी न पढ़े, सुब्हानल्लाह–सुब्हानल्लाह पढ़ती रहे, तो अब पिछली रक्अतों में अल्हम्दु के साथ सूरः मिलाना चाहिए, फिर अगर जान–बूझकर ऐसा किया है, तो नमाज़ फिर से पढ़े और अगर भूले से किया हो, तो सह्व का सज्दा कर ले।

मस्अला 19—नमाज़ में अल्हम्दु और सूरः वग़ैरह सारी चीज़ें धीरे और चुपके से पढ़ें[2], लेकिन इस तरह पढ़ना चाहिए कि खुद अपने कान में आवाज़ ज़रूर आये। अगर अपनी आवाज़ खुद अपने आप को भी सुनाई न दे, तो नमाज़ न होगी।

मस्अला 20—किसी नमाज़ के लिए सूरः मुक़र्रर न करे, बल्कि जो जी चाहे, पढ़ा करे, सूरः मुक़र्रर कर लेना मकरूह है।

मस्अला 21—दूसरी रक्अत में पहली रक्अत से ज़्यादा लम्बी सूरः न पढ़े।

मस्अला 22—सब औरतें अपनी–अपनी नमाज़ अलग–अलग पढ़ें, जमाअत से न पढ़े और जमाअत के लिए मस्जिद में जाना और वहां जा कर मर्दों के साथ नमाज़ पढ़ना न चाहिए। अगर कोई औरत अपने शौहर वग़ैरह किसी महरम के साथ जमाअत करके नमाज़ पढ़े, तो उसके मस्अले किसी से पूछ ले। चूंकि ऐसा मौक़ा कम होता है, इसलिए हमने बयान नहीं किए। हां, इतनी बात याद रखे कि अगर कभी ऐसा मौक़ा हो, तो किसी मर्द के बराबर

---

1. यानी तीन बार सुब्हानल्लाह कहने के बराबर चुपकी खड़ी रहे।

2. और मर्द भी ज़ुहर व असर की नमाज़ में चुपके से पढ़ें और फ़ज्र और मग़्रिब और ईशा में अगर इमाम है, तो ज़ोर से पढ़ें और अकेला हो तो अख़्तियार है, जिस तरह चाहे पढ़े।

हरगिज़ न खड़ी हो, बिल्कुल पीछे रहे, वरना उसकी नमाज़ भी ख़राब होगी और उस मर्द की नमाज़ भी बर्बाद हो जायेगी।

मस्अला 23—अगर नमाज़ पढ़ते में वुज़ू टूट जाये तो वुज़ू करके फिर से नमाज़ पढ़े।[1]

मस्अला 24—मुस्तहब यह है कि जब खड़ी हो तो अपनी निगाह सज्दे की जगह रखे और जब रुकूअ में जाये, तो पांवों पर निगाह रखे और जब सज्दा करे, तो नाक पर और सलाम फेरते वक़्त कंधों पर निगाह रखे और जब जम्हाई आये, तो मुंह ख़ूब बंद करे, अगर और किसी तरह न रुके, तो हाथ की हथेली के ऊपर की तरफ़ से रोके और जब गला सहलाये[2] तो जहां तक हो सके, खांसी को रोके और ज़ब्त करे।

क़ुरआन मजीद पढ़ने का बयान

मस्अला 1—क़ुरआन शरीफ़ को सही–सही पढ़ना वाजिब है। हर अक्षर को ठीक–ठीक पढ़े, और पूरी आवाज़ निकाल कर पढ़े।

मस्अला 2—अगर किसी से कोई अक्षर नहीं निकलता, तो सही पढ़ने की मश्क़ करना ज़रूरी है। अगर सही पढ़ने की मेहनत न करेगी, तो गुनाहगार होगी और उसकी कोई नमाज़ सही न होगी, हां, अगर मेहनत से भी दुरूस्ती न हो, तो मजबूरी है।

मस्अला 3—अगर सब अक्षर सही निकलते हैं, लेकिन ऐसी बे–परवाई से पढ़ती है कि एक ही आवाज़ निकलने के बजाय, दूसरे की निकलती है, सब गुनाहगार है और नमाज़ सही नहीं होती।

मस्अला 4—जो सूरः पहली रक्अत में पढ़ी है, वही सूरः दूसरी रक्अत में फिर पढ़ गई, तो भी कुछ हरज नहीं, लेकिन बे–ज़रूरत ऐसा करना बेहतर नहीं।

मस्अला 5—जिस तरह क़ुरआन मजीद में सूरतें आगे–पीछे लिखी हैं, नमाज़ में उसी तरह पढ़ना चाहिए। जिस तरह अम्म के सीपारे में लिखी है, उस तरह से न पढ़े यानी जब पहली रक्अत में कोई सूरः पढ़े, तो अब

---

1. चूंकि बिना की शर्तें व मस्अले बहुत नाज़ुक हैं और इख़्तिलाफ़ी मस्अला है, इसलिए वे सब मस्अले छोड़ दिये गये हैं।
2. यानी गले के अंदर खुजुली होने लगे।

दूसरी रक़्अत में उसके बाद वाली सूरः पढ़े, उसके पहले वाली सूरः न पढ़े, जैसे किसी ने पहली रक़्अत में 'क़ुल या ऐयुहल् काफ़िरून' पढ़ी तो अब 'इज़ा जाअ' या 'क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल् फ़लक़ि' या 'क़ुल अऊज़ु बिरबिन्नासि' पढ़े और अलम तर कैफ़' और 'लिइलाफ़ि' वग़ैरह उसके ऊपर की सूरतें न पढ़े कि इस तरह पढ़ना मकरूह है, लेकिन अगर भूले से इस तरह पढ़ जाये, जो मकरूह नहीं है।

मस्अला 6—जब कोई सूरः शुरू करे, तो बे-ज़रूरत उसको छोड़कर दूसरी सूरः शुरू करना मकरूह है।

मस्अला 7—जिसको नमाज़ बिल्कुल न आती हो या नई-नई मुसलमान हुई हो, वह सब जगह 'सुब्हानल्लाह-सुब्हानल्लाह' पढ़ती रहे तो फ़र्ज़ अदा हो जायेगा, लेकिन नमाज़ बराबर सीखती रहे। अगर नमाज़ सीखने में कोताही करेगी, तो बहुत गुनाहगार होगी।

नमाज़ तोड़ देने वाली चीज़ों का बयान

मस्अला 1—जान-बूझकर या भूले से नमाज़ में बोल उठी, तो नमाज़ जाती रही।

मस्अला 2—नमाज़ में 'आह' या 'ओह' या 'उफ़' या 'हाय' कहे या ज़ोर से रोये, तो नमाज़ जाती रहती है, हां, अगर जन्नत दोज़ख़ को याद करने से दिल भर आया और ज़ोर से आवाज़ निकल पड़ी या आह या उफ़ वग़ैरह निकली, तो नमाज़ नहीं टूटी।

मस्अला 3—बे-ज़रूरत खंखारने और गला साफ़ करने से, जिससे एक-आध लफ़्ज़ भी पैदा हो जाये, तो नमाज़ टूट जाती है, हां, मजबूरी के वक़्त खंखारना दुरूस्त है और नमाज़ नहीं जाती।

मस्अला 4—नमाज़ में छींक आई उस पर 'अल्हम्दु लिल्लाह' कहा, तो नमाज़ नहीं गई, लेकिन कहना नहीं चाहिए और अगर किसी और को छींक आई और उसने नमाज़ में ही उसको 'यर्हमुकल्लाह' कहा, तो नमाज़ जाती रही।

मस्अला 5—क़ुरआन शरीफ़ में देख-देखकर पढ़ने से नमाज़ टूट जाती है।

मस्अला 6—नमाज़ में इतनी मुड़ गई कि सीना क़िब्ले की तरफ़ से फिर गया, तो टूट गई।

मस्अला 7—किसी के सलाम का जवाब दिया और 'व अलैकुमुस्सलाम' कहा, तो नमाज़ जाती रही।

मस्अला 8—नमाज़ के अंदर जूड़ा बांधा, तो नमाज़ जाती रही।

मस्अला 9—नमाज़ में कोई चीज़ खाई या कुछ खा–पी लिया तो नमाज़ जाती रही। यहां तक कि अगर एक तिल या धुरा उठाकर खा ले, तो भी नमाज़ टूट जायेगी, हां, अगर धुरा वग़ैरह कोई चीज़ दोतों में अटकी हुई थी, अब उसको निगल गई तो अगर चने से कम हो, तब तो नमाज़ हो गई। और अगर चने के बराबर या ज़्यादा हो, तो नमाज़ टूट गई।

मस्अला 10—मुंह में पान दबा हुआ है और उसकी पीक हलक़ में जाती रहे, तो नमाज़ नहीं हुई।

मस्अला 11—कोई मीठी चीज़ खाई, फिर कुल्ली करके नमाज़ पढ़ने लगी, लेकिन मुंह में उसका मज़ा कुछ बाक़ी है और थूक के साथ हलक़ में जाता है, तो नमाज़ सही है।

मस्अला 12—नमाज़ में कुछ ख़ुशख़बरी सुनी और उस पर 'अल्हम्दु लिल्लाहि' कह दिया या किसी की मौत की ख़बर सुनी, उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन० पढ़ा, तो नमाज़ जाती रही।

मस्अला 13—नमाज़ में बच्चे ने आकर दूध पी लिया, तो नमाज़ जाती रही। हां, अगर दूध नहीं निकला, तो नमाज़ नहीं गई।

मस्अला 14—कोई लड़का वग़ैरह गिर पड़ा, उसके गिरते वक़्त बिस्मिल्लाह कह दिया, तो नमाज़ जाती रही।

मस्अला 15—अल्लाहु अक्बर कहते वक़्त अ को बढ़ा दिया और अल्लाहु अक्बर कहा, तो नमाज़ जाती रही। इसी तरह अगर अक्बर के ब को बढ़ा कर पढ़ा और अल्लाहु अक्बर कहा, तो भी नमाज़ जाती रही।

मस्अला 16—किसी ख़त या किसी किताब पर नज़र पड़ी और उसको अपनी ज़ुबान से नहीं पढ़ा, लेकिन दिल ही दिल में मतलब समझ गई, तो नमाज़ नहीं टूटी, हां, अगर ज़ुबान से पढ़ ले तो नमाज़ जाती रहेगी।

मस्अला 17—नमाज़ी के सामने से अगर कोई चला जाये, या कुत्ता–बिल्ली, बकरी, वग़ैरह कोई जानवर निकल जाये, तो नमाज़ नहीं टूटी, लेकिन सामने से जाने वाले आदमी को बड़ा गुनाह होगा। इसलिए

ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना चाहिए, जहां आगे से कोई न निकले और फिरने–चलने में लोगों को तक्लीफ़ न हो और अगर ऐसी अलग जगह कोई न हो, तो अपने सामने लकड़ी गाड़े, जो कम से कम एक हाथ लंबी और एक अंगुल मोटी हो और उस लकड़ी के पास खड़ी हो और उसको बिल्कुल नाक के सामने न रखे, बल्कि दाहिनी या बायीं आंख के सामने रखे। अगर कोई लकड़ी न गाड़े, तो इतनी ही ऊंची कोई और चीज़ सामने रख ले, जैसे मोंढा, तो अब सामने से जाना दुरूस्त है, कोई गुनाह न होगा।

मस्अला 18—किसी ज़रूरत की वजह से अगर क़िब्ला की तरफ़ आधा क़दम आगे बढ़ गई या पीछे हट गई, लेकिन सीना क़िब्ले की तरफ़ नहीं फिरा, तो नमाज़ दुरूस्त हो गई, लेकिन अगर सज्दे की जगह से आगे बढ़ जायेगी, तो नमाज़ न होगी।

जो चीज़ें नमाज़ में मकरूह और मना हैं उनका बयान

मस्अला 1—मकरूह वह चीज़ है, जिससे नमाज़ तो नहीं टूटती, लेकिन सवाब कम हो जाता है और गुनाह होता है।

मस्अला 2—अपने कपड़े या बदन या ज़ेवर से खेलना या कंकरियों को हटाना मकरूह है। हां, अगर कंकरियों की वजह से सज्दा न कर सके, तो एक–दो मर्तबा हाथ से बराबर कर देना और हटा देना दुरूस्त है।

मस्अला 3—नमाज़ में उंगलियां चटख़ाना और कूल्हे पर हाथ रखना और दाहिने–बायें मुंह मोड़ के देखना, यह सब मकरूह है, हां, अगर कनखियों से कुछ देखे और गरदन न फेरे तो ऐसा करना मकरूह तो नहीं है, लेकिन बिला सख़्त ज़रूरत के ऐसा करना भी अच्छा नहीं है।

मस्अला 4—नमाज़ में दोनों पैर खड़े रखकर बैठना या चार जानू बैठना या कुत्ते की तरह बैठना, यह सब मकरूह है। हां, दुख–बीमारी की वजह से, जिस तरह बैठने का हुक्म है, उस तरह न बैठ सके तो, जिस तरह बैठ सके, बैठ जाये। उस वक़्त कुछ मकरूह नहीं है।

मस्अला 5—सलाम के जवाब में हाथ उठाना और हाथ से सलाम का जवाब देना मकरूह है और अगर ज़ुबान से जवाब दिया तो नमाज़ टूट गई, जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है।

मस्अला 6—नमाज़ में इधर–उधर से अपने कपड़े को समेटना और संभालना कि मिट्टी से न भरने पाये, मकरूह है।

मस्अला 7—जिस जगह यह डर हो कि नमाज़ में हंसा देगा, ख़्याल हट जायेगा, तो नमाज़ में भूल–चूक हो जायेगी, ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मस्अला 8—अगर कोई आगे बैठी बातें कर रही हो, या किसी और काम में लगी हो तो उसके पीछे उसकी पीठ की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं है। लेकिन अगर बैठने वाली को इससे तक्लीफ़ हो और वह उस रूक जाने से घबराये तो ऐसी हालत में किसी के पीछे नमाज़ न पढ़े या वह इतने ज़ोर–ज़ोर से बातें करती हो कि नमाज़ में भूल जाने का डर है, तो तो वहां नमाज़ न पढ़ना चाहिए, मकरूह है और किसी के मुंह की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मस्अला 9—अगर नमाज़ी के सामने क़ुरआन शरीफ़ या तलवार लटकी हो, तो इसका कुछ हरज नहीं है।

मस्अला 10—जिस फ़र्श पर तस्वीरें बनी हों, उस पर नमाज़ हो जाती है, लेकिन तस्वीर पर सज्दा न करे और तस्वीरदार जो नमाज़ में रखना मकरूह है और तस्वीर का घर में रखना बड़ा गुनाह है।

मस्अला 11—अगर तस्वीर सर के ऊपर हो यानी छत में या छतरी में तस्वीर बनी हो या आगे की तरफ़ को हो, या दाहिनी तरफ़ या बायीं तरफ़ हो, तो नमाज़ मकरूह है और अगर पैर के नीचे हो तो नमाज़ मकरूह नहीं, लेकिन अगर बहुत छोटी तस्वीर हो कि अगर ज़मीन पर रख दे तो खड़े होकर दिखाई दे या पूरी तस्वीर न हो बल्कि सर कटा हुआ और मिटा हो, तो इसका कुछ हरज नहीं। ऐसी तस्वीर से किसी सूरत में नमाज़ मकरूह नहीं होती, चाहे जिस तरह हो।

मस्अला 12—तस्वीरदार कपड़ा पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मस्अला 13—पेड़ या मकान वग़ैरह, किसी बे–जान चीज़ का नक़्श बना हो, तो वह मकरूह नहीं है।

मस्अला 14—नमाज़ के अंदर आयतों का या किसी चीज़ का उंगलियों पर गिनना मकरूह है, हां अगर उंगलियों को दबा कर गिनती याद रखे तो कुछ हरज नहीं।

मस्अला 15—दूसरी रक्अत को पहली रक्अत से ज़्यादा लम्बी

करना मकरूह है।

मस्अला 16—किसी नमाज़ में कोई सूरः मुक़र्रर कर लेना कि हमेशा वही पढ़ा करे, कोई और सूरः कभी न पढ़े, यह बात मकरूह है।

मस्अला 17—कंधे पर रूमाल डाल कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मस्अला 18—बहुत बुरे और मैले–कुचैले कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। और अगर दूसरे कपड़े न हो तो जायज़ है।

मस्अला 19—पैसा–कौड़ी वग़ैरह कोई चीज़ मुंह में लेकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। और अगर ऐसी चीज़ हो कि नमाज़ में क़ुरआन शरीफ़ वग़ैरह नहीं पढ़ सकती, तो नमाज़ नहीं हुई, टूट गई।

मस्अला 20—जिस वक़्त पेशाब–पाख़ाना ज़ोर से लगा हो, ऐसे वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मस्अला 21—जब बहुत भूख लगी हो और खाना तैयार हो तो पहले खाले, तब नमाज़ पढ़े। बे–खाना खाये नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हां, अगर वक़्त तंग होने लगे, तो पहले नमाज़ पढ़ ले।

मस्अला 22—आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ना बेहतर नहीं है। लेकिन आंख बंद करने से नमाज़ में दिल ख़ूब लगे, तो बंद करके पढ़ने में कोई बुराई नहीं।

मस्अला 23—बे–ज़रूरत नमाज़ में थूकना और नाक साफ़ करना मकरूह है और अगर ज़रूरत पड़े, तो दुरूस्त है। जैसे किसी को खांसी आई और मुंह से बल्ग़म आ गया, तो अपने बाईं तरफ़ थूक दे या कपड़े में लेकर मल डाले और दाहिनी तरफ़ और क़िब्ले की तरफ़ न थूके।

मस्अला 24—नमाज़ में कठमल ने काट खाया, तो उसको पकड़ के छोड़ दे, नमाज़ पढ़ने में मारना अच्छा नहीं। और अगर खटमल ने अभी काटा नहीं है, तो उसको न पकड़े। बे–काटे पकड़ना भी मकरूह है।

मस्अला 25—फ़र्ज़ नमाज़ में बे–ज़रूरत दीवार वग़ैरह किसी चीज़ के सहारे खड़ा होना मकरूह है।

मस्अला 26—अभी सूरः पूरी ख़त्म नहीं हुई, दो–एक कलमे रह गये थे कि जल्दी के मारे रूकूअ में चली गई और सूरः को रूकूअ में जा कर ख़त्म किया, तो मकरूह हुई।

मस्अला 27—अगर सज्दे की जगह पैर से ऊंची हो, जैसे कोई दहलीज़ पर सज्दा करे, तो देखो कितनी ऊंची है। अगर एक बालिश्त से ज़्यादा ऊंची है, तो नमाज़ दुरूस्त न होगी और अगर एक बालिश्त या इससे

कम है, तो नमाज़ दुरूस्त है। लेकिन बे–ज़रूरत ऐसा करना मकरूह है।

जिन वजहों से नमाज़ का तोड़ देना दुरूस्त है, उसका बयान

मस्अला 1—नमाज़ पढ़ने में रेल चल दे और उस पर अपना अस्बाब रखा हुआ है, या बाल बच्चे सवार हैं, तो नमाज़ तोड़ के बैठ जाना दुरूस्त है।

मस्अला 2—सामने सांप आ गया, तो उसके डर से नमाज़ का तोड़ देना दुरूस्त है।

मस्अला 3—नमाज़ में किसी ने जूती उठा ली और डर है कि अगर नमाज़ न तोड़ेगी, तो लेकर भाग जायेगा, तो उसके लिए नमाज़ तोड़ देना दुरूस्त है।

मस्अला 4—रात को मुर्ग़ी खुली रह गई और बिल्ली उसके पास आ गई, तो उसके ख़ौफ़ से नमाज़ तोड़ देना दुरूस्त है।

मस्अला 5—कोई नमाज़ में है और हांडी उबलने लगी, जिस की लागत तीन–चार आना है, तो नमाज़ तोड़ कर उसको दुरूस्त कर देना जायज़ है, मतलब यह है कि जब ऐसी चीज़ के बर्बाद हो जाने या ख़राब हो जाने का डर है, जिसकी क़ीमत तीन–चार आना हो, तो उसकी हिफ़ाज़त के लिए नमाज़ का तोड़ देना दुरूस्त है।

मस्अला 6—अगर नमाज़ में पेशाब या पाख़ाना ज़ोर करे, तो नमाज़ तोड़ दे और फ़ारिग़ होकर फिर पढ़े।

मस्अला 7—कोई अंधी औरत या मर्द जा रहा है और आगे कुआं है और उसमें गिर पड़ने का डर है, उसके बचाने के लिए नमाज़ का तोड़ देना फ़र्ज़ है। अगर नमाज़ नहीं तोड़ी और वह गिर के मर गया, तो गुनाहगार होगी।

मस्अला 8—किसी बच्चे वग़ैरह के कपड़ों में आग लग गई और वह जलने लगा, तो उसके लिए भी नमाज़ तोड़ देना फ़र्ज़ है।

मस्अला 9—मां–बाप, दादा–दादी, नाना–नानी किसी मुसीबत की वजह से पुकारें, तो फ़र्ज़ नमाज़ को तोड़ देना वाजिब है, जैसे किसी का बाप–मां वग़ैरह बीमार है और पाख़ाना वग़ैरह किसी ज़रूरत से गया और